खण्ड-327, अंक-9
गुरूवार, 7 आश्विन, शक संवत् 1899
(29 सितम्बर, 1977 ई0)

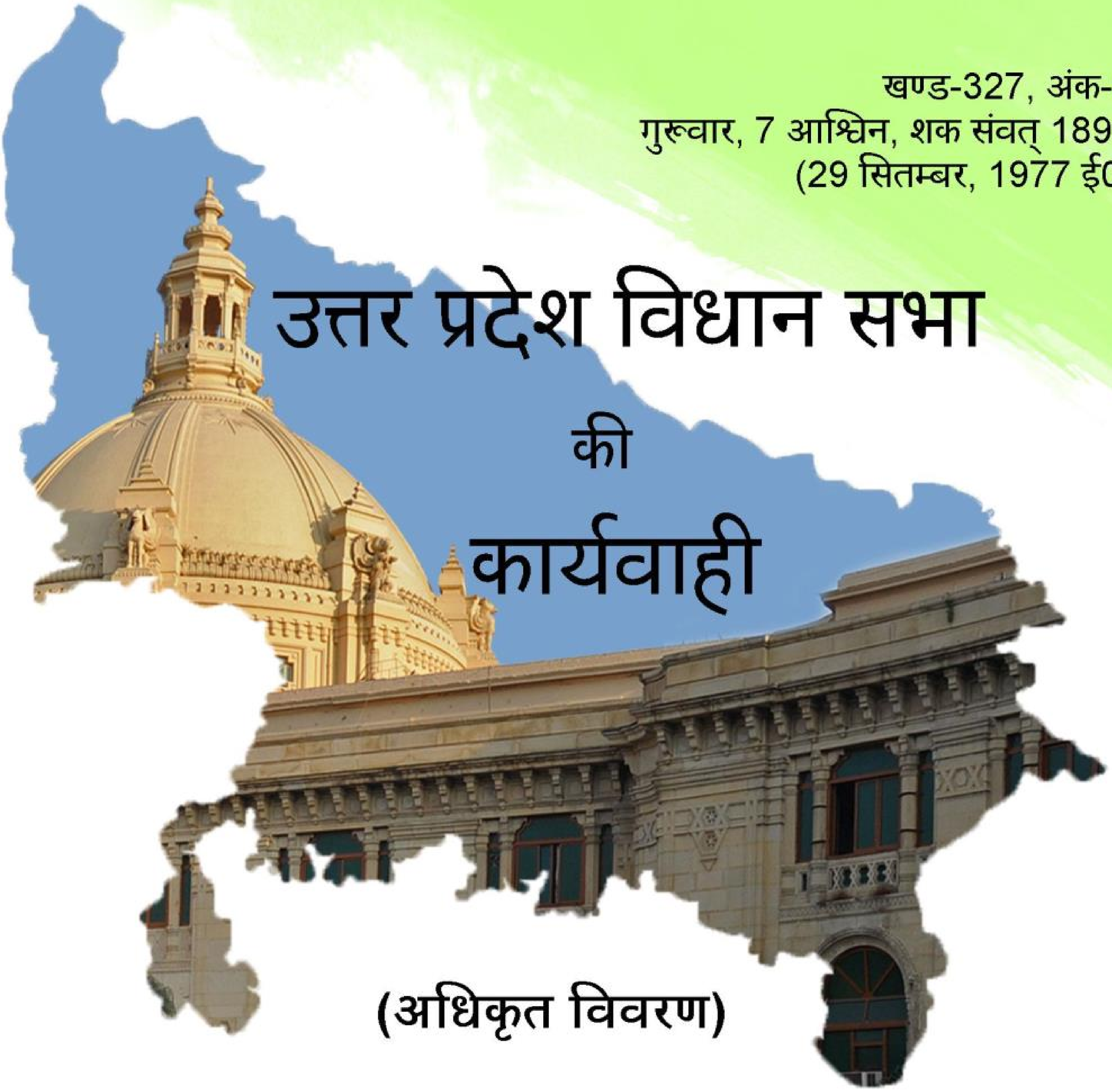

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 327 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 1977

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य--349

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद चौधरी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नरायण सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
औसान सिंह श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेई, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल, श्री 'निर्भय'
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादर सिंह, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चाँदना, श्री
बरफिया लाल जुवाँठा 'अरविन्द', श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बाँके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीषम, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री

मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंशगोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री

विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—मुख्य मन्त्री, श्री राम नरेश यादव तथा विद्युत् मन्त्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही भी सदन में उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 1977

तारांकित प्रश्न

[माननीय स्वायत्त शासन मंत्री की प्रार्थना पर स्थगित 22 सितम्बर, 1977 (3रे गुरुवार) का प्रश्न।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

कर अधीक्षक, नगरपालिका गोरखपुर के विरुद्ध आरोपों की जांच

*1—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि टैक्स अधीक्षक, नगरपालिका, गोरखपुर (श्री केदार सिंह) के विरुद्ध भ्रष्टाचार, कत्ल, डकैती आदि के गम्भीर आरोपयुक्त कोई आवेदन-पत्र प्रधान मन्त्री, भारत सरकार के पत्र संख्या 267/76, दिनाँक 24 जून, 1977 तथा गृह मन्त्री के पत्र सं0 160/1, दिनाँक 19 मई, 1977 के माध्यम से प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो आरोप क्या हैं और जाँच किसके द्वारा कराई गई और उसका परिणाम क्या निकला तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

आवास उप मन्त्री (श्री भगौती सिंह)—

जी हाँ, नगरपालिका, गोरखपुर के कर अधीक्षक (श्री केदार सिंह) के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र प्रधान मन्त्री, भारत सरकार के माध्यम से पत्र संख्या 267/76, दिनाँक 24 जून, 1977 के अन्तर्गत आया है। गृह मन्त्री, भारत सरकार का पत्र संख्या 160/1, दिनाँक 19 मई, 1977 आया प्रतीत नहीं होता।

उपरोक्त शिकायती-पत्र में श्री केदार सिंह के विरुद्ध भ्रष्ट तरीके से पैसा पैदा कर, रु0 1,00,000 मूल्य का मकान बनवाने, अपने बच्चों की पढ़ाई पर अपने वेतन से अधिक व्यय करने, प्रति माह रुपया तीन–चार हजार बैंक में अपने परिवार के सदस्यों के नाम से जमा करने, सेन्ट्रल बैंक में लाकर लेने, फर्जी नामों से रुपया जमा करने, आयकर एवं भवन-कर आदि बचाने के आरोप लगाए गए हैं।

उक्त शिकायती-पत्र पर आयुक्त एव निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश द्वारा जाँच कराई जा रही है। जाँच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जाँच किस व्यक्ति के द्वारा और कब से करवाई जा रही है और वह कब तक पूरी हो जावेगी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

इन सभी कागजातों को आयुक्त, स्थानीय निकाय को भेज दिया गया है। 12 सितम्बर, 1977 को भेजा गया है और उनसे कहा गया है कि अति शीघ्र जाँच रिपोर्ट भेज दें।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

माननीय मन्त्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि जिनके बारे में मैंने प्रश्न किया वह मेरे पास पहुंचे और वह 20 दिन से लगातार यहाँ बने हुए हैं। उनके ऊपर इतने गम्भीर आरोप हैं तो क्या माननीय मन्त्री जी इस तरह का आश्वासन देंगे कि जो इंक्वायरी होगी वह विजीलेन्स द्वारा होगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

निदेशक, स्थानीय निकाय इस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी हैं और नौटियाल जी के सुझाव पर मैं प्राथमिक रिपोर्ट मंगा लूंगा और उससे कुछ निकला तो आपके सुझाव पर विचार किया जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

24 जून, 1977 को यह पत्र आ गया था तो क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह किस तारीख को जाँच शुरू हुई और अब तक के परिणाम क्या हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

अभी प्राथमिक जाँच रिपोर्ट नहीं आई है और निदेशक, स्थानीय निकाय को आदेश दिया गया है इसके लिए।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

कौन सी तारीख को जाँच प्रारम्भ हुई है। यह मैं जानना चाहता हू।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

12 सितम्बर, 1977 को सभी कागजात उनके पास भेजे हैं।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि केदार नाथ जो 14 साल से घूम फिर कर गोरखपुर में ही आ जाते हैं। वह किस कारण वहीं पर रह रहे हैं। क्या उनको वहाँ से तुरन्त हटाया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष--

यह एक सुझाव है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो टैक्स अधीक्षक महोदय हैं, वह मीरा मर्डर केस में इनवाल्व थे, जिसके सम्बन्ध में विजीलेन्स द्वारा इंक्वायरी के आदेश हुए थे। क्या इसकी जानकारी माननीय मन्त्री जी को है। तो क्या इनको निलम्बित किया जायेगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, इसका उत्तर मैं माननीय नौटियाल जी के प्रश्न के उत्तर में दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि विजीलेन्स की इंक्वायरी के जो आदेश हुए थे, जब कि उनके ऊपर मर्डर का भी चार्ज था इस सन्दर्भ में आपके पास कोई जानकारी है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

इसके लिए मेरे पास इस समय कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए 12 सितम्बर को आपने जाँच के लिए भेजा है। इससे स्पष्ट है कि अभी तक जाँच भी नहीं शुरू हुई है, केवल भेजा गया है, इन बातों को देखते हुए आपको क्या कठिनाई है कि उस जाँच को वापस मंगा कर विजीलेन्स के सुपुर्द कर दें ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मैंने निवेदन किया कि श्री शिवानन्द जी नौटियाल के सुझाव पर प्राथमिक रिपोर्ट मंगा लूंगा और तभी माननीय नौटियाल जी और रियासत साहब के सुझाव पर विचार करूंगा।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, शासन भ्रष्ट और रिश्वतखोर ऐसे कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के लिए वचनबद्ध हैं। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट और रिश्वतखोर कर्मचारी के खिलाफ जिसने एक लाख रुपए का मकान भी बनवाया है और काफी रुपया बैंक में भी जमा कर रखा है और उसके खिलाफ प्राइमाफेसी चार्ज बन चुका है तो उसको निलम्बित करने में क्या कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष—

यह माननीय मन्त्री जी उत्तर दे चुके हैं। यह तो आपका अनुरोध है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

अभी तक उसको निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष—

बर्क जी, आप कृपया प्रश्नों पर बहस मत कीजिए।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मैं बहस नहीं कर रहा हूं।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

इसका जवाब . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

उनको निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष—

निलम्बित तो तब ही किया जाएगा जब प्राइमाफसी रिपोर्ट से संतुष्ट हो जायेंगे।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

उक्त इंस्पेक्टर के खिलाफ जाँच हो सकेगी ? एक महीने पूर्व से पत्रावली श्री सहाय जो सचिव हैं उनके कार्यालय में आ गई है लेकिन उसको दबा दिया गया है जिससे उस पर निर्णय न हो सके। क्या मन्त्री जी उस पत्रावली को मंगा कर उक्त इंस्पेक्टर को निलम्बित करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप कह रहे हैं एक महीने से पत्रावली कार्यालय में पड़ी है। अभी 12 सितम्बर को जाँच के लिए भेजा गया है। यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)

प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो यह प्रश्न जो है. . . .

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मान्यवर, उसको . . . .

श्री अध्यक्ष--

सुखपाल जी, आप बैठिए।

श्री ऊदल--

यह पत्र प्रधान मन्त्री, भारत सरकार और उसके गृह मन्त्री के माध्यम से आया है, उसके बारे में शिवानन्द नौटियाल जी ने प्रश्न किया है 23 अगस्त, 1977 को और मन्त्री जी ने जाँच के लिए अभी 12 सितम्बर को भेजा है। वह जाँच प्रभावित न हो, इसके लिए केदार सिंह जी का ट्रान्सफर कम से कम गोरखपुर से करने की कृपा करेंगे ?

(श्री सुखपाल पाण्डेय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। इस प्रकार से न खड़े होइए ? मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

एक सप्ताह में इस पर निर्णय ले लूंगा और आज ही निदेशक, स्थानीय निकाय को आदेश दे दूंगा कि वे प्राथमिक रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर भेज दें। जाँच करने वाले अधिकारी विभाग के सबसे बड़े अधिकारी हैं, इसलिए उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

फैजाबाद जिले में पागल कुत्ते के काटने से मृत्यु

*1--**श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी** (जिला फैजाबाद)--

विधान सभा में दिनांक 20 जुलाई, 1977 को शून्य पहर में दी गयी सूचना के क्रम में क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि दिनांक 15 जुलाई, 1977 को फैजाबाद जिले में जिन 6 व्यक्तियों को पागल कुत्ते ने काटा था उनमें से एक मरीज की मृत्यु दिनांक 28 अगस्त, 1977 को समय पर दवा न मिलने के कारण हो गयी ? यदि हां, तो बाकी लोगों की मृत्यु न होने पाए इस बारे में सरकार अविलम्ब कोई कार्यवाही करेगी ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री कल्यान सिंह)--

फैजाबाद जिले में जिन छः व्यक्तियों को पागल कुत्ते ने काटा था उन्हें ऐंटी रैबिक वैक्सीन के इंजेक्शन घटना के दसवें दिन के पश्चात् लगने शुरू हो गए थे। उनमें से एक श्रीमती मन्जू देवी की मृत्यु दिनांक 28 अगस्त, 1977 को जिला चिकित्सालय, फैजाबाद

में हुई। यह मृत्यु पागल कुत्ते के काटने के कारण अथवा समय से दवा न मिलने के कारण नहीं हुई क्योंकि उनकी बीमारी में पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न होने वाली बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे और उन्हें एंटी रैबिक वैक्सीन के इंजेक्शन का कोर्स भी दिनांक 25 जुलाई, 1977 से 7 अगस्त, 1977 की अवधि में लग चुका था।

जिला चिकित्सालयों में एंटी रैबिक वैक्सीन हर समय उपलब्ध रहे इसके लिए समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निदेश दिए जा चुके हैं कि वे वैक्सीन के एक माह के औसत खर्च को रिजर्व स्टाक में रखें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

श्रीमन्, 30 जुलाई को जब मैंने आपकी अनुमति से सदन में इस बात की सूचना दी थी, तो मैंने यह भी बता दिया था कि डाक्टरों की यह राय है कि 7 दिन के अन्दर अगर इन्जेक्शन नहीं लगते तो रिएक्शन हो सकता है। माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में इस बात को एडमिट भी किया है कि एंटी रैबिक वैक्सीन के इन्जेक्शन घटना के दसवें दिन के पश्चात् लगने शुरू हो गए थे। मैंने 8 सितम्बर को श्रीमती मन्जू देवी की मृत्यु की सूचना सदन में दी थी तो उस समय आपने मन्त्री जी को यह निर्देश दिए थे कि वे सारी घटना की जांच करवायें और यह देखें कि किसकी असावधानी से इन्जेक्शन्स देर से लगे? और यदि ऐसी परिस्थिति थी तो उनके परिवार के व्यक्ति को आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रहे हैं? क्या माननीय मन्त्री जी जांच रिपोर्ट को भी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि जो लोग बचे हैं, उन पर रिएक्शन न हो, उनकी जान न जाय, उसका मन्त्री जी ने जवाब नहीं दिया है। उन्होंने केवल यह कहा है कि एंटी-रैबिक वैक्सीन की व्यवस्था कर दी है ताकि जो रोगियों को रिएक्शन होता है वह न होने पाए।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछिए।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस मामले में कोई जांच कराई? यदि हां, तो जो रिपोर्ट आई है उसको सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री कल्याण सिंह--

जांच कराई गई है। रिपोर्ट काफी लम्बी है। यदि अनुमति दें तो पढ़ दूं?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि जो लोग बचे हैं उनको रिएक्शन न होने पाए क्या इसकी कोई व्यवस्था कर दी गयी है?

श्री कल्याण सिंह--

शेष पांच व्यक्तियों के बारे में श्री अमरेश सिंह जी उनके परिवार के सदस्य हैं, का कहना है कि वे सब ठीक हैं।

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य का कहना यह भी है कि श्रीमती मन्जू देवी के परिवार वालों को कोई क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक सहायता दी है?

श्री कल्याण सिंह--

चूंकि श्रीमती मन्जू देवी की मृत्यु समुचित चिकित्सा सहायता न मिलने के कारण नहीं हुई है, इसलिए इस पर कोई विचार नहीं किया गया है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

उन्होंने बताया कि वह मरीज कुत्ते के काटे से नहीं मरा है तो वह इस नतीजे पर कैसे पहुंचे ? क्या पोस्टमार्टम कराया है या उसी डाक्टर ने कह दिया जिसके वह जेर-इलाज था ?

श्री कल्याण सिंह--

जो जांच कराई ऐडीशनल डायरेक्टर के द्वारा, उनकी रिपोर्ट में से उन्होंने दिया है कि ऐसे कोई लक्षण नहीं थे ।

श्री अध्यक्ष--

क्या पोस्ट मार्टम हुआ ?

श्री कल्याण सिंह--

पोस्टमार्टम उनके परिवार वालों ने नहीं कराया। अमरेश सिंह का बयान है कि 27 तारीख तक बराबर वह पानी, दूध, रस और खिचड़ी इत्यादि लेती रहीं, ऐसा नहीं हुआ कि पानी पान से उसे डर लगे और न किसी प्रकार के कनवल्शन्स ही शुरू पड़े। ऐंटी-रैबिक इन्जेक्शन्स न लगने पर हाइड्रोफोबिया हो जाता है जिसमें मरीज पानी आदि से बहुत डरता है, तो इस तरह का कोई कम्पलीकेशन नहीं हुआ था ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, पोस्टमार्टम उसका हुआ नहीं, तो मन्त्री जी बतायेंगे कि वह बच्चा जिस दिन कुत्ते ने काटा, कितने दिन तक बीमार रहा, किस डाक्टर ने इलाज किया और क्या दवाई दी और क्या इलाज किया ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, यह तो ब्योरे का सवाल हो जायगा। इसके लिए सूचना चाहूंगा, तब दवाई आदि का विवरण भी मंगवा लेंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मैं जानना चाहता हूं कि जिस तारीख को कुत्ते ने फैजाबाद में 5-6 आदमियों को काटा और उसके बाद वे लोग बलरामपुर हास्पिटल में आए तो बलरामपुर हास्पिटल में किस तारीख को उनको दवा दी गयी और क्या यह सही है कि यहां से वह दवा उनको स्वयं ले आने के लिए दिया गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए और क्या यह भी सही है कि इन सब बातों को देखते हुए माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी ने कहा था कि चार्ट बदलने की कोशिश हो रही है ? क्या इसकी भी जांच कराई गई कि वह चार्ट बदला गया या नहीं बदला गया ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, 19 जुलाई, 1977 को बलरामपुर हास्पिटल में अमरेश सिंह आए थे, सी0एम0ओ0, फैजाबाद की चिट्ठी लेकर। यह सही है कि बजाय उनको भेजने के स्वयं सी0एम0ओ0 को अपने यहां से व्यवस्था करनी चाहिए थी, मैं इस भावना से सहमत हूं।

लेकिन अधिक विलम्ब न होने पाए, इलाज शिथिल न होने पाए इसलिए उन्हीं को भेज दिया कि वह अपनी व्यवस्था करें, चिट्ठी दी थी। मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि रेकार्ड में कोई फेर-बदल की गयी है। अगर कोई सूचना दें माननीय सदस्य, तो जरूर जांच करा लेंगे।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

उत्तर में यह दिया है कि जिला चिकित्सालयों में ऐंटी-रैबिक वैक्सीन हर समय उपलब्ध रहे, इसके लिए समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश भेजे जा चुके हैं कि वे वैक्सीन के एक माह के औसत खर्चे को रिजर्व स्टाक में रखें, तो क्या यह बात सही है? इससे लगता है कि फैजाबाद में उस समय दवा नहीं थी या वैक्सीन नहीं थे, इसलिए यह दिया गया ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां। यह व्यवस्था की गयी है, क्योंकि यह समस्या केवल अकेले फैजाबाद की नहीं है। हमने व्यवस्था यह की है कि प्रत्येक चिकित्सालय पर ऐंटी-रैबिक वैक्सीन का कोटा एक माह के लिए सुरक्षित रखा जाय। पटवा डांगर इंस्टीट्यूट, नैनीताल से व्यवस्था की जा रही है। व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक महीने में 25 परसेंट अधिक देंगे और चार महीने में हम इतने वैक्सीन दे देंगे कि दूने वैक्सीन हर माह रिजर्व में रहे।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में यह जो पत्र आपको प्राप्त हुआ है यह स्वतः उस परिवार के लोगों ने आपको या जिला चिकित्सा अधिकारी को भेजा या इस घटना को छिपाने के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने उनसे कोशिश करके इस पत्र को लिखवाया है ?

श्री अध्यक्ष--

यह जो पिछला भाग है, यह तो आक्षेप है। पहले का आप उत्तर दे दीजिए।

श्री श्यामधर मिश्र--

दारुलशफा में भी रखवा दीजिए। वहां भी पागल कुत्ते हैं।

(हंसी)

श्री कल्याण सिंह--

इस पूरी घटना की जांच करने के लिए मैंने स्वयं अतिरिक्त निदेशक को फैजाबाद भेजा था और उन्होंने स्वयं अमरेश सिंह से भी सम्पर्क स्थापित किया। यह उनके स्वयं के बयान हैं। उनके बयान पर उनके हस्ताक्षर हैं। यह कहना सही नहीं है कि किसी दबाव में लिखवा लिया गया।

(व्यवधान)

मेसर्स यू० पी० ग्लास वर्क्स, बहजोई, जिला मुरादाबाद के श्रमिकों द्वारा क्रमिक अनशन

*2--श्री बेनी प्रसाद माधव (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि यू० पी० ग्लास वर्क्स बहजोई, जिला मुरादाबाद के श्रमिक गत 15 दिनों से अधिक से प्रबन्धकों द्वारा बैठकी के विरोध में भूख हड़ताल कर

रहे हैं ? क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश के श्रमायुक्त ने इस बैठकी को गैर-कानूनी तथा अनुचित घोषित किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार श्रमायुक्त के आदेशों के आधार पर मिल प्रबन्धकों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मन्त्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

जी हां, मेसर्स यू० पी० ग्लास वर्क्स, बहजोई, मुरादाबाद में श्रमिकों द्वारा 10 अगस्त, 1977 से क्रमिक अनशन किया जा रहा है।

प्रतिष्ठान में 13 जनवरी, 1976 से बैठकी चल रही है जिसकी स्वीकृति हेतु सेवा योजकों ने समय-समय पर श्रमायुक्त, जो बैठकी स्वीकृत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी हैं, के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये थे। श्रमायुक्त ने उन सभी प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया है। सेवायोजकों ने श्रमायुक्त के आदेश, दिनांक 18 मई, 1976 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका दायर कर दी थी जो अभी भी अनिर्णीत है। मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण सेवायोजकों के विरुद्ध अभी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

श्री अध्यक्ष—

यह बाद में आयेगा समय मिला तो, वर्ना नहीं आयेगा। †

[माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित 22 सितम्बर, 1977 (3रे गुरुवार) का प्रश्न।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

श्रीपुर सहकारी गृह निर्माण समिति, लखनऊ की स्वीकृत योजना

*1—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्रीपुर सहकारी गृह निर्माण समिति (रजिस्टर्ड), लखनऊ की भूमि जो लखनऊ की अलीगंज हाउसिंग योजना में भी सम्मिलित नहीं की गयी है तथा जो टाउन एवं विलेज प्लानिंग विभाग से स्वीकृत है, उसका प्लान दस वर्ष बीतने पर भी किन कारणों से नगर महापालिका, लखनऊ ने अभी तक स्वीकार नहीं किया और अब कब तक इस योजना को स्वीकार किये जाने की आशा है ?

श्री भगौती सिंह—

श्रीपुर सहकारी गृह निर्माण समिति की भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण की अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत आती है। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा, समिति के सब-डिवीजन प्लान के प्रस्तुत किए जाने पर, तकनीकी आपत्ति रहित पत्र दे दिया गया था। नियत प्राधिकारी के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर समीक्षा करने पर यह प्रकाश में आया कि समिति की भूमि अलीगंज योजना के अन्तर्गत आती है, अतः सब-डिवीजन प्लान स्वीकृत नहीं किया गया।

---

†नोट—समय समाप्त हो जाने के कारण बाद में नहीं लिया गया।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

श्रीपुर सहकारी गृह निर्माण समिति की जो भूमि अलीगंज योजना के अन्तर्गत सम्मिलित की गयी है उसके एवज में यह जो सहकारी समिति है इसके लोगों को उसी प्लान के अन्दर मकान बनाने के लिए प्लाट आवंटित करने का माननीय मन्त्री जी कोई आश्वासन देंगे ?

श्री भगौती सिंह—

इसका प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न नहीं उठता, आप उत्तर तो दीजिए ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, आश्वासन देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर निश्चयात्मक या नकारात्मक कोई तो होना चाहिए ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

प्रश्न से मतलब क्वेश्चन से नहीं है । आश्वासन देने का सवाल नहीं उठता है ।

श्री अध्यक्ष—

आपने उत्तर में यह कहा कि इस कोआपरेटिव गृह निर्माण सोसायटी की जमीन अलीगंज योजना में आ गयी है । तो माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया कि चूंकि आपने जमीन अलीगंज योजना में ले ली है तो क्या आप ऐसा आश्वासन देंगे कि उनको विकल्प में जमीन मिलेगी । तो आपको इसका उत्तर "हां" या "न" में कि आप विकल्प में उनको जमीन देंगे या नहीं, इस तरह होना चाहिए ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

आश्वासन देने का फिलहाल प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जैसा कि मन्त्री जी ने कहा कि इसमें कोई प्रश्न नहीं उठता इसमें मैं उनका ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करते हुए यह पूछना चाहता हूं कि यह योजना सन् 1967 में रजिस्टर्ड कर दी गयी और एक शासनादेश संख्या 411—पी/42, दिनांक 27 जुलाई, 1967 नगरपालिका गृह निर्माण समितियों की भूमि अध्याप्त न की जाय इस आशय का जारी हुआ और फिर दस साल के बाद जमीन अध्याप्त कर ली गयी । तो क्या माननीय मन्त्री जी उनके साथ हुए अन्याय को देखते हुए और शासनादेश को देखते हुए उनको भूमि देने के लिए अपनी ओर से किसी प्रकार का निर्णय करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, माननीय सदस्य के सुझाव का परीक्षण करा लिया जायगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, यह श्रीपुर सहकारी गृह निर्माण समिति जो है मध्यम वर्ग कर्मचारियों की है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अलीगंज योजना के अन्तर्गत बड़े-बड़े लोगों को भूमि आवंटित की जा रही है और छोटे कर्मचारी उससे वंचित हो रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, अपना मत प्रकट कर रहे हैं। आप प्रश्न कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, अलीगंज योजना के अन्तर्गत क्या बड़े-बड़े लोगों को भूमि आवंटित की जा रही है, छोटे-छोटे कर्मचारियों को भूमि नहीं आवंटित की जा रही है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

श्रीमन्, ऐसा नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, जिन शासन के आदेशों का हवाला माननीय नौटियाल जी ने दिया कि उनको निरस्त किया गया है, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यदि नहीं निरस्त किया गया तो फिर उन शासन के आदेशों का न पालन किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, नगर महापालिका ने अपने प्रस्ताव संख्या 68, दिनांक 20 जनवरी, 1970 में यह निर्णय लिया था कि योजना में भूमि छोड़ने का प्राविधान केवल उन्हीं सहकारी गृह निर्माण समितियों के लिए किया जाय जिन्होंने योजना की विज्ञप्ति दिनांक 17 मार्च, 1962 के पूर्व भूमि खरीदी थी अथवा स्वामित्व में रही। चूंकि समिति ने भूमि योजना विज्ञप्ति के कई वर्षों बाद खरीदी थी इसलिए उसकी भूमि को योजना से मुक्त करना सम्भव नहीं हुआ।

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस सोसायटी की भूमि को अलीगंज योजना से अलग करने पर विचार करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

कर लेंगे, मान्यवर।

श्री ऊदल—

मान्यवर, जब इस जमीन को श्रीपुर सहकारी गृह निर्माण समिति, अलीगंज हाउसिंग योजना में सम्मिलित कर ली गयी तो क्या जिनकी वह जमीन थी उन हाउसिंग सोसायटी को कोई क्या मुआवजा वगैरह भी दिया गया ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, इसके सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

पैरा मेडिकल वर्क्स की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन का आधार

*1—अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पैरा मेडिकल वर्क्स की नियुक्ति हेतु जनवरी, 1974 से 15 जुलाई, 1977 तक कब-कब तथा कितने-कितने अभ्यर्थियों के नाम

प्रदेश के विभिन्न जनपदों के सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लखनऊ में प्राप्त हुए ? इनमें से कितने अभ्यर्थियों का चयन किया गया ? क्या यह सही है कि इन चुनावों में कम अंक प्राप्त करने वालों का चयन किया गया ? यदि हाँ, तो किस आधार पर ?

श्री कल्याण सिंह---

निदेशालय से जो चयन सम्बन्धी सूचना प्राप्त हुई है वह अपूर्ण एवं असन्तोषजनक है। अतः वांछित सूचना पुनः एकत्रित की जा रही है।

श्री अठई राम---

मान्यवर, यह प्रश्न दो बार टाला गया है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को नियम 49 के अन्तर्गत ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी, यह सूचना निदेशालय को देनी है और यह अत्यन्त खेदजनक है कि निदेशालय दो महीने के बाद भी सूचना देने में असमर्थ है। इस सम्बन्ध में आपको अपने निदेशालय को देखना चाहिए कि यह उनकी कार्य-क्षमता के ऊपर बड़ा भारी एक रिफ्लेक्शन है, क्योंकि यह सूचना तो उनके पास होनी चाहिए।

श्री कल्याण सिंह---

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में जिन अनियमितताओं का संकेत किया है। मैंने उस पत्रावली को मंगा कर देखा जब इस प्रश्न की तैयारी की बात आई, जो कुछ सूचना दी गयी थी, उससे मैं सन्तुष्ट नहीं था। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह सूचना दे दूं कि चूंकि मैं स्वयं सन्तुष्ट नहीं था और ऐसी कोई अपूर्ण सूचना माननीय सदन को नहीं देना चाहता था, मैंने उन सारे कागजात को जिस चयन के सम्बन्ध में आपका प्रश्न है आज ही आदेश दिया है कि सारे कागजात को डायरेक्टर स्वयं अपनी कस्टेडी में लें और इसकी जाँच करायी जाय। चूंकि फाइल के अवलोकन से प्राइमाफेसी गलती नजर आई जिसमें जाँच की आवश्यकता है। इस नाते से कि चूंकि इसका उत्तर असन्तोषजनक आया था इसलिए मैंने यह उत्तर दिया। मैं इसमें चाहता हूं कि जो दोषी हो, उसके विरुद्ध कार्यवाही हो। मान्यवर, इसमें जाँच की जाय इसलिए मैंने ऐसा उत्तर दिया।

श्री अध्यक्ष---

इस प्रश्न को स्थगित किया जाता है। अगले हफ्ते में कृपया इसका जवाब देने की कोशिश करें।

कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद में बिजली के तार टूटने से मृत्युएं

*2---श्री गिरीश चन्द तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कायमगंज जनपद फर्रुखाबाद में जुलाई, 1976 से बिजली के तार टूटने से कितने पशुओं और व्यक्तियों की मृत्यु हुई ? क्या उनकी क्षतिपूर्ति की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विद्युत् मन्त्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)—

कायम गंज जिला फर्रुखाबाद में जुलाई, 1976 से बिजली के तार टूटने से एक घोड़ी एवं एक व्यक्ति की मृत्यु हुई।

घोड़ी के मालिक को क्षतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में 500 रु0 परिषद् द्वारा स्वीकृति किए जा चुके हैं। मृतक व्यकित के परिवार वालों को भी 1,000 रु0 (एक हजार रुपया) की आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि एक वर्ष का समय हो गया है। तो इतने विलम्ब से स्वीकृत होने का क्या कारण है अभी पैसा उनको मिला नहीं है। इतने विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, जो इक्के के साथ दुर्घटना हुई थी, उसमें घोड़ी की मृत्यु 1976 में हुई। इस मामले में जो जिम्मेदारी है, फिलहाल मैंने जाँच कराई, एक तो मैंने मुआवजा दिलवा दिया और विलम्ब के लिए जो जिम्मेदार थे इलेक्ट्रिकल ओवरसियर, श्री शिव भवन गुप्ता को निलम्बित करने के आदेश कर दिये थे।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

मान्यवर, अभी केवल स्वीकृत हुआ है या भुगतान कर दिया गया ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

500 रुपए की घोड़ी के मालिक ने क्षतिपूर्ति की माँग की थी। जिसे स्वीकृत कर दिया गया है। और दूसरी घटना मान्यवर, 30 जून, 1977 की है। चूंकि भुगतान डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के थ्रू होता है इसलिए पैसे को जिलाधिकारी को भेज दिया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पैसा स्वीकृत किया गया है उसका भुगतान आश्रितों को मिल गया है या नहीं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, मृतक के आश्रितों को पैसा मिला है या नहीं, तो 30 जून को दुर्घटना हुई थी और 6 सितम्बर को डी0 एम0 को पैसा मिल चुका है। मैंने डी0 एम0 को फोन कराया, लेकिन वह मिल नहीं पाये। सम्भवतः डी0 एम0 पैसा मिलने के एक सप्ताह के अन्दर भुगतान कर देते हैं। मैं इसको पूछ लूंगा।

श्री रियासत हुसैन—

मैं जानना चाहता हूं. . .

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी ने यह कहा कि कलेक्टर से सम्पर्क कायम नहीं हो पाया। वह निश्चय नहीं कर सकते हैं कि पैसा मिला या नहीं मिला।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जानवरों के मरने पर तो 500 रुपया दिया है और सामान्यतः हम लोग देख रहे हैं कि ऐसी मृत्यु होती हैं तो 5 हजार दिया जाता है। तो जो व्यक्ति के मरने पर एक हजार दिया गया है उसको बढ़ायेंगे ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया।)

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे . . . . .

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। हम देख रहे हैं कि मरने पर 5 हजार दिया जा रहा है तो यहाँ एक हजार क्यों मिला है ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया।)

श्री गनेशी लाल चौधरी—

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बिजली विभाग जो है वह पब्लिक अण्डरटेकिंग है। अब भी रेल से एक्सीडेंट हो जाता है तो 50 हजार रुपया मृतक व्यकित के परिवार को देने का संकल्प है, बस से 10 हजार। आजकल बिजली के एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं तो जब कोई व्यक्ति मरे तो उसके परिवार को 10 हजार रुपए देने पर क्या मन्त्री जी विचार करेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, माननीय सदस्य का जो अनुभव है उस पर विचार किया जायगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या मान्यवर, मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार बिजली के टूटे तार के स्पर्शाघात से मृत्यु होती है और विभागीय अधिकारी और कर्मचारी सूचना नहीं देते हैं तो उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्राविधान है ?

श्री अध्यक्ष—

कार्यवाही का प्राविधान तो है ही।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी को जानकारी देना चाहता हूं कि उनके गृह जनपद में ऐसे बीसों केसेज हुए हैं। उसमें दो हरिजन बालिकाओं और एक हरिजन वृद्धा देवरिया जनपद में मर गए लेकिन उनके परिवार वालों को एक भी पैसा नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

यह आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं। प्रश्न तो कर चुके हैं।

*3–4—श्री शिव प्रसाद—

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया]

भूतपूर्व स्वास्थ्य उप मन्त्री (श्री जागेश्वर प्रसाद) द्वारा चिकित्सालयों का निरीक्षण तथा अनियमितताओं की जांच

*5—श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि प्रदेश के भूतपूर्व स्वास्थ्य उप मन्त्री (श्री जागेश्वर प्रसाद) ने जुलाई-अगस्त, 1977 में राज्य के विभिन्न चिकित्सालयों में अचानक निरीक्षण करके घोर अनियमितताओं, भ्रष्टाचार एवं चोरी सम्बन्धी मामलों को पकड़ा ? यदि हाँ, तो कब-कब, कहाँ-कहाँ और क्या-क्या और इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह—

वाँछित सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1129–1131 पर ।)

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मान्यवर, संलग्न सूचना हम नहीं जानते हैं इसलिए उसको पढ़ दें ।

श्री अध्यक्ष—

उत्तर लाबी में रख दिए जाते हैं जिसको दिलचस्पी हो वह ले लें ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

वहाँ नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

मुझे खेद है अब लाबी में रखे जा रहे हैं । हमने आदेश दिए हैं संसदीय कार्य मन्त्री को कि जो उत्तर प्राप्त हों उनकी एक-एक प्रति दोनों लाबी में रख दी जाय । श्री सुखपाल पाण्डेय चाहते हैं तो माननीय मन्त्री जी संलग्न सूचना पढ़ दें ।

श्री कल्याण सिंह—

संलग्न सूचना को मैं पढ़ रहा हूं ।

(सूचना पढ़ी गयी जो नत्थी 'क' पृ0 1129–1131 पर है ।)

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मन्त्री जी ने मौके पर यह पाया कि अधिकाँश डाक्टर एवं स्टाफ गैर हाजिर था दवाओं के स्टाक में गड़बड़ी थी और दवाएं बाहर भेज दी गयीं थीं तो क्या मन्त्री जी ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, एक स्थान की तो रिपोर्ट आ गई है जिसमें यह आरोप प्रमाणित नहीं हो पाया । शेष में अभी आख्या आपेक्षित हैं ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जहाँ गड़बड़ी पाई गयी है वहाँ प्रभारी अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है और मेडिकल कालेज का प्रिंसिपल होता है और वह खुद ही गड़बड़ी में शामिल है क्या इसकी जाँच आप दूसरी एजेंसी से कराने के लिए तैयार हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, किस स्थल विशेष के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं, कई केसेज हैं ?

श्री शम्भू नाथ चौधरी---

इलाहाबाद और गोरखपुर। मेरा कहना यह है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी खुद ही उसमें शामिल हैं तो क्या आप जाँच किसी दूसरी एजेन्सी से करायेंगे ?

श्री कल्याण सिंह---

मान्यवर, मेडिकल कालेज, कानपुर के सम्बन्ध में जाँच की रिपोर्ट आ चुकी है। शेष इलाहाबाद, गोरखपुर के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि हम अतिरिक्त निदेशक द्वारा जाँच करा देंगे।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)---

कानपुर मेडिकल कालेज में जो 24 जुलाई को निरीक्षण हुआ है उसकी रिपोर्ट इसमें संलग्न है जिसमें वहाँ के किसी डाक्टर को दोषी नहीं पाया गया, लेकिन उप मन्त्री महोदय ने आँन-दी-स्पाट दो डाक्टर्स को निलम्बित किया था जोकि नियमानुसार वह निलम्बित नहीं कर सकते थे।

श्री कल्याण सिंह---

नियमानुसार अधिकार नहीं था।

श्री बाबू राम शुक्ल---

मैं जानना चाहता हूं क्यों निलम्बित किया ?

श्री अध्यक्ष---

बतला तो दिया कि अधिकार नहीं था।

श्री रियासत हुसैन---

माननीय मन्त्री को मजबूर किया गया इस्तीफा देने पर और उनका इस्तीफा मन्जूर कर लिया गया तो क्या इसका यही कारण था कि उन्होंने इन संस्थाओं का मुआयना किया जिसका उनको अधिकार नहीं था ?

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)---

अनेक अधिकारियों तथा डाक्टरों के खिलाफ भूतपूर्व उप मन्त्री महोदय ने आख्या प्रस्तुत की और क्योंकि उनकी आख्या उनके खिलाफ थी इसलिए माननीय उप मन्त्री के विरुद्ध फौरन कार्यवाही हो गयी तो क्या सरकार उन अधिकारियों एवं डाक्टरों के विरुद्ध भी उतनी ही जल्दी कार्यवाही करेगी जितनी जल्दी भूतपूर्व उप मन्त्री के विरुद्ध की गयी ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने इस्तीफा दिया, कार्यवाही नहीं हुई थी। लिहाजा यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री सुखपाल पाण्डेय---

जिन-जिन जिलों में माननीय उप स्वास्थ्य मन्त्री ने निरीक्षण किया था उसकी आख्या स्वास्थ्य निदेशक, प्रधानाचार्य या सी0एम0ओ0 से मंगायी जा रही है जब कि यही है कि, उन स्थानों पर सी0एम0ओ0 उस भ्रष्टाचार में स्वयं लिप्त हैं तो उनके खिलाफ किसी दूसरे माध्यम से जाँच कराई जायगी ?

श्री कल्याण सिंह—

उन्होंने जो आख्या निरीक्षण की दी है उसमें कहीं भी सी0एम0ओ0के विरुद्ध कोई बात नहीं है। अगर सी0एम0ओ0 के विरुद्ध कोई बात होगी तो उसके ऊपर के अधिकारी से ही जाँच करायेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

इन शिकायतों के बारे में क्या उप स्वास्थ्य मन्त्री जी से कोई लिखित या मौखिक वार्तालाप हुई तो मन्त्री जी ने क्या उत्तर दिया और स्वास्थ्य सेवा निदेशक को जो 5, 6 जगह तुरन्त कार्यवाही के लिए लिखा गया तो किन तारीखों को लिखा गया और तुरन्त के क्या अर्थ हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

भूतपूर्व उप स्वास्थ्य मन्त्री ने दौरा किया तो मुझे कोई इंस्पेक्शन रिपोर्ट उन्होंने नहीं दी और त्याग-पत्र देने के दो दिन बाद तक भी उन्होंने कोई चर्चा इस सम्बन्ध में नहीं की। इस लिए इस प्रश्न का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

दूसरा प्रश्न यह है कि स्वास्थ्य मन्त्री जी ने रिपोर्ट मंगाने के आदेश कब दिए ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसका उत्तर नहीं आया कि कौन सी तारीखें थीं जब लिखा गया। दूसरे तुरन्त का अर्थ वर्तमान डिक्शनरी में क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

डिक्शनरी तो आप स्वयं देखिएगा।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, जनता पार्टी सरकार की डिक्शनरी में तुरन्त का अर्थ तुरन्त है। 30 साल की विरासत में जो आपने दिया कि सालों लटकाते रहे, वह नहीं है। माननीय भूतपूर्व स्वास्थ्य मन्त्री जी ने जो आख्या दी है वह मुख्य मन्त्री जी को डायरेक्ट दी थी और वहाँ से 19 अगस्त, 1977 को आया। कुछ निरीक्षण जुलाई में किए हैं और कुछ अगस्त में किए हैं। 19 अगस्त, 1977 को मुख्य मन्त्री जी के यहाँ से आया। 14 सितम्बर, 1977 को स्वास्थ्य सेवा निदेशक को यह लिखा गया था कि जितनी रिपोर्ट आई है उस पर पैराबाइज पूरी आख्या हमको दे दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यानी प्रश्न के बाद। तुरन्त की परिभाषा आपकी यही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मन्त्री जी ने अपने इंस्पेक्शन में. . .

श्री कल्पनाथ सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है

श्री अध्यक्ष—

नेगी जी, माफ कीजिए। मैंने पहले कल्पनाथ सिंह जी को बुलाया था।

श्री कल्पनाथ सिंह—

उत्तर में सरकार की तरफ से कहा गया है कि 12 वर्षीय लड़की की बीमारी में कई सौ रुपए की दवाई बाजार से खरीदवाई गयी और उसकी जाँच में यह मालूम हुआ कि कोई अनियमितता नहीं बरती गयी। मैं जानना चाहता हूं कि यह जाँच किस अधिकारी ने की कि जिसमें बाहर से दवा खरीदना और अस्पताल में दवा रहना दोनों बातें साबित नहीं हुयीं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि गोरखपुर मेडिकल कालेज में. . .

श्री अध्यक्ष—

एक ही प्रश्न पूछिए। कानपुर के बारे में आपने प्रश्न पूछा है।

श्री कल्याण सिंह—

जिस ओर माननीय सदस्य ने संकेत किया है तो जाँच मुख्यालय के संयुक्त निदेशक से कराई गई।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मन्त्री जी ने जाँच की तो मौके पर अनियमितताएं देखीं। उस पर यकीन न करके अब अधिकारियों से रिपोर्ट माँगी जा रही है। जब माननीय मन्त्री जी ने अनियमितता पकड़ी तो उसी पर उनको चार्जशीट क्यों नहीं दी ?

श्री कल्याण सिंह—

हम उनसे स्वयं से आख्या नहीं माँग रहे हैं उनके ऊपर का अधिकारी आख्या देगा। आप मुझसे सहमत होंगे कि नेचुरल जस्टिस का भी तकाजा है कि पूरे ब्योरे में जायं और जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम न उठा लें जिससे कि बाद में कोई लाँछन आए। इसलिए जो भी कदम उठाएं वह पूरी जानकारी के बाद उठाएं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, इस पूरे मामले की एक सदन की कमेटी से जाँच करा लें।

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

भूतपूर्व उप स्वास्थ्य मन्त्री स्वरूप रानी मेडिकल कालेज में दौरे पर गए थे। उनका जो घेराव हुआ और अभद्र व्यवहार हुआ, क्या यह सही है और यदि हाँ, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, भूतपूर्व स्वास्थ्य उप मन्त्री जी ने अपने इंस्पेक्शन नोट में यह चर्चा की है कि वहां गुटबन्दी है, पार्टी बन्दी है। उन्होंने यह भी चर्चा की है कि उनका घेराव भी किया गया और घेराव में एक भूतपूर्व मन्त्री जी थी, उनके लड़के का हाथ है। यह सब उसमें आया है।

बाबा राम अधार यादव—

उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, इसकी जांच जैसा कि अभी कहा था वहां के सी0एम0ओ0 के बजाय अतिरिक्त निदेशक द्वारा छानबीन करवायेंगे। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जब उप-स्वास्थ्य मन्त्री कानपुर के लाला लाजपतराय अस्पताल में गए और जो कुछ उन्होंने वहां देखा उसमें उन्होंने वहां के मरीजों की तालिकाओं पर 4 डाक्टरों का सस्पेंशन लिखा ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, मैं अगर आप अनुमति दें तो संक्षिप्त म पढ़ देता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप सिर्फ इतना बताइए कि क्या उन्होंने मरीजों की तख्तियों पर डाक्टरों के सस्पेंशन की बात लिखी ?

श्री कल्याण सिंह—

इसकी जानकारी करनी होगी।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, क्या स्वास्थ्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व उप स्वास्थ्य मन्त्री जी. . . . ?

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी—

माननीय मन्त्री जी ने बताया नहीं।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि सूचना प्राप्त करनी पड़ेगी।

श्री देव बहादुर सिंह—

माननीय भूतपूर्व उप मन्त्री जी ने जो अचानक निरीक्षण किया उसमें भ्रष्टाचार और चोरी का मामला पकड़ा। उस पर जो तुरन्त कार्यवाही हुई, उसमें मन्त्री जी को ही बरखास्त किया गया।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई प्रश्न नहीं है।

(प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने पर)

एक सदस्य—

मान्यवर, इसमें 49 में आधे घंटे की चर्चा करायें।

श्री चेतराम गंगवार—

मेरा एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मैं सौ बार उठा. . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए ।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें। मैं आपका आदर करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आदेश दे रहा हूं, आप बैठिए ।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, मैं आपका आदर करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप नहीं बैठेंगे और फिर खड़े होंगे तो मैं कहूंगा कि आप सदन छोड़ें ।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, आधे घंटे की इस पर चर्चा करा दें ।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर दे दें, आप नियम 49 जानते हैं, लिख कर दे दीजिए ।

[माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री की प्रार्थना पर स्थगित, 22 सितम्बर, 1977 (3रे गुरुवार) के तारांकित प्रश्न]

गावों में स्वीकृत पेयजल योजनाएं

*1—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि प्रदेश के प्रत्येक गांव में स्वच्छ पेय जल नागरिकों को उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार कोई योजना युद्ध स्तर पर पूर्ण करने के लिए तैयार कर ली है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

स्वायत्त शासन उप मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश)—

जी हां ।

योजना चरणों में तैयार की जा रही है। प्रथम चरण में प्रदेश के 25 जनपदों के 2736 ग्रामों में पेयजल व्यवस्था करने के लिए 142 पेयजल योजनाएं जिनकी अनुमानित लागत 5619–143 लाख रु0 हैं, भारत सरकार को 19 जुलाई, 1977 को स्वीकृतार्थ भेज दी गयी है ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि केन्द्र सरकार ने इन योजनाओं के बारे में क्या-क्या निर्देश दिए हैं ? और आप जब जनपदों का चयन करते हैं तो उसका आधार क्या रखते हैं ?

श्री सत्य प्रकाश—

आधार तो यही है कि जिन ग्रामों में जल का संकट है यानी जो प्राब्लम विलेजेज कहलाते हैं, वहां पर हम जल देने की व्यवस्था करते हैं। इस तरह से सम्पूर्ण ग्रामों को दो हिस्सों में विभक्त किया गया है। पहला जहां जल का अभाव है और दूसरे जहां पानी का अभाव नहीं है ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

इस योजना में बलिया जनपद शामिल है या नहीं ? क्योंकि वहां पर जल का अभाव है जबकि योजना का अधिकांश धन इलाहाबाद जनपद में खर्च किया जा रहा है ?

श्री सत्य प्रकाश—

25 जनपद में यह पेय जल योजना को चालू करने का विचार है। बलिया इसमें है। ये 25 जिले हैं—इलाहाबाद, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, रायबरेली, वाराणसी, आगरा, बांदा, बिजनौर, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, मुरादाबाद, सहारनपुर, उन्नाव, देहरादून व पिथौरागढ़।

अध्यक्ष, नोटीफाइड एरिया, खलीलाबाद, जिला बस्ती के विरुद्ध शिकायती-पत्र

***6—श्री सुखपाल पाण्डेय—**

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनवरी सन् 1977 से 31 जुलाई, 1977 तक अध्यक्ष, नोटीफाइड एरिया, खलीलाबाद, बस्ती के विरुद्ध कितने शिकायती-पत्र शासन, आयुक्त एवं जिलाधिकारी को प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जनवरी, 1977 से 31 जुलाई, 1977 तक अध्यक्ष, नोटीफाइड एरिया, खलीलाबाद, जिला बस्ती के विरुद्ध शासन को दो, आयुक्त को पांच तथा जिलाधिकारी को तीन शिकायती-पत्र प्राप्त हुए।

इन सभी शिकायती-पत्रों की जांच परगनाधिकारी, खलीलाबाद द्वारा करायी गयी। उनकी संस्तुति के अनुसार उक्त नोटीफाइड एरिया के विशेष आडिट के लिए कार्यवाही की जा रही है।

खलीलाबाद, बस्ती की भंग नोटीफाइड एरिया कमेटी

***7—श्री सुखपाल पाण्डेय—**

क्या सरकार नोटीफाइड एरिया, खलीलाबाद को भंग करने की सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

नोटीफाइड एरिया कमेटी, खलीलाबाद, बस्ती 11 अगस्त, 1977 से भंग कर दी गयी है।

नोट—नत्थी 'ङ' के प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

ग्राम सभा घोसिया, माधो सिंह, सुरियावां (वाराणसी) को टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव

*10—श्री श्यामधर मिश्र—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1—घोसिया, 2—माधोसिंह, 3—सुरियावां, वाराणसी को अलग-अलग टाउन एरिया बनाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसमें विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां ।

घोसिया तथा माधोसिंह को मिलाकर एक टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव सितम्बर, 1976 में प्राप्त हुआ था। आयुक्त, वाराणसी मण्डल की रिपोर्ट मंगाई गई। उन्होंने सूचित किया कि प्रस्तावित टाउन एरिया में 4 गांव सभाएं जयरामपुर, माधोसिंह, घोसिया तथा ममौरा शामिल किये जाने का प्रस्ताव है। इसमें से ग्राम सभा घोसिया तथा ममौरा टाउन एरिया बनाने के विरुद्ध थीं। अतः यह प्रस्ताव उस समय समाप्त कर दिया गया। अगस्त, 1977 में ग्राम घोसिया के निवासियों ने शासन को लिखा कि उस गांव सभा को टाउन एरिया घोषित किया जाय। घोसिया को टाउन एरिया घोषित करने का निर्णय लिया जा चुका है, किन्तु आवश्यक विज्ञप्ति जारी करने के लिए गाटा संख्या इत्यादि की आवश्यकता होती है। इसके लिए पूरा विवरण जिला अधिकारी से माँगा गया है और विवरण प्राप्त होते ही इसे टाउन एरिया घोषित कर दिया जायगा।

माधो सिंह को अलग से टाउन एरिया बनाने के विषय में 1976 के बाद कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी से कहा गया है कि वे इस सम्बन्ध में अपनी संस्तुति भेजें। उनकी संस्तुति प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

सुरियावां बाजार को टाउन एरिया बनाये जाने के सम्बन्ध में जनता से एक प्रार्थना-पत्र अगस्त, 1977 में प्राप्त हुआ। 25 अगस्त, 1977 को जिलाधिकारी की संस्तुति और पूरा विवरण मांग गया है जिसके प्राप्त होने पर प्रस्ताव का परीक्षण किया जायेगा।

कानपुर नगरमहापालिका सीमा में श्रमिक बस्तियां निर्माण हेतु उद्योगपतियों को भूमि का आवंटन

*14—श्री बाबू राम शुक्ल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर महापालिका सीमा में श्रमिक बस्तियां बनाने के लिए किस उद्योगपति को कितनी जमीन किस भाव पर गत पांच वर्षों में दी गयी ? यदि उन्होंने श्रमिकों के लिए क्वार्टर नहीं बनाए तो उस जमीन का क्या उपयोग किया और शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

कानपुर नगर महापालिका सीमा में श्रमिक बस्तियां बनाने के लिए विगत पांच वर्षों में किसी भी उद्योगपति को कोई जमीन आवंटित नहीं की गयी है।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका हरिद्वार के कर्मचारियों द्वारा आंशिक हड़ताल

*15--श्री राजकुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत 14 जुलाई, 1977 को जिन तत्वों ने नगरपालिका हरिद्वार के कर्मचारियों की हड़ताल कराकर केवल एक दिन में यात्री-कर की लगभग 15,000 रु0 की हानि कराई एवं हड़ताल की पूर्व सूचना प्राप्त होने पर भी जिन अधिकारियों ने उक्त हानियों को रोकने का प्रयास नहीं किया उनके खिलाफ क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

नगरपालिका हरिद्वार में म्युनिसिपल बोर्ड कर्मचारी यूनियन द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 1977 को हड़ताल कराई गई जो केवल आंशिक रूप से प्रातः 6 बजे से दोपहर के दो बजे तक रही। नगरपालिका हरिद्वार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उस दिन आंशिक हड़ताल से केवल 1,352 रुपए की यात्री-कर की आय में अनुमानित हानि हुई। नगरपालिका हरिद्वार प्रशासन द्वारा तत्काल कार्यवाही करके आर्थिक हड़ताल भी शीघ्र समाप्त करा दी गयी। अतः अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

पडरौना नगरपालिका (देवरिया) के कर्मचारियों की भविष्य निधि धनराशि

*16--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद मे पडरौना नगरपालिका के कर्मचारियों के भविष्य-निधि के तीस हजार रुपए (अप्रैल, मई, जून तथा जुलाई, 1977) भविष्य-निधि कोष में जमा न कराकर पालिका परिषद् ने अवैध रूप से खर्च कर दिए हैं ? यदि हां, तो शासन उसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

देवरिया जनपद में पडरौना नगरपालिका के कर्मचारियों के माह मार्च, 1977 से माह जुलाई, 1977 तक की भविष्य-निधि की धनराशि रु0 12,212.51 कर्मचारियों के भविष्य-निधि खाते में पालिका द्वारा जमा नहीं की गयी है। इस धनराशि को कहीं अन्यत्र व्यय नहीं किया गया है। जिला मैजिस्ट्रेट, देवरिया को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि उक्त धनराशि कर्मचारियों के भविष्य-निधि खाते में तत्काल जमा कराने की व्यवस्था करें।

टाउन एरिया के धन के दुरुपयोग एवं गबन की जांच

*20--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के टाउन एरिया कप्तानगंज के चेयरमैन को गोरखपुर मण्डल के आयुक्त ने टाउन एरिया के धन के दुरुपयोग एवं गबन के सम्बन्ध में दिनांक 20 नवम्बर, 1976 को कोई आरोप-पत्र दिया था। यदि हां, तो चेयरमैन कप्तानगंज का स्पष्टीकरण उन्हें कब प्राप्त हुआ और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हां।

आयुक्त, गोरखपुर मण्डल द्वारा बार-बार समय दिए जाने के बाद भी चेयरमैन द्वारा आरोप-पत्र पर कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रश्नगत टाउन एरिया 11 अगस्त, 1977 से भंग कर दी गयी है और अध्यक्ष अब अपने पद से हट गए हैं। इस टाउन एरिया का प्रशासन अब जिला अधिकारी के पास है।

अध्यक्ष, टाउन एरिया कमेटी, मीरानपुर कटरा, जिला शाहजहांपुर के विरुद्ध आरोपों की जांच

*21--श्री मुनीन्द्र पाल सिंह (जिला पीलीभीत)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर के टाउन एरिया मीरानपुर कटरा के चेयरमैन के विरुद्ध गलत कार्य करने तथा भ्रष्टाचार आदि की जो लिखित शिकायत जून, 1977 में वेद प्रकाश आदि द्वारा मुख्य सचिव से की गयी और जिसमें फोटो स्टेट कापी भी नत्थी है उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हा।

अध्यक्ष, टाउन एरिया कमेटी, मीरानपुर कटरा, जिला शाहजहांपुर के विरुद्ध लगाए गये आरोपों के सम्बन्ध में जिला अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जाच करा ली गयी है और जिलाधिकारी ने, जो टाउन एरियाओं के सम्बन्ध में नियत प्राधिकारी भी हैं, नियमानुसार अध्यक्ष से आरोपों के सम्बन्ध में उनका स्पष्टीकरण मांगा। स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी थी परन्तु इसी बीच प्रदेश की अन्य स्थानीय निकायों के साथ यह टाउन एरिया भी भंग कर दी गयी है। जिलाधिकारी से अब यह कह दिया गया है कि जो आरोप सही पाए गए हैं उनके आधार पर अध्यक्ष के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें।

पटेलनगर कालोनी के मकानों के मूल्यों में विरोधाभास

*23--श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने पटेल नगर कालोनी के सन् 1976 के अन्त में बेचे गए मकानों को उनकी लागत मूल्य में अल्प आय वर्ग के दो कमरों के मकानों में आच्छादित क्षेत्र का मूल्य 58 रुपए प्रति वर्गफुट से जोड़ा व मध्यम श्रेणी के मारबिल के फर्श वाले मकानों में आच्छादित क्षेत्र का मूल्य 47 रुपए प्रति वर्ग फुट से जोड़ा ? यदि हां, तो यह विरोधाभास क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

सूचना एकत्र की जा रही है।

[दिनांक 29 सितम्बर, 1977 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

विभिन्न नगरपालिकाओं तथा नगरमहापालिकाओं के जलकल विभाग द्वारा जांच हेतु भेजे गए पानी के नमूने

*1---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1977 में प्रदेश की विभिन्न नगरपालिकाओं तथा नगर महापालिकाओं के जलकल विभाग द्वारा की जा रही जल-आपूर्ति में से कितने पानी के नमूने इस जांच हेतु लिए गए कि वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त हैं अथवा नहीं ? उनमें से कितने नमूने मानव उपयोग के लिए अयोग्य पाए गए और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

माह जून, 1977 में प्रदेश की 46 नगर महापालिकाओं एवं नगर पालिकाओं ने संयुक्त निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान मेडिकल कालेज, लखनऊ एवं अन्य प्रयोगशालाओं को रासायनिक जल विश्लेषण के लिए पानी के नमूने भेजे जिनमें से 43 पालिकाओं के नमूनों को सन्तोषजनक एवं शेष 3 पालिकाओं के नमूनों को असन्तोषजनक घोषित किया गया ।

इसके अतिरिक्त 82 नगर महापालिकाओं एवं नगर पालिकाओं ने 455 पानी के नमूने जीवाणु (बैक्टेरियाजिकल) विश्लेषण हेतु राज्य स्वास्थ्य संस्थान एवं अन्य प्रयोगशालाओं को भेजे, जिसमें से 383 नमूनों को सन्तोषजनक एवं 72 नमूनों को असन्तोषजनक घोषित किया गया ।

सभी जल कलों को जल वितरण नियम के अनुसार पानी की जांच करने हेतु तथा पानी में क्लोरीन को उचित मात्रा में तथा सही ढंग से इस प्रकार मिलाने के लिए आवश्यक निर्देश समय-समय पर दिए जाते हैं जिससे पानी के नमूनों की जांच के समस्त परिणाम सन्तोषजनक निकलें तथा जन स्वास्थ्य को हानि की सम्भावना न हो सके ।

लक्ष्मी शुगर मिल, महोली, जिला सीतापुर के श्रमिकों का बकाया वेतन

*2---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लक्ष्मी शुगर मिल, महोली, जिला सीतापुर पर श्रमिकों का दिनांक 31 जुलाई, 1977 को कितने माह का वेतन बकाया था तथा उसको दिलाने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किया गया ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी---

लक्ष्मी जी शुगर मिल्स कं0 (प्रा0) लि0 महौली (सीतापुर) के श्रमिकों का 5 माह का वेतन (मार्च, 1977 से जुलाई, 1977) भुगतान हेतु 31 जुलाई, 1977 को बकाया था ।

मार्च अप्रैल तथा मई के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में सेवायोजकों के विरुद्ध वेतन संदाय अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत निर्देश वाद दायर किया गया था जिसमें निर्णय दिया जा चुका है । शासन द्वारा रिसीवर नियुक्त कर दिया गया है ।

*3---श्री शम्भूनाथ चौधरी--

[6ठे गुरुवार के लिए स्थगित]।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा बिहार राज्य को बिजली की आपूर्ति

*4---श्री मोती लाल देहलवी तथा श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)--

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश की बिजली बिहार प्रदेश के किन-किन स्थानों पर कब से और किसके आदेश पर प्रयोग की जा रही है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

उत्तर प्रदेश की बिजली बिहार राज्य के शाहाबाद जिले में कर्मनासा पर दिनांक 30 जून, 1962 से राज्य सरकार के आदेश दिनांक 23 मई, 1959 के अनुसार रेलवे यातायात (ट्रैक्शन) के लिए प्रयोग की जा रही है। बिहार राज्य विद्युत् परिषद् एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के बीच हुए समझौते के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा कर्मनासा में स्थानीय उपभोग के लिए भी दिनांक 13 सितम्बर, 1968 से विद्युत् आपूर्ति की सहमति दी गयी।

*5---श्री गनेशी लाल चौधरी--

[दिनांक 8 सितम्बर, 1977 को तारांकित प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत उत्तरित।]

जनपद जौनपुर, विकास खण्ड रामपुर, भवानीगंज बाजार से बिजली कनेक्शन हेतु आवेदन-पत्र

*6---श्री राजकिशोर तिवारी (जिला जौनपुर)---

क्या विद्युत् मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जौनपुर जनपद, विकास खण्ड रामपुर के अन्तर्गत भवानीगंज बाजार में 1974 में कितने लोगों ने 25 रु0 शुल्क के साथ बिजली के लिए आवेदन-पत्र दिया था ? क्या उन्हें कनेक्शन दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जौनपुर जनपद के विकास खण्ड रामपुर के अन्तर्गत भवानीगंज बाजार से 1974 में कोई भी आवेदन पत्र 25 रु0 की अग्रिम धनराशि के साथ नहीं प्राप्त हुआ था। इसलिए कनेक्शन देने का प्रश्न नहीं उठता।

अवर अभियन्ता, नगरपालिका बांदा के वेतन का भुगतान

*7---श्री राम सजीवन (जिला बांदा)---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त एवं निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या 5912/ओ0एस0/16, दिनांक 23 नवम्बर, 1976 के आदेश के बाद भी अवर अभियन्ता, नगरपालिका, बांदा को माह नवम्बर, दिसम्बर, 1976 के वेतन का भुगतान अध्यक्ष, नगरपालिका, बांदा द्वारा कर दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अध्यक्ष से कितना धन सरचार्ज का वसूल किया है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हां। चूंकि बाद में निदेशक, स्थानीय निकाय ने अपने पत्र दिनांक 25 जून, 1977 में अवर अभियन्ता के कार्यभार से मुक्त होने की तिथि तक के अवशेष वेतन के भुगतान के आदेश पारित कर दिए, अतः अध्यक्ष, नगरपालिका, बांदा से धन सरचार्ज के रूप में वसूलने का प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका, बांदा द्वारा फर्मों से खरीदा गया कथित सामान

*8--श्री राम सजीवन--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1976-77 तथा जून, 1977 तक नगरपालिका बाँदा में किन-किन फर्मों से कितने-कितने रुपए का तारकोल, स्टेशनरी, फर्नीचर, गिट्टी, बालू व बिजली का सामान खरीदा गया ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि उक्त खरीदारी के पूर्व किसी भी फर्म से कोटेशन नहीं माँगे गए ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

वर्ष 1976-77 तथा जून, 1977 तक नगरपालिका, बाँदा ने जिन-जिन फर्मों से जितने-जितने रुपयों का तारकोल, स्टेशनरी, फर्नीचर, गिट्टी तथा बिजली का सामान खरीदा, उसकी सूचना संलग्न है ।

प्रश्नगत अवधि में नगरपालिका, बाँदा द्वारा बालू की खरीदारी नहीं की गयी। क्रय के पूर्व उपरोक्त सभी सामानों के कोटेशन प्राप्त किए गए थे ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1132 पर।)

*9--श्री ऊदल--

[स्पस्टीकरण हेतु हटाया गया।]

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा वोल्ट मीटर की सम्पूर्ति

*10--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि राज्य विद्युत् परिषद् ने वर्ष 1977 में वोल्ट मीटर की सम्पूर्ति एक कम्पनी से करीब दस लाख रुपए की बिना निविदा आमंत्रित किए और बिना इसको समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए हुए ले लिया है ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या सरकार इसे निरस्त करने के लिए कार्यवाही करेगी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी नहीं ।

वर्ष 1977 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने 10 लाख रुपए के वोल्ट मीटर की खरीदारी किसी एक कम्पनी से बिना निविदा आमंत्रित किए और समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए नहीं की है ।

फतेहपुर जिले में मलेरिया का प्रकोप

*11—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि फतेहपुर जिले में इस समय मलेरिया का भारी प्रकोप चल रहा है ? यदि हाँ, तो सरकार ने अब तक उसके रोकने का क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री कल्याण सिंह—

फतेहपुर जिले में मलेरिया का प्रकोप है ।

वहाँ मलेरिया के प्रकोप को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) जनपद के 104 बेसिक हेल्थ वर्करों के क्षेत्रों में से 92 के प्रभावित क्षेत्रों में कीट-नाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है । शेष 12 बेसिक हेल्थ वर्कर के क्षेत्रों में फोकल छिड़काव किया जा रहा है ।

(2) ज्वर से पीड़ित मामलों में उपचार देने के लिए व्यवस्था की गयी है ।

(3) जनपद में 492 ज्वर उपचार केन्द्र स्थापित किए गए हैं ।

(4) जनपद में जून, 1977 से 13 मलेरिया क्लीनिक कार्य कर रहे हैं । यहाँ रक्त पट्टिकाएं बना कर खून की जाँच करके धनात्मक केसेज का उपचार किया जाता है ।

(5) जनपद में 5.25 लाख मलेरिया निरोधक गोलियाँ उपलब्ध कराई गई हैं । इनमें से 3.40 लाख गोलियाँ खर्च हो चुकी हैं ।

राज्य विद्युत् परिषद् के विद्युत् गृहों द्वारा बिजली का उत्पादन

*12—श्री ऊदल—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मई सन् 1977 में कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन था और जून-जुलाई, 1977 में कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है ? क्या उत्पादन बढ़ाने हेतु किसी वृहद् योजना के ऊपर भी विचार हो रहा है ? यदि हाँ, तो योजनाएं (थर्मल तथा जल विद्युत् की) कहाँ-कहाँ कितने मेगावाट की हैं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

†वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1133—1137 पर)

*13—श्री बसन्त—

[6ठे गुरुवार के लिए स्थगित] ।

उप आबकारी आयुक्त, मेरठ के अधिकार क्षेत्र में देशी तथा विदेशी शराब के ठेकेदारों पर बकाया धनराशि

*14—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उप आबकारी आयुक्त, मेरठ के अधिकार क्षेत्र में देशी तथा विदेशी शराब के ऐसे कितने ठेकेदार हैं जिन पर वित्तीय वर्ष 1975–76 तथा 1976–77 में लाइसेन्स फीस की बकाया धनराशि शेष रह गयी थी ? उक्त बकाया को वसूल करने के लिए प्रत्येक के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

उप आबकारी आयुक्त, मेरठ के अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 1975–76 में देशी शराब के 15 ठेकेदार तथा वित्तीय वर्ष 1976–77 में देशी शराब के 165 ठेकेदार और विदेशी मदिरा के 109 ठेकेदार ऐसे हैं जिन पर लाइसेन्स फीस की बकाया धनराशि शेष रह गयी थी। वर्ष 1975–76 में विदेशी मदिरा की दुकानों का नीलाम नहीं हुआ था अतएव लाइसेन्स फीस के बकाए का कोई प्रश्न नहीं उठता है। सभी बाकीदारों से बकाया धनराशि वसूल होने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जल-कल कर्मचारी, गोरखपुर द्वारा आकस्मिक हड़ताल

*15—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 5 एवं 6 जुलाई, 1977 को गोरखपुर जल-कल कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी इससे पूरे शहर में दो दिन जल-वितरण ठप्प हो गया था? यदि हाँ, तो क्या हड़ताल की सूचना शासन को थी? यदि नहीं, तो इस अवैधानिक कार्य के विरुद्ध शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

नगरपालिका गोरखपुर के जलकल विभाग के कर्मचारियों तथा पालिका के समस्त कर्मचारियों ने केवल 5 जुलाई, 1977 को सामूहिक हड़ताल की थी जिसके कारण शहर में जल आपूर्ति केवल साढ़े 4 घंटे प्रभावित रही।

जी नहीं।

उक्त हड़ताल पूर्व नियोजित न होकर केवल आकस्मिक थी अतः प्रशासनिक दृष्टिकोण से तथा जनहित को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

पी० पी० स्कीम के अन्तर्गत लखनऊ में मिडवाइफ्स (ए०एन०एम०) के सृजित पद

*16—श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि परिवार नियोजन के पी0 पी0 स्कीम के अन्तर्गत लखनऊ खास के विभिन्न केन्द्रों पर प्रत्येक पर अलग-अलग कितनी-कितनी मिड-वाइफ्स (ए0 एन0 एम0) के स्थान सृजित किए गए हैं और कहाँ-कहाँ पर अभी तक नियुक्तियाँ नहीं की गयी हैं? क्या यह सही है कि अधिकाँश केन्द्रों पर ए0 एन0 एम0 के स्थान पर अप्रशिक्षित कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है जिससे कार्य में कठिनाई होती है? यदि हाँ, तो क्यों और शासन कब तक इन स्थानों पर प्रशिक्षित ए0 एन एम0 को नियुक्त करके उक्त पदों की उपयोगिता को सार्थक करेगा?

श्री कल्याण सिंह—

पी0 पी0 स्कीम के अन्तर्गत लखनऊ नगर में दो प्रसवोत्तर केन्द्र कार्यरत हैं। एक जिला स्तरीय महिला चिकित्सालय में राज्य सरकार द्वारा तथा दूसरा मेडिकल कालेज के क्वीन मेरी चिकित्सालय में सहायक अनुदान द्वारा संचालित है।

इनमें भारत सरकार द्वारा संशोधित पैटर्न के अनुसार प्रत्येक केन्द्र पर दो ए0एन0 एम0 के पदों का प्राविधान किया गया है। क्वीन मेरी चिकित्सालय के अधीन सहायक अनुदान से संचालित पोस्ट मार्टम केन्द्र में एक प्रशिक्षित ए0एन0एम0 पहले से ही कार्यरत है। ए0एन0 एम0 के दूसरे पद को भरने के लिए संस्था के द्वारा विज्ञापन दिया जा चुका है।

महिला चिकित्सालय, लखनऊ में ए0एन0एम0 के दो स्वीकृत पदों में से एक पद रिक्त है तथा दूसरे पद पर ए0एन0एम0 के स्थान पर प्रसार शिक्षक (महिला) कार्यरत है जो ए0एन0एम0 का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। पुनरीक्षित पैटर्न को लागू किए जाने के फलस्वरूप फालतू होने वाले कर्मचारियों के समायोजन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जब तक पुराने पैटर्न के अनुसार नियुक्त कर्मचारियों को कहीं और न खपा लिया जाय तब तक उन्हें अस्थायी तौर से अपने पदों पर चलते रहने दिया जाय। इसी छूट के अधीन महिला चिकित्सालय, लखनऊ में ए0एन0एम0 के एक पद पर एक महिला प्रसार शिक्षक कार्य कर रही है।

भारत सरकार द्वारा अपेक्षित संशोधित पैटर्न को प्रदेश में 31 दिसम्बर, 1977 तक लागू किए जाने की अवधि बढ़ाने के लिए भारत सरकार को लिखा जा रहा है तथा ए0एन0एम0 के एक रिक्त पद और प्रसार शिक्षक के पद पर ए0एन0एम0 को नियुक्ति करने की कार्यवाही की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

राज्य विद्युत् परिषद् के आर०जी०सी०एस० कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान

1—श्री राम चरन शाह (जिला खीरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य विद्युत् परिषद् के अधीनस्थ कार्यरत आर0 जी0 सी0 एस0 कर्मचारियों को दिनाँक 1 अप्रैल, 1969 से 190—376 का वेतनमान औद्योगिक न्यायाधिकरण पंचम ने मई, 1977 में दिए जाने का अपना निर्णय दे दिया है? परन्तु अभी तक इस निर्णय के पालन न किए जाने के क्या कारण हैं और कब तक उसका पालन होगा?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी नहीं।

अभी तक औद्योगिक न्यायाधिकरण का इस सम्बन्ध में कोई निर्णय राज्य विद्युत् परिषद् में प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उसके पालन करने का प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका बांदा के श्री ब्रज मोहन त्रिपाठी की खजांची के पद पर नियुक्ति

2—श्री राम सजीवन तथा श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बाँदा)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका बाँदा के किसी खजाँची की सेवाएं 4 अक्तूबर, 1975 को समाप्त कर दी गयी थीं? क्या यह सत्य है कि उक्त खजाँची की पुनः नियुक्ति खजाँची के पद पर जून, 1976 में कर दी गयी है? क्या सरकार को यह जानकारी है कि उक्त जूनियर कर्मचारी की एकाउन्टेण्ट के पद पर पदोन्नति भी कर दी गयी है? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

जी हाँ। यह भी सत्य है कि भूतपूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका बाँदा ने मुन्सिफ बांदा के न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनाँक 10 अक्तूबर, 1975 को देखते हुए अपने आदेश दिनाँक 13 मई, 1976 व 15 जून, 1976 के अन्तर्गत श्री ब्रज मोहन त्रिपाठी को पुनः खजाँची के पद पर कार्य करने के लिए आदेश दिया। दिनाँक 1 मार्च, 1977 को नगरपालिका में एकाउन्टेण्ट पद पर भूतपूर्व एकाउन्टेंट के सेवा निवृत्त होने के कारण रिक्त होने पर भूतपूर्व अध्यक्ष नगरपालिका बाँदा के आदेश दिनाँक 1 मार्च, 1977 के अन्तर्गत श्री त्रिपाठी जिनसे, यद्यपि कई वरिष्ठ कर्मचारी इस पालिका में कार्यरत थे की नियुक्ति एकाउन्टेन्ट के पद पर दिनाँक 1 मार्च, 1977 से कर दी गयी है। इसकी पुष्टि नगरपालिका बाँदा बोर्ड ने प्रस्ताव संख्या 44-12 दिनाँक 18 अप्रैल, 1977 के अन्तर्गत की है। इस अनियमितता हेतु अध्यक्ष नगरपालिका बाँदा के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने पर विचार किया जा रहा था। इसी बीच बोर्ड भंग हो गया।

नगरपालिका बांदा के कर्मचारियों के बकाए धन का भुगतान

3---श्री राम सजीवन तथा श्री सुरेन्द्र पाल---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतायेंगे कि वर्ष 1971-72 का नगरपालिका बाँदा के कर्मचारियों का बकाया धन किस तिथि को दिया गया? क्या यह सत्य है कि उक्त एरियर को अन्य किसी मदों में खर्च कर दिया गया है? यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

नगरपालिका बाँदा के कर्मचारियों के बकाया धन का भुगतान अप्रैल-मई, 1975 में किया गया। यह धनराशि रु0 1,43,519.47 थी। तदुपरान्त दिसम्बर, 1976 में 558 रु0 तथा जून, 1977 में 954 रु0 का भुगतान भी किया है। इस प्रकार कुल 1,45,031.47 का भुगतान किया जा चुका है। लगभग 12 हजार रु0 की धनराशि को पालिका ने अन्य मदों में व्यय कर लिया है।

जहाँ तक इस विषय में कार्यवाही किए जाने का सम्बन्ध है नगरपालिका बाँदा को आरोप-पत्र जारी किया गया था तथा उसके अवक्रमित किए जाने की कार्यवाही की जा रही थी। इस बीच बोर्ड विघटित हो गया।

मुहल्ला उमरपुर, हरिबन्धनपुर, वार्ड औलनगंज, जौनपुर में बिजली कनेक्शन हेतु आवेदन-पत्र

4---श्री राज किशोर तिवारी---

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुहल्ला उमरपुर, हरिबन्धनपुर, वार्ड औलनगंज, जौनपुर में कितने लोगों ने जनवरी, 1976 में आवासीय बिजली कनेक्शन के लिये शुल्क के साथ आवेदन-पत्र दिया है? क्या उन्हें कनेक्शन दे दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जनवरी, 1976 में मुहल्ला उमरपुर हरिबन्धनपुर, वार्ड औलनगंज जौनपुर में 6 व्यक्तियों ने आवासीय बिजली कनेक्शन लेने हेतु 25 रु0 की धनराशि के साथ आवेदन पत्र परिषद् के कार्यालय में जमा किए थे ।

इन 6 प्रार्थियों को कनेक्शन नहीं दिया जा सका क्योंकि इससे 15 प्रतिशत प्रतिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा था।

कार्डियोलाजी विभाग, कानपुर मेडिकल कालेज का गायब कैमरा व अन्य सामान

5—श्री बाबू राम शुक्ल तथा डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि कानपुर मेडिकल कालेज के कार्डियोलाजी विभाग के सामान मे से एक मूल्यवान विदेशी "कैमरा" व कुछ अन्य सामान को बदल कर उसके स्थान पर अन्य साधारण वस्तुएं रख दी गयी हैं ? तथा कुछ उपकरण गायब भी हैं ? यदि हां, तो क्या सारे सरकारी सामान का स्पेशल आडिट सरकार ने करा लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

यह सही नहीं है कि कानपुर मेडिकल कालेज के कार्डियोलाजी विभाग के विदेशी कैमरा व अन्य सामान को साधारण वस्तुओं से बदला गया और कोई उपकरण गायब किया गया ।

राज्य विद्युत् परिषद् के दैनिक श्रेणी कर्मचारियों का औद्योगिक न्यायाधिकरण (पंचम) मेरठ को प्रेषित अधिनिर्णय

6—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि औद्योगिक न्यायाधिकरण (पंचम), मेरठ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के दैनिक श्रेणी लिपिकों (आर0जी0सी0) के विवाद संख्या 24/1973 में अपना अधिनिर्णय राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस अधिनिर्णय को सरकार कब तक प्रकाशित करेगी और अधिनिर्णय क्या है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां, अभिनिर्णय प्राप्त हुआ था मगर उसमें कुछ असंगतियों के कारण उसे पुर्नविचार हेतु औद्योगिक न्यायाधिकरण (पंचम), मेरठ को भेज दिया गया है जो अभी उनके विचाराधीन है ।

नगरपालिका सीतापुर में पट्टे पर दी गयी भूमि

7—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, सीतापुर में नगरपालिका द्वारा वर्ष 1975-76 तथा 1977 (जुलाई तक) में अपनी (नजूल की) कितनी-कितनी भूमि किस-किस व्यक्ति को पट्टे पर दी गयी तथा क्या नगरपालिका द्वारा पट्टे पर दिए जाने की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

नगरपालिका, सीतापुर के प्रबन्धाधीन नजूल भूमि शासकीय सम्पदा है। नगर-पालिका, सीतापुर में 1975-76 तथा 1977 (जुलाई तक) की अवधि में प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर श्री हाजी तफज्जुल हुसैन को 207 वर्ग गज भूमि पट्टे पर दी गयी तथा नगर पालिका के माध्यम से प्राप्त दो प्रस्ताव शासन के विचाराधीन हैं जिनके विवरण निम्नवत् हैं :—

(1) मुहल्ला तानसेन गंज में स्थित नजूल भूखण्ड संख्या 333 में से 100 वर्ग फिट भूमि श्री बाबू राम सोनकर को देने के सम्बन्ध में।

(2) मुहल्ला तानसेनगंज (ग्रीकगंज) में स्थित 341 वर्ग फिट नजूल भूमि जामा मस्जिद के नाम स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

अमीनाबाद, लखनऊ में देशी मदिरा की दुकान की नीलामी

8—श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ शहर में अमीनाबाद की देशी शराब की दुकान वर्ष 1977-78 के लिए कितने रुपए में नीलाम हुई थी? उक्त दुकान चालू हुई कि नहीं?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

प्रश्नगत दुकान वर्ष 1977-78 के लिए 12,90,000 (रुपए बारह लाख नब्बे हजार) में नीलाम हुई थी। जन-विरोध के कारण उक्त दुकान से मदिरा की कोई बिक्री नहीं हो सकी और उसे बन्द कर दिया गया।

जिला रायबरेली व सुल्तानपुर की 'डी' क्लास डिस्पेंसरी के कार्यरत चिकित्साधिकारी

9—श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला रायबरेली व सुल्तानपुर की 'डी' क्लास डिस्पेंसरी में कौन-कौन ऐसे चिकित्साधिकारी हैं जो इन्हीं जिलों के निवासी तथा कई साल से अपने निवास के जिलों में कार्यरत हैं और किस शासनादेश व नियम के अन्तर्गत अपने ही जिलों में नियुक्त हैं?

श्री कल्याण सिंह--

जिला रायबरेली में 'डी' क्लास डिसपेंसरी में केवल एक चिकित्साधिकारी श्री शिव आधार शुक्ल अपने निवास के जिले में अप्रैल, 1974 से कार्यरत हैं।

जिला सुल्तानपुर में 'डी' क्लास डिसपेंसरीज में कोई ऐसा चिकित्सा अधिकारी कार्यरत नहीं है, जिसका आवासीय जिला सुल्तानपुर हो।

नियम के अपवाद स्वरूप दयनीय परिस्थितियों के कारण श्री शिव आधार शुक्ल अपने निवासीय जिले में नियुक्त किए गए थे, जहां वे अभी भी कार्यरत हैं।

क्षेत्रीय सहायक श्रमायुक्त, कार्यालय, लखनऊ में सेवारत श्रम निरीक्षक

10—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या श्रम मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय सहायक श्रमायुक्त, लखनऊ कार्यालय में कितने ऐसे श्रम निरीक्षक हैं जिन्हें सेवा करते इसी स्थान पर 5 वर्ष से अधिक समय बीत गया है ? उन्हें अधिक समय तक एक ही स्थान पर रखने का क्या कारण है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

क्षेत्रीय सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, लखनऊ में केवल एक श्रम निरीक्षक 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं ।

इस श्रम निरीक्षक का लड़का मानसिक रूप से विक्षिप्त है तथा बुरी तरह से जल गया है, जिसका उपचार मेडिकल कालेज, लखनऊ में हो रहा है । इस विशेष परिस्थिति में उक्त श्रम निरीक्षक का स्थानान्तरण एक वर्ष के लिए रोक दिया गया है ।

जिला टेहरी गढ़वाल में चिकित्सक विहीन अस्पताल

11—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल में कौन-कौन से ऐसे एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक अस्पताल हैं जिनमें अभी तक चिकित्सक नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जिला टेहरी गढ़वाल में कोड़ी पतवारी, रबबारा, नैनबाग, चौपड़ीयाल गांव, पौड़ीखाल, जखंड, पाबकीदेवीडोगी, चमियाला छेरपधार, बैजवारी, हसरिबाखाल एवं जमानीखाल, स्टेट एलोपैथिक डिस्पेंसरी एवं सकलाना तथा सरोरखाल इन्टीग्रेटेड डिस्पेंसरी में चिकित्सक नहीं हैं । जिला अस्पताल में अधीक्षक चिकित्साधिकारी एवं चाइल्ड स्पेशलिस्ट के एक-एक पद रिक्त हैं । पुरुष चिकित्सालय टेहरी, बी0डी0 क्लीनिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चम्बा में चिकित्सकों के एक-एक पद रिक्त हैं ।

बछेलीखाल, चमियाला, खलियान, मांगला, ओनालगांव, सिद्धखोड, थाटीडांगर, चाका, नैचौली एवं खोलाकडाकोट आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्सक नहीं हैं ।

इन चिकित्सालयों में रिक्ति रहने का कारण यह है कि अधिकांश चिकित्सकों, जिनकी तैनाती उक्त अस्पतालों में की गयी थी, ने वहां कार्यभार ग्रहण नहीं किया ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, मैनपुरी की विभागीय जीप से दुर्घटनाओं की जांच

12—श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि 10–11 जुलाई, 1977 के लगभग मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मैनपुरी ने विभागीय मोटर गाड़ी को आगरा भेजा था जिसमें इलाहाबाद से आए हुए लेखा अधिकारियों के दो कर्मचारी व जिला कार्यालय के मुख्य लिपिक की मृत्यु आगरा से लौटते समय दुर्घटना में हो गयी ? क्या शासन ने अथवा मुख्य अधिकारी ने उक्त दुर्घटना के कारणों की कोई जांच कराई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट का सारांश क्या है ?

श्री कल्याण सिंह—

10 जुलाई, 1977 की रात्रि में लगभग 10 बजे मुख्य चिकित्साधिकारी, मैनपुरी के कार्यालय की एक जीप के आगरा से मैनपुरी को वापस आते समय एक निजी वाहन से दुर्घटना के फलस्वरूप महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, कार्यालय के दो सम्परीक्षा कर्मचारियों तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, मैनपुरी के कार्यालय के मुख्य लिपिक की मृत्यु हो गयी। उक्त दुर्घटना की विभागीय जांच की जा रही है जो गम्भीर रूप से घायल कर्मचारियों के अवकाश पर होने के कारण अभी पूरी नहीं हो सकी है। पुलिस की विवेचना भी जारी है।

प्रदेश की नगरमहापालिकाओं में विकास प्राधिकरण

13—श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर महापालिकाओं में कुल कितने विकास प्राधिकरण हैं और वे किन-किन शहरों में हैं और इन प्राधिकरणों का अध्यक्ष कौन है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

प्रदेश में कुल 11 विकास प्राधिकरण निम्नलिखित नगरों में हैं :—

कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, रायबरेली, गोरखपुर, मथुरा-वृन्दावन, गाजियाबाद और बरेली।

कानपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सचिव, आवास और नगर विकास हैं और अन्य विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त हैं।

नगरपालिकाध्यक्ष, पडरौना के विरुद्ध आरोपों की जांच

14—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि सितम्बर, 1975 से सितम्बर, 1976 तक नगरपालिकाध्यक्ष, पडरौना के विरुद्ध गबन व भ्रष्टाचार के कितने आरोप-पत्र शासन को प्राप्त हुए तथा प्राप्त आरोप-पत्रों के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

नगरपालिकाध्यक्ष, पडरौना तथा नगरपालिका बोर्ड, पडरौना के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के बारे में सितम्बर, 1975 से सितम्बर, 1976 तक की अवधि में निम्नलिखित शिकायतें प्राप्त हुयीं :—

(1) सर्वश्री दामोदर शर्मा वैद्य व हीरालाल अग्रवाल के शिकायती-पत्र दिनांक 25 सितम्बर, 1975 व 11 अक्तूबर, 1975,

(2) युवक कांग्रेस कमेटी, पडरौना का एक मुद्रित पैम्फलेट—जनवरी, 1976,

(3) श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 15 जुलाई, 1976।

उक्त शिकायती-पत्रों में से केवल सर्वश्री दामोदर शर्मा वैद्य व हीरालाल अग्रवाल के शिकायती-पत्र में उल्लिखित आरोपों पर जांच कराई गई थी। शेष शिकायती-पत्रों में

विशिष्ट आरोप नहीं थे। जांच रिपोर्ट के आधार पर नगरपालिका बोर्ड तथा पालिकाध्यक्ष, पडरौना को क्रमशः यू0 पी0 म्युनिसिपल ऐक्ट, 1916 की धारा 30 तथा 48 के अन्तर्गत 'कारण बताओ नोटिस' के साथ आरोप-पत्र दिए गए थे। उक्त आरोप-पत्रों के सम्बन्ध में बोर्ड तथा पालिकाध्यक्ष से प्राप्त स्पष्टीकरण का परीक्षण न्याय विभाग के परामर्श से किया गया था। आरोपों के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण जिला मैजिस्ट्रेट से स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था। जिला मैजिस्ट्रेट, देवरिया से वांछित उत्तर प्राप्त होने से पूर्व ही दिनांक 10 अगस्त, 1977 को जारी अध्यादेश के लागू होने के फलस्वरूप दिनांक 11 अगस्त, 1977 से नगरपालिका बोर्ड, पडरौना का प्रशासन जिला मैजिस्ट्रेट के नियन्त्रण में है। अब जिला मैजिस्ट्रेट को निदेशित किया गया है कि वे नगरपालिका की अनियमितताओं का निस्तारण कर स्थिति को सुधारें।

गोरखपुर में जल निकासी योजनान्तर्गत निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार सम्बन्धी जांच

15—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर नगर में जल निकास योजना के अन्तर्गत चल रहे निर्माणकार्य में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र जुलाई, 1977 में उन्हें मिला है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां।

जांच के लिए एक टेक्निकल सेल का गठन कर दिया है। जांच की जा रही है।

ग्राम मूसैला बुजुर्ग, खुखुन्दू, देवरिया के श्री राम नगीना हरिजन की बेगार करते समय विद्युत् के तार से मृत्यु के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, देवरिया जनपद के खुखुन्दू थाना के अन्तर्गत ग्राम मूसैला बुजर्ग के निवासी 33 वर्षीय श्री राम नगीना हरिजन को दिनांक 5 सितम्बर, 1977 को ग्राम बहादुर पुर के एक ब्राह्मण परिवार ने बेगार करने के लिए मजबूर किया और अपने घर ले जाकर छत पर काम करने के लिए लगा दिया। छत के ठीक ऊपर से गुजरने वाले बिजली के तार से स्पर्श हो जाने से श्री राम नगीना की मृत्यु तत्काल ही घटना स्थल पर हो गयी। मृत्यु के बाद उक्त ब्राह्मण परिवार ने उसकी लाश छिपा देने का प्रयास किया लेकिन गांव वालों को इसकी जानकारी हो जाने के कारण वे लाश को गायब नहीं कर पाए। ग्रामीणों ने लाश को अपने कब्जे में ले लिया तब जाकर उस लाश का पोस्ट मार्टम हो पाया।

मैं इस गांव में गया तो ज्ञात हुआ कि अधिकांश मजदूर गांव छोड़कर भाग चुके हैं। आस-पास के हरिजनों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों में भय एवं आतंक व्याप्त है। लोग जबरन बेगारी लेने पर तुले हुए हैं, डरा धमका रहे हैं।

अस्तु आज मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदन में बेगार प्रथा को तत्काल समाप्त करने हेतु एवं मृतक के परिवार को मुआवजा देने हेतु माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

लखनऊ विश्वविद्यालय एल-एल०एम० प्रथम वर्ष के परीक्षा प्रश्न-पत्रों की गोपनीयता के भंग होने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय की एल-एल0 एम0 (प्रथम वर्ष)की परीक्षा वर्ष 1976–77, जोकि 18 अगस्त, 1977 से होनी थी, के प्रश्न पत्रों की गोपनीयता दो प्रश्न-पत्र संशोधकों ने भंग कर दी जिससे छात्रों ने परीक्षा का वहिष्कार किया और प्रश्न-पत्रों की गोपनीयता भंग करने में संशोधकों व सम्बद्ध लोगों को दंडित किये जाने की मांग की। गोपनीयता भंग प्रश्न-पत्रों को रद्द कर नए प्रश्न-पत्र बनवा कर परीक्षा तुरन्त सम्पन्न कराने की मांग की।

मान्यवर, इस सन्दर्भ में छात्रों ने कुलपति, कुलाधिपति व परीक्षा समिति के समक्ष सम्पूर्ण स्थिति की जानकारी रख कर तुरन्त परीक्षाएं सम्पन्न कराने की मांग की, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे विश्वविद्यालय के समस्त छात्रों में भारी रोष व आक्रोश व्याप्त है और किसी भी क्षण विश्वविद्यालय में व्यापक आन्दोलन खड़ा हो सकता है जिससे सम्पूर्ण प्रदेश में छात्र असन्तोष भड़क सकता है व स्थिति भयावह हो जायगी। अतः मांग करता हूं कि सरकार इस ओर तुरन्त ध्यान दे और परीक्षा की तुरन्त व्यवस्था करे व सम्बद्ध दोषी व्यक्तियों को दंडित करे।

उत्तर प्रदेश के मध्य के जिलों में कुछ स्थानों पर गंगा तथा राम गंगा नदियों के कटाव एवं धारा परिवर्तन तथा पुलों के टूटने की सम्भावना के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

मान्यवर, आपके माध्यम से लोक महत्व की निम्नलिखित सूचना आदरणीय सदन एवं शासन को देना चाहता हूं—

मध्य उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों एटा, इटावा, मैनपुरी और फर्रुखाबाद को बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, हरदोई और पीलीभीत जिलों से सीधा रेल मार्ग न होने के कारण सड़क द्वारा जोड़ने वाले गंगा व रामगंगा पर बने घटिया घाट व बिछुपुरिया के पुल, राजेपुर ब्लाक में गंगा नदी की धारा बदलने और भीषण कटाव के कारण गम्भीर संकटग्रस्त हो रहे हैं। गंगा की धारा जो अमृतपुर के पास से मोहाने पर नासा नाला से कुछ ही गजों की दूरी पर रह गयी है, के नाले में गिरने से और नाला के मुख्य धारा बन जाने के संकट से करोड़ों की लागत से बने इन दोनों पुलों के बेकार हो जाने का संकट पैदा हो गया है। कटाव से 1976 में 15125 एकड़ जमीन कटी और 8 करोड़ का नुक्सान हुआ तथा इस वर्ष भी कुसमापुर, गोरखपुर, पोफी मंझा बली पट्टी की सारी भूमि नदी में विलीन हो गयी। बाढ़ नियन्त्रण आयोग द्वारा अभी तक कुछ भी न किया जा सका।

मान्यवर, मेरी मांग है कि अविलम्ब इस कटाव और धारा के बदल को रोकने के लिए बाढ़ नियन्त्रण केन्द्र स्थापित कर 22 जुलाई, 1977 को अनुसन्धान शाखा द्वारा भेजी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी]

गयी योजना को स्वीकार कर लगभग 3 लाख जनता के जनजीवन को बांध बना कर रोका जाय और इन दोनों पुलों को अतिग्रस्त होने से बचाया जाय ।

लखनऊ प्रोड्यूसर्स सहकारी दुग्ध संघ से वितरित दूध के खराब होने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मन्त्री जी का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

लखनऊ नगर में लखनऊ प्रोड्यूसर्स सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड द्वारा दूध का वितरण किया जाता है। यह संघ दो तरह की बोतलों में दूध भर कर जनता के प्रयोग के लिए देता है। एक पर ब्लू कैप जिसमें 1.5 प्रतिशत वसा रहती है और दूसरी पर लाल कैप जिसमें 3 प्रतिशत वसा रहती है। आज कल जो दूध मिल रहा है उसको पीने से उसका स्वाद बासी की तरह से लगता है और बहुत खराब हो जाता है। कभी-कभी बोतलों का दूध फट जाता है और जम जाता है। ऐसा पता चला है कि इस दुग्ध संघ में मशीनें 1959 की पुरानी लगी हैं और बेकार हो गयी हैं। दो बार पानी की बाढ़ में डूब भी चुकी हैं। डेरी में जो पाउडर मिलाया जाता है वह 1975 का पुराना पाउडर है इससे पीने वालों की तन्दुरुस्ती पर असर हो सकता है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं जिससे देश के महान नगरी में दुग्ध का अच्छा वितरण हो सके और जनता को शुद्ध दूध मिल सके ।

अन्ध विद्यालय के छात्रों की दयनीय दशा तथा वहां फैली छूत की बीमारियों के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री मोहन वीर सिंह तोमर--

मान्यवर, मैं आपके द्वारा अन्ध विद्यालय के छात्रों की दयनीय दशा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजधानी में अन्ध विद्यालय के छात्रों की दयनीय दशा की चर्चा इससे पूर्व भी सदन में हो चुकी है। अब उन छात्रों में भयंकर रूप से खुजली (स्कैबीज) जो छूत की बीमारी फैली है, विद्यालय और छात्रावास गन्दगी से भरपूर हैं तथा अन्धछात्रों के बिस्तरों तक में खटमल और काकरोच प्रचुर मात्रा में हैं। बार-बार छात्रों द्वारा विनती किये जाने पर भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके लिए खुजली जैसी मामूली बीमारी की दवाइयों की व्यवस्था भी नहीं की जा रही है तथा विद्यालय तथा छात्रावास में कीटाणु नाशक दवाइयों का छिड़काव भी नहीं किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अन्ध छात्रों के प्रति इस लापरवाही पर सरकार द्वारा तत्काल कार्यवाही तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध दण्डनीय कदम उठाना आवश्यक है ।

अतः इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य मन्त्री को तत्काल कार्यवाही करने के आदेश दिये जायं तथा सदन को भी कार्यवाही से अवगत कराया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

मैंने एक शून्य प्रहर के लिए दिया था . . .

श्री अध्यक्ष--

जिनका मैंने स्वीकार किया है उनको अनुमति दी है ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

सुन तो लीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए ।

श्री श्याम नारायण तिवारी को जान से मारे जाने की धमकी सम्बन्धी पत्र

श्री श्याम नारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)--

यह पत्र मुझे कल कमरे पर मिला और इसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है--

Mr. Tewari,

After a great difficulties I got this ticket of Janta party from Pharenda assembly for that I had to spend a lot of money.

I cannot allow you to exist as M. L. A. Kindly resign from the M. L. A. otherwise you will be murdered even after shadow if allowed. I know Mr. Yadava C. M. shall not allow shadow.

Resign soon. You will be murdered within month.

H. B. Singh

यह हमारे खिलाफ प्रत्याशी थे। तो श्रीमन्, जो पत्र मुझे मिला है आपको पढ़कर सुना दिया ।

श्री अध्यक्ष--

अब किसी अन्य व्यक्ति को अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

एक निवेदन करना चाहता हूं। एक धमकी भरा पत्र मिला है । मैं नहीं कह सकता हूं कि यह उन्हीं का लिखा हुआ है जिनके हस्ताक्षर इस पर हैं। लेकिन माननीय सदस्य की सुरक्षा के लिए एक शैडो दिलाया जाय और जांच करवाई जाय कि यह पत्र किसने लिखा है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्याम नारायण तिवारी जी आप इस पत्र को मेरे पास भेज दें और मैं माननीय संसदीय कार्य मन्त्री के पास इस पत्र को भेज रहा हूं ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, अंग्रेजी में अगर कोई बात पढ़ी जाती है तो उसका हिन्दी में अनुवाद करा दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने सारांश बता दिया है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

आप अनुवाद करवा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय तिवारी जी आप कृपया अनुवाद कर दीजिए ।

श्री श्याम नारायण तिवारी--

श्रीमन्, मैं अनुवाद कर दे रहा हूं--

मिस्टर तिवारी, मुझे बड़ी कठिनाई के बाद फरेन्दा विधान सभा क्षेत्र से जनता पार्टी का टिकट मिला और जिसके लिए मुझे बहुत पैसा खर्च करना पड़ा। मैं आप को एम0एल0ए0 नहीं रहने दे सकता हूं। कृपया एम0एल0ए0 से इस्तीफा दें, नहीं तो आपका कत्ल शैडो मिलने के उपरान्त भी कर दिया जायेगा। मैं मिस्टर यादव मुख्य मन्त्री को जानता हूं वह शैडो एलाऊ नहीं करेंगे। जल्दी इस्तीफा दें। आप का कत्ल एक महीने के अन्दर हो जायेगा। एच0 बी0 सिंह

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठें, मैं अनुमति नहीं देता हूं। हर प्रश्न में विवाद नहीं होगा। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास आपके पत्र को जांच के लिए भेज रहा हूं। जहां तक उनकी सुरक्षा का सवाल है माननीय मुख्य मन्त्री जी स्वयं इसको देखेंगे।

आपका यह पत्र मैं मुख्य मंत्री के पास भेज रहा हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

इसमें लिखा है कि आपको जनता पार्टी ने काफी पैसा खर्च करके चुना है . . . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इसमें जो धमकी है, उसकी जाँच हो जाएगी। इसकी आप माँग क्यों कर रहे हैं ? (व्यवधान)

आप लोग बैठिए। आप लोग कृपया सुनें। किसी के कह देने मात्र से कि यह जनता पार्टी के एम0एल0ए0 का पत्र है, यह सत्य नहीं हो सकता। यह आरोप है। पता नहीं किसने लिखा है ? इसकी हैन्ड राइटिंग इक्सपर्ट से मुख्य मन्त्री जी जाँच करा लेंगे। आप लोग कृपया शांति बनाए रखें। इसको विवाद का विषय न बनाये।

लखनऊ में शिया-सुन्नी दंगे पर पुनः विवाद की मांग

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, कल जब मुख्य मन्त्री जी ने कृपा करके यहां कहा कि जो लखनऊ के प्रभावित क्षेत्र हैं, जो विधायक चाहते हैं, उनका दौरा करके स्वयं मुआयना कर ले। मैंने उनकी बात स्वीकार कर ली। ढाई घंटे तक कर्फ्यू-ग्रस्त और दंगे से प्रभावित क्षेत्रों में और अस्पताल में मैंने दौरा किया और वहाँ मैंने देखा, जो उन्होंने कहा कि स्थिति नियन्त्रण में है, जो आँकड़े उन्होंने दिए हैं, वे सत्य से परे हैं . . . . . (शोर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल, मैं आप से निवेदन करूंगा (व्यवधान) आप लोग कृपया शाँत रहें। कल इस सम्बन्ध में पूरे दिन विवाद हुआ। अगर आज फिर यह चर्चा होगी तो आज कार्य-मन्त्रणा समिति ने जो कल का अनुदान स्वीकृत होना था, उसके लिए

समय निश्चित कर दिया है। कल की घटनाओं के बारे में आज शाम को जब सदन का निर्धारित कार्य समाप्त हो जाएगा, उस समय फिर सदन को मुख्य मन्त्री स्थिति से अवगत करा देंगे। इस पर पुन: विवाद करने का मतलब यह हुआ कि आप आज भी कार्य स्थगित करना चाहते हैं? इसकी अनुमति मैं नहीं दूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आप मेरी बात तो सुन लें? (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष--

मैं कहता हूं, आप बैठिए। आप लोग बैठते क्यों नहीं? आप अपना यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। कोई दखल न दें। माननीय तिवारी जी, इस पर काफी विवाद हो चुका है। अगर इस प्रश्न को आप पुन: आज पेश कर देंगे तो फिर इस पर विवाद शुरू हो जाएगा। मैं इस पर पुन: विवाद की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैंने अपनी पूरी बात भी नहीं कही। मैं 25 वर्षों से संसदीय कार्य प्रणाली देखता आ रहा हूं। मैंने यह नहीं कहा कि इस पर पुन: विवाद किया जाए। मैं तो केवल यह कह रहा था कि चूंकि विषय अत्यन्त गम्भीर है...

श्री अध्यक्ष--

शाम को मुख्य मन्त्री जी स्थिति से अवगत करा देंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैंने लिख कर दिया है, इसके बारे में। मैं विचार करना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री जी से...

श्री अध्यक्ष--

आपका कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैंने दिया है। शून्य प्रहर के लिए। उसकी कापी मेरे पास है।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

कल माननीय नेता विरोधी दल ने बहुत अच्छा भाषण दिया...

श्री अध्यक्ष--

दिघे जी आप बैठिए। माननीय नेता विरोधी दल अपनी बात कहें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैंने नोटिस दे रखी है (व्यवधान)

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

श्री जनार्दन ओझा, आप कृपया बैठें। मैंने इसे स्वीकार नहीं किया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

कल की घटना के संन्दर्भ में मैंने यह कहा था कि ...

श्री अध्यक्ष—

तिवारी जी आप पुनः विवाद शुरू कर रहे हैं। शाम को मुख्य मन्त्री अपना वक्तव्य देंगे। आप ने जो सूचना मुझे दी है, इस पर आपने चाहा है कि मुख्य मन्त्री का वक्तव्य हो। मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है। मैंने यह कहा कि मुख्य मन्त्री जब आज का कार्य-क्रम समाप्त हो जाएगा तो सदन को कल की घटना के बारे में स्थिति से अवगत करा देंगे। मैं यह समझता हूं कि अगर मैं इसकी अनुमति दूं तो फिर कल की तरह से विवाद आरम्भ हो जायगा। इस सम्बन्ध में मैंने अर्ज किया कि जब आज का कार्यक्रम समाप्त हो जायगा तो माननीय मुख्य मन्त्री जी सदन को पूरी कार्यवाही से अवगत करायेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वह तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष—

अब यह विवाद समाप्त होना चाहिए। मैंने इसको मान लिया है।

(व्यवधान)

आप लोग आपस में बातें न करें। इस पर मैंने कहा है कि माननीय मुख्य मन्त्री स्वत: ही सदन को अवगत करायेंगे। अब यह प्रश्न समाप्त हुआ।

(घोर व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे—

मैं माननीय नेता विरोधी दल से कहूंगा कि वे कथनी और करनी मे कुछ तो फर्क करें। उनका स्वयं का कहना है कि मैं चाहता हूं कि सब मसलों, विभिन्न मसलों को चर्चा का विषय न बनाकर आपसी विचार विमर्श करके जो प्रश्न आते हैं, उनको हल किया जाय। मैं पुन: निवेदन करना चाहता हूं कि ये प्रश्न बड़े नाजुक हुआ करते हैं, उनका अनुभव भी बहुत पुराना है, अत: दूसरों के प्रभाव में आकर उन्हें ऐसे प्रश्न नहीं उठाने चाहिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मन्त्री का बड़ा आदर करता हूं। मैंने किसी के दबाव में कोई बात नहीं कही है और मेरी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। कल जो यहाँ पर कहा गया था कि मैं वहाँ पर जा सकता हूं। जो भी मैंने कल वहाँ पर देखा उसे लिख कर दिया है। मैं चाहूंगा कि आज माननीय मुख्य मन्त्री जी जो वक्तव्य दें, उसमें इन बातों का उल्लेख अवश्य करें? इसीलिए मैंने यह शून्य प्रहर की सूचनाओं में लिख कर दिया है।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

आपके प्रश्न को उन्होंने अस्वीकार किया है।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो भेजा है, मैं इस प्रश्न को भी माननीय मुख्य मन्त्री के पास भेज देता हूं। वे इसका भी उत्तर देंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

मान्यवर, मुझे एक सूचना देनी है। जो कर्मचारी हमारे सचिवालय के कर्फ्यू क्षेत्र में रहते हैं उनको किसी अनुसचिव महोदय के हस्ताक्षर से कर्फ्यू पास दिए गए थे जिसको पी० ए० सी० के लोग नहीं मानते हैं। ये कर्मचारी कहाँ पर मैजिस्टेट को ढूंढने के लिए जायं। मैं चाहूंगा कि पी० ए० सी० को इन्सट्रक्शन दें कि वे इन कर्फ्यू के पासेज को मान लें?

श्री अध्यक्ष---

मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इसकी व्यवस्था कर दें?

श्री मधुकर दिघे---

मेरा कहना यहाहै कि जो नेता विरोधी दल ने कहा उसको दबाव से ही कहा है, अपने आप नहीं कहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि माननीय दिघे जी इसे वापस ले लें?

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, 19 महीने में प्रदेश में इन्होंने संजय गाँधी के दबाव में ही शासन चलाया है?

श्री अध्यक्ष---

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री आप इन शब्दों को वापस ले लें कि "आपने यह दबाव में किया है"?

श्री मधुकर दिघे---

मान्यवर, मैंने इस दृष्टि से नहीं कहा था। माननीय तिवारी जी में ये गुण हैं और वे चाहते हैं और ईमानदारी से चाहते हैं कि शान्ति बनी रहे। कभी-कभी मैं भी किसी के दबाव में आ जाता हूं। मैंने कहा था कि वे दूसरों के प्रभाव में न आया करें? मेरा कतई इरादा नहीं था कि उनको किसी प्रकार की ठेस लगे और यदि उनको ठेस लगी है तो मैं इन शब्दों को वापस लेता हूं।

कतिपय विषय

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)---

माननीय अध्यक्ष जी, यहां व्यवस्था की बात चलती है तो कल भी सदन में माननीय कांग्रेस मन्डल के विधायकों द्वारा लगातार चुनौती दी गयी कि हम कार्यवाही नहीं चलने देंगे और प्रक्रिया का उल्लंघन किया, तो इधर से तो अपेक्षा की जाती है, उधर से भी यह अपेक्षा करनी चाहिए, माननीय सदन को कि वे भी नियमों का पालन करें और चुनौती न किया करें?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आज मुझे दो सूचनाएं मिली हैं। पिछले 21 सितम्बर को अतारांकित प्रश्नों में...

श्री अध्यक्ष—

माननीय तिवारी जी स्थान ग्रहण करें। प्रश्नों के सम्बन्ध में अगर आपको कोई शिकायत है तो मेरे कक्ष में आकर बात करें। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मेरा दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है ....

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

मेरी सूचना का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

वह मैंने स्वीकार नहीं किया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मैं एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं आपकी इजाजत से। आपने 12 बजकर 10 मिनट पर कह दिया था कल माननीय नेता विरोधी दल से कि आपकी सूचना पर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा, यह आपकी व्यवस्था थी, आदेश थे और उसके बाद भी इस पर विवाद 15 मिनट तक चलता रहा। तो सदन का समय इस तरह से बरबाद करना हम आपका निर्णय नहीं मानते हैं तो ...

श्री अध्यक्ष—

आपने बड़ी मुनासिब बात कही है। सब सदस्यों को ध्यान रखना चाहिए माननीय तिवारी जी स्थान ग्रहण करें।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

व्यवस्था का प्रश्न है कि इस सदन में एयर कन्डीशन होने की वजह से अधिकांश विधायकों की तबियत खराब रहती है। मुझ से अनेक विधायकों ने कहा कि इस एयर कन्डीशन को समाप्त करें जिससे हम लोग बाहर निकलें तो बीमार न पड़ें। मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष —

अच्छा, इस पर विचार किया जायगा।

श्री राज बृजराज सिंह (जिला खीरी)—

श्रीमन्, विशेषकर बरसात के दिनों में यह एयर कन्डीशनिंग और ज्यादा हानिकर है। हम समाजवादी दल के सदस्य आपसे यह अपेक्षा करते हैं कि इस एयर कन्डीशनिंग को आप बन्द कर देंगे।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

श्रीमन्, जब आप कोई निर्देश देते हैं माननीय मन्त्री को तो मेरा यह अनुरोध है कि माननीय मन्त्री को उसका पालन करना चाहिए। आज मेरा जो पहला प्रश्न था, जैसा मैंने श्रीमन् से अनुरोध किया 8 सितम्बर को मान्यवर, की एक व्यवस्था थी कि ...

श्री अध्यक्ष—

तिवारी जी, व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था कायम न कीजिए। आप बैठिए।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपनी 29 सितम्बर, 1977 की बैठक में सदन के कार्य-क्रम के सम्बन्ध में यह सिफारिशें की हैं :—

कृषि मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 45, 46, 49, 50, 79 तथा 95 दिनांक 30 सितम्बर, 1977 को लिए जायं तथा खाद्य मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 30, 51 तथा 81 जो 30 सितम्बर, 1977 को निर्धारित थे, वह 13 अक्तूबर, 1977 को लिए जायं।

वन मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 55 तथा 83, संस्थागत वित्त मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 6, 8 तथा 11 और वित्त मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 1, 14, 20, 26, 27 तथा 97 जो 13 अक्तूबर, 1977 को निर्धारित थे, 14 अक्तूबर, 1977 को 4 बजे अपराह्न तक लिए जायं। उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1977 को 14 अक्तूबर, 1977 को 4 बजे अपराह्न सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापित किया जाय एवं उस पर विचार तथा उसका पारण उसी दिन साढ़े 4 बजे अपराह्न तक हो।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष ने दी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति की सिफारिशों से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष ने आज दी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश पर कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

प्राविधिक शिक्षा उप मन्त्री (कुंवर सत्यवीर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश पर कार्य करने के लिए इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

इसके सम्बन्ध में मुझे आपसे यह निवेदन करना था कि इन्टरमीडिएट बोर्ड का जो गठन है तो कुछ तो चुनाव हो चुके लेकिन चूंकि विधान सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं हो पा रहा है इसलिए नए बोर्ड का गठन नहीं हो पा रहा है और कल जो शिक्षक लोग इसमें चुने गए हैं उन्होंने मुख्य मन्त्री का घेराव कर दिया। मेरा निवेदन यह है कि यह बोर्ड जल्दी गठित हो इसके लिए आप कोई शीघ्र ही कार्यक्रम निश्चित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

इसके लिए जो कार्य-क्रम पहले बन गया है उसी में इसको भी शामिल किया जायगा। उससे पहले तो चुनाव होना मुश्किल ही होगा।

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश पर कार्य करने के लिए इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (झ) के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के सदस्यों के लिए निर्वाचन के लिए नाम-निर्देशन प्राप्त करना, उनकी सूक्ष्म परीक्षा तथा नामों की वापसी के लिए वही कार्यक्रम होगा जो अन्य समितियों एवं निकायों के लिए निर्धारित किया गया है। किन्तु मतदान, यदि आवश्यक हुआ, तो 13 अक्तूबर को होगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे एक कार्य-स्थगन की सूचना माननीय नेता विरोधी दल, श्री नारायण दत्त तिवारी से प्राप्त हुई है जो उत्तर प्रदेश में 15 हजार राजकीय शिक्षकों की परसों से अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल तथा पर्वतीय क्षेत्र में लगभग 5सौ अध्यापकों को गिरफ्तार किए जाने के सम्बन्ध में है। यह कल श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री ने भी शून्य प्रहर में बाढ़ के सम्बन्ध में दिया था और 20 सितम्बर, 1977 को शून्य प्रहर में श्री राजेन्द्र कुमार का राजकीय शिक्षकों के सम्बन्ध में था। तो आय-व्ययक के ऊपर भी इसमें समय मिलेगा और यह समय के बाद भी प्राप्त हुई है, इसलिए मैंने अस्वीकार किया है।

1977–78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 7—भू-राजस्व, अनुदान संख्या 40—दैवी आपदाओं के कारण सहायता तथा अनुदान संख्या 78—जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर

श्री अध्यक्ष—

अब वित्तीय वर्ष 1977-78 के आय-व्ययक पर मतदान के सम्बन्ध में चर्चा होगी

*राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7—भू-राजस्व के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,37,32,200 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1977-78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 1053 7--भू-राजस्व, अनुदान संख्या 40--दैवी आपदाओं के कारण सहायता तथा अनुदान संख्या 78--जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40--दैवी आपदाओं के कारण सहायता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 90,85,200 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78--जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,71,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, राजस्व विभाग से सम्बन्धित अनुदानों को सदन के सम्मुख रखने का मुझे सौभाग्य मिला। जहाँ तक राजस्व विभाग का सम्बन्ध है, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण सेवा जनसाधारण की करता है। जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में यह बात स्पष्ट कही गयी है कि हम सर्वप्रथम गाँव का विकास करना चाहते हैं और इस सन्दर्भ में राजस्व विभाग के उत्तरदायित्व और भी बढ़ गए हैं चाहे भूमि आवंटन का प्रश्न हो, चाहे पट्टों के निरस्त करने का सवाल हो, चाहे ऋण देने का सवाल हो, चाहे राहत देने का सवाल हो, विकास कर या गाँवों में निहित भूमि के सम्बन्ध में प्रबन्ध करने का सवाल हो, सभी में ही राजस्व विभाग को एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करना है। जनसाधारण से इतना निकट का सम्पर्क इस विभाग का है कि आए दिन इसके उत्तरदायित्व बढ़ते जाते हैं और इस सम्बन्ध में जो भी अधिक से अधिक सेवा जनसाधारण की की जा सके इसका प्रयत्न होता है, लेकिन पिछले शासन में इस विभाग की ओर बहुत दुर्लक्ष्य हुआ। इस विभाग के जो उत्तरदायित्व हैं उसको देखते हुए इस सम्बन्ध में जितनी आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए थी वह इस विभाग के सम्बन्ध में नहीं बरती गयी और धीरे-धीरे यह विभाग अपने उत्तरदायित्व को निभाने में सक्षम नहीं रहा। यदि आप जिलों में दौरा करते समय देखें तो तहसीलों की स्थिति ऐसी दिखाई पड़ती है कि वहाँ बैठने के लिए स्थान नहीं है और, जो भी सुविधायें होनी चाहिए, नहीं हैं। इसके साथ-साथ इसके जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं उनको जितना सक्रिय रह कर पिछले दिनों में अपने कर्त्तव्यों का पालन करना चाहिए था उसका अवसर नहीं दिया गया और अन्य विभागों की योजनाओं के कार्यान्वियन में उनको इस सीमा तक लगाया गया कि जो मुख्य कर्त्तव्य राजस्व विभाग का था, उससे अलग किया गया। बड़े अभिलेखों का रख-रखाव, आवंटन का कार्य और जो तहसीलों में भूमि सम्बन्धी वादों का निस्तारण होता, यदि उसमें जिस सक्रियता के साथ कर्त्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए था, किया गया होता, लेकिन नहीं किया गया। तो मैं समझता हू कि जन-साधारण को इससे बहुत कठिनाई हुई है।

आपातकालीन स्थिति में जो योजनाएं चलाई जाती थीं उसमें सभी अधिकारी और कर्मचारी इस विभाग के व्यस्त कर दिए जाते थे, जिससे वे अपना कोई कार्य नहीं कर पाते थे जैसे परिवार नियोजन योजना, बचत योजना आदि के ऐसे कार्यक्रम उठाए गए जिसमें

[श्री शारदा भक्त सिंह]

सारे अधिकारी और कर्मचारी इस विभाग के अपने कार्य को छोड़कर उस कार्य में जुटा दिए गए और इतने व्यस्त उसमें हो गए कि जो जनता के प्रति उनके उत्तरदायित्व थे उसका वह निर्वहन नहीं कर सके। नतीजा यह हुआ कि जो भू-अभिलेखों का रख-रखाव था जिससे गाँव के निवासियों के अधिकार प्रभावित होते थे उधर ध्यान नहीं गया पड़ताल नहीं की गयी। अधिकारियों के दौरे जिस तरह के होने चाहिये, दौरों में आम जनता से मिलकर उनकी कठिनाइयों को जानकर उनको तुरन्त निपटाने में दिक्कत पैदा हो गयी। अधिकारियों का दौरों पर भेजने का जो उद्देश्य था वह पूरा नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि जो समस्यायें थीं उनका समाधान ठीक तरह से नहीं हो सका।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में हमारे कर्मचारी और अधिकारी जो राजस्व विभाग के हैं वह अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करें इसलिए निश्चित आदेश दे दिए गए हैं कि इस वित्तीय वर्ष में सभी कर्मचारी और अधिकारी इस विभाग के कार्यों की ओर पूरा ध्यान देंगे, सक्रिय होंगे और अन्य जो योजनायें हैं उनमें वह लगाए न जायं। आवश्यकता इस बात की है कि भू-अभिलेखों को ठीक तरह से रखा जाय और जनता की समस्याओं को सुना जाय और उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाय। अतएव इस प्रकार के आदेश देना आवश्यक हो गया कि इस वित्तीय वर्ष में पूरी तरह से जो कार्य अभी तक नहीं हो पाए हैं उन्हें पूरा किया जाय और अन्य योजनाओं में अधिकारियों और कर्मचारियों को न लगाया जाय। इसी सम्बन्ध में यह भी आज्ञा दे दी गयी है कि जिस समय दौरे पर अधिकारी जायं तो जितनी समस्यायें सामने हैं, भूमि आवटन का कार्य, ग्राम भूमि के ऊपर अतिक्रमण की समस्या और पट्टों के सम्बन्ध में पूरी तरह से देखें और सोच समझ कर उनका निर्णय करें।

पहली अक्तूबर से हम एक अभियान चलाना चाहते हैं कि जो पट्टों के सम्बन्ध में आम शिकायतें आ रही हैं और लोग रोजाना दरख्वास्तें दे रहे हैं उनको एक बार छानबीन करके देखा जाय और वास्तविकता को देखकर उनका हमेशा के लिए निस्तारण कर दिया जाय। मान्यवर, जैसा मैंने कहा कि पिछले दिनों में जो पट्टे किए गए हैं तो उनमें राजस्व विभाग के और अन्य विभागों के अधिकारी इस कार्य में शामिल कर लिए गए थे। इतने कम समय में प्रचार की दृष्टि से लोगों में पट्टे कर दिए गए जिस सुविधा से पट्टे कर दिए गए उतनी सुविधा से लोगों को भूमि नहीं मिली। अगर कहीं भूमि मिली भी तो ऐसे स्थान पर जहाँ या तो बालू है या झगड़ा और विवाद है। तो ऐसी समस्यायें रख दी गयीं और विभाग की उलझनें बढ़ गयीं। लेकिन हम एक अभियान चलाना चाहते हैं जिसमें नायब तहसीलदार से लेकर कमिश्नर तक को लगाना चाहते हैं कि पट्टों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करके अगर किसी को कब्जा नहीं मिला है तो उसको तुरन्त कब्जा दिया जाय, अगर भूमि सम्बन्धी झगड़ा है तो उस विवाद को कहाँ तक सुलझाया जा सकता है इसका वह प्रयत्न करें। यदि किसी पट्टे की भूमि है ही नहीं या नदी के अन्दर है या रेतीली जगह है, जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती, तो इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाए जायं। इस स्थिति को देखकर मैं ऐसा समझता हूं कि भूमि आवंटन और पट्टों का प्रश्न काँग्रेस सरकार ने दिया लेकिन हम निश्चित रूप से जमीन को देना चाहते हैं। अगर कोई पट्टा हाथ में लेकर घूमे और जमीन न मिले तो समस्या उलझ जाती है इसलिए निश्चय किया है कि जिनके पास पट्टे के कागज हैं और वह उनको लिए भाग रहे हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं, अधिकारियों के पास दौड़ रहे हैं तो ऐसे लोगों को हम गाँवों में

आश्वस्त करना चाहते हैं अधिकारियों को भेज कर। लेकिन हम उनको वास्तविकता बताना चाहते हैं और कब्जा दिलाना चाहते हैं। इसलिए यह भूमि आवंटन का जो प्रश्न है उसे उलझाकर एक समस्या खड़ी की जा रही है जिसके बारे में प्रचार किया जा रहा है, उसको हमेशा के लिए हम समाप्त करना चाहते हैं। जो हमारे अधिकारी नीचे से लेकर ऊपर कमिश्नर तक इस कार्य में जुटेंगे जो जल्दी आवंटन में कठिनाई पैदा हो गयी है उसे दूर करना चाहते हैं और जिन्हें भूमि प्राप्त नहीं हुई है उन्हें भूमि दिलाना चाहते हैं।

मान्यवर, पिछले दिनों में जो जल्दी में भूमि आवंटन का कार्य किया गया उसमें कुछ ऐसे कार्य कर दिए गए जिसने समस्या को उलझा दिया। जैसे 8 फीसदी भूमि गाँव सभा को सार्वजनिक कार्यों के लिए आरक्षित रहती थी। लेकिन काँग्रेस ने ऐसे कार्य किए कि आरक्षित भूमि का आथंटन उससे किया जा सकता है। इसलिए उस भूमि का जल्दी से आवंटन कर दिया गया। लेकिन बाद में जब विचार हुआ, केन्द्र सरकार ने सुझाव दिया तो कहा गया कि गलत कार्य हो गए हैं। इसलिए काँग्रेस सरकार ने निश्चित किया था कि जो पट्टा भू-लेखों में लिखे हुए हैं सार्वजनिक, या जिस भूमि का उपयोग सार्वजनिक रूप में हो रहा है या जो भूमि चकबन्दी में सार्वजनिक कार्यों के लिए छोड़ दी गयी है उनके जो पट्टे हो गए हैं उनको खारिज कर दिया जाय। अब 198(4) के मुकदमें दायर कर दिए गए हैं और कार्यवाही हो रही है। लेकिन अब उसका प्रचार विरोध में हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के आदेश रखे हुए हैं कि 8 फीसदी वाले पट्टे कर दिए जायं। बाद में उनके आदेश आए हैं कि सार्वजनिक जो भूमि है उसके पट्टे निरस्त कर दिए जायं। इसलिए उन्हीं के आदेशों के अनुसार अधिकारी कार्यवाही कर रहे हैं 198(4) की। इसलिए उन्होंने जो कार्य चलाया था उसी का अब वह प्रचार कर रहे हैं कि हमने पट्टे किए थे लेकिन जनता पार्टी उन पट्टों को निरस्त कर रही है। इसलिए मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जो पट्टे गलत हो गये हैं उनको हमने नहीं बल्कि काँग्रेस सरकार ने राजाज्ञा देकर निरस्त करने की आज्ञा दी इसलिए वह आज भी मुकदमे चल रहे हैं। मैं मानता हूं कि सार्वजनिक भूमि जो है उसको रखना चाहिए। इसलिए आवंटन में जो जल्दी-जल्दी कार्य हुआ उसने समस्या को उलझा दिया है। मैं उसको सुलझाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि यह राजनीतिक प्रश्न नहीं है बल्कि जो भूमिहीन गरीब लोग हैं उन्हें रोटी देने का प्रश्न है। आपने गलती किया है लेकिन हम गलती मानकर उसको सुधारना चाहते हैं। यदि इसमें सच्चाई से जुटेंगे तो प्रदेश की हजारों लाखों जनता जो भटक रही है इधर-उधर उसे कुछ साधन दे सकेंगे।

दूसरी बात मान्यवर, हमने कहा कि जहां तक भूमि सम्बन्धी विवाद है, तो विवाद है। मैं जानता हूं कि गांव की जनता दौड़कर तहसील में, हेडक्वार्टर में आती है, काफी परेशान होती है। इसलिए आदेश दे रखे हैं कि सितम्बर, 1977 तक जो वाद चल रहे हैं और वह जिस अधिकारी के पास हैं मार्च, 1978 तक उन सब का निस्तारण कर दिया जाय। इसमें कोई और पद सृजित नहीं किए जायेंगे बल्कि जिस अधिकारी के पास काम पड़ा है वही मार्च, 1978 तक निपटायेंगे। मैं चाहता हूं कि मुकदमें इस तरह पड़े न रहें। उसमें जुट कर मार्च, 1978 तक समाप्त कर देना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमने आदेश

[श्री शारदा भक्त सिंह]

दिए हैं कि जो अधिकारी पहले दौरा करते थे चाहे नायब तहसीलदार या तहसीलदार, चाहे डिप्टी कलेक्टर हों या जिलाधीश हों, उनको दौरे में गांव में दूर स्थानों पर जाना चाहिए। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि अगर कहीं अतिक्रमण हुआ है तो उसको हटवायें, कहीं रास्ता रोक लिया है तो उसको ठीक करवायें। अगर दाखिल खारिज के मुकदमे हैं तो उनको भी देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस अभियान से अगले चार पांच महीनों में हम वास्तविक समस्या को पकड़ कर हल कर सकेंगे।

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, इसका भी बहुत प्रचार किया जा रहा है। मैं मानने को तैयार हूं कि भ्रष्टाचार है। हम उससे इन्कार नहीं करते। लेकिन यह 30 वर्षों की विरासत में हमें मिला है। हम इसके लिए कदम उठाना चाहते हैं और भ्रष्टाचार के मामलों को कड़ाई से निपटाना चाहते हैं। लेकिन इसी के साथ हम एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि उसमें भ्रष्टाचार कम हो। आज जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें कोई तहसीलदार या नायब तहसीलदार भ्रष्ट न हो तो यह नहीं हो सकता। मैंने जब इन लोगों से खुलकर बात की तो उन्होंने बतलाया कि 30 वर्षों से जो व्यवस्था रही उसमें बिना भ्रष्ट हुए रह नहीं सकते थे। हम चाहते हैं कि एक ऐसा वातावरण तैयार कर सकें जिसमें अधिकारी ठीक तरह से काम कर सकें। सरकार ने निश्चय किया है कि कानूनगो और तहसीलदार की सेवा नियमावली नहीं बनी थी तो उनको तैयार कराया जाय। तहसीलदार की सेवा नियमावली तैयार हो चुकी है। यह आपके सम्मुख शीघ्र ही आ जायगी। इसी तरह से जो तहसीलदार डिप्टी कलेक्टर हो गए थे और कन्फर्म नहीं हुए थे और जो बीच में लटके हुए थे तो हमने आदेश दे दिए हैं और आपने भी देखा होगा। जिनका कन्फरमेशन ड्यू है उनको कन्फर्म कर दिया जाय। तीन चौथाई काम हो भी चुका है। इसी प्रकार जो नायब तहसीलदार अस्थायी हैं उनको स्थायी करने के लिए कहा गया है।

पुराने दिनों की बात सभी माननीय सदस्य जानते हैं और उसको कहने में हिचकना नहीं चाहिए। जब कोई वी० आई० पी० या बड़ा अधिकारी दौरे पर जाता है तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार को उनकी देखभाल करनी होती है और इस देखभाल में पैसा खर्च करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि इस व्यवस्था को तोड़ा जाय। कोई भी बड़ा अधिकारी दौरे पर जाय या वी० आई० पी० दौरे पर जाय तो तहसीलदार या नायब तहसीलदार को पैसा खर्च न करना पड़े। इन लोगों ने मुझे रोकर बतलाया कि उनको पैसा खर्च करना पड़ता है और फिर वे भी यह पैसा लेखपाल से ले लेते हैं। हम जहां भी दौरे पर जाते हैं तो मैंने घोषणा की कि उनको इस तरह पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है और अगर कहीं कोई उनसे खर्च करवाता है तो वह एक चिट्ठी लिख सकते हैं। हम नहीं चाहते कि इन लोगों पर किसी तरह का खर्चा पड़े। हां यह अवश्य है कि जो लोग वहां जाते हैं तो उनके खाने का प्रबन्ध हो। हमने कैबिनेट से इस बात को पास करा लिया है कि जो हमारे इन्सपेक्शन हाउसेज हैं, जो हमारे गेस्ट हाउसेज हैं वहां दो व्यक्ति नियुक्त किए जायं। एक आदमी खाना बनाएगा और दूसरा काम करेगा और वहां पर तीन रुपया खुराक रखी जाय। जो बहुत अच्छा खाना चाहते हैं तो पैसा दे कर मंगा सकते हैं। इस प्रकार सारा काम चलेगा और तहसीलदार के ऊपर उत्तरदायित्व नहीं होगा।

भ्रष्टाचार को दूर कर एक स्वस्थ वातावरण पैदा करना है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि जहां भी मैं मौके पर गया मुझे काफी शिकायतें मिली। वहां न्याय बिकता है। लेकिन इस सम्बन्ध में हम विचार कर रहे हैं कि क्या परिवर्तन किया जाय क्या व्यवस्था की जाय कि यह कलंक धोया जा सके। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार एक ऐसा प्रश्न है जो कोई एक व्यक्ति दूर नहीं कर सकता। यह एक राष्ट्रीय कलंक है जिसका सारी योजनाओं पर, निर्बल वर्ग पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं अपील करता हूं चाहे इस पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के कि ऐसे प्रश्न पर एक साथ मिल कर कन्धे से कन्धा मिला कर हमला करना होगा और जो हमेशा से स्थिति चली आ रही है इस को तोड़ना होगा। जहां भी मैं गया लोगों ने मुझसे कहा कि भ्रष्टाचार बहुत गहरा चला गया है, उसकी जड़े बहुत गहरी चली गयी हैं, लोग आए और चले गए, कितने ही शासन आए और कितने ही शासन चले गए लेकिन भ्रष्टाचार चलता जा रहा है। मैंने उनसे कहा कि यदि ईमानदारी से प्रयत्न किया जाय जिस प्रकार संघर्ष से जनता पार्टी देश में परिवर्तन लाई है उसी प्रकार की व्यवस्था का प्रयत्न किया जाय तो भ्रष्टाचार को भी दूर किया जा सकता है। मैंने अधिकारियों से भी अपील की है। अधिकारियों के योगदान के बिना यह भ्रष्टाचार दूर करना कठिन होगा। मैं समझता हूं कि बहुत से अधिकारी ऐसे भी हैं जो समय से अधिक काम करते हैं, जितना वेतन उनको देना चाहिए उतना वेतन उनको नहीं दे पाते। देश के निर्माण में उनकी सेवाओं को आदर देने के लिए हम तैयार हैं। वे अपनी पिछले दिनों की जो भावना थी, आपातकालीन स्थिति के विगत वर्षों में जो कुछ हुआ और जिस तरह से अधिकारियों ने आचरण किया और बाद में पूछा गया तो कहा कि हम नौकर हैं, हम उनसे यह अपील करना चाहते हैं कि यह भावना वे न रखें। वे किसी के नौकर नहीं देश के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। हम देश का काम कर रहे हैं ताकि देश आगे बढ़े। अगर यह आदर्श हर एक के दिमाग में आ जाय और वह योग दें तो मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार के कलंक को दूर किया जा सकता है।

जहां तक चकबन्दी का सवाल है इसमें भी काफी शिकायतें निरन्तर आ रही हैं। पिछले दिनों में जो कार्य हुए हैं जिस तरीके के हुए हैं उनको हम इकट्ठे मिटा नहीं सकते। कुछ दरख्वास्तें आ रही हैं, प्रार्थना-पत्र आ रहे हैं कि जो गांव चकबन्दी में छूट गए थे उनको फिर से चकबन्दी में सम्मिलित किया जाय। मैं समझता हूं यह अच्छा है। इससे कम से कम हमारे इलाके में चकबन्दी लोकप्रिय हो गयी है। हमने निर्णय किया है कि जिस भूमि को चकबन्दी में नहीं लिया गया उसको फिर से लेना चाहते हैं। कुछ ऐसी भी कठिनाइयाँ पैदा हो रही हैं कि जैसे किसी गरीब के खेत से सड़क या नहर निकाली जाती है जिससे उसके जितने भी साधन हैं वे समाप्त हो जाते हैं। इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है कि एक का खेत न कटे सब का मिल कर खेत आ जाय। जहां चकबन्दी हो गयी है और भूमि अधिक ग्रहण की जा रही है। उस सम्बन्ध में ऐसे आदेश दे दिए गए हैं अगर नहर की भूमि में गरीबों के खेत आते हैं तो ज्यादा भूमि अधिग्रहीत की जाय जैसे 50 एकड़ आती है तो 50 एकड़ के स्थान पर 100 एकड़ अधिग्रहीत की जाय ताकि उन गरीबों को भूमि दी जा सके। जहां चकबन्दी होने वाली है वहां ऐसा प्रश्न नहीं है लेकिन

[श्री शारदा भक्त सिंह]

जहां चकबन्दी खत्म हो गयी है और वहां नहरें तथा रास्ते निकालने का सवाल पैदा हो गया है वहां के लिए इस बात पर विचार कर रहे हैं और यह इच्छा है कि कोई ऐसा हल वहां के लिए निकल सके कि गरीब अपनी भूमि से वंचित न किया जा सके।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

उत्तर प्रदेश में चकबन्दी का काम कब तक समाप्त हो जाएगा ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

चकबन्दी का कार्यक्रम टाइम बाउन्ड है। हर साल एक टार्गेट लेते हैं और हर साल उसे खत्म करते हैं। पश्चिमी जिलों में वह समाप्त हो चुकी है और पूर्वी जिलों में चल रही है। जो गांव छूट गए अथवा जहां 5-5 चक बन गए, रास्ते नहीं छोड़े गए, प्रारम्भ में चकबन्दी तो करा दी लेकिन अनुभव नहीं था इसलिए वहां समस्यायें पैदा हो गयीं। 54 से 59 के बीच में जो चकबन्दी कराई गयी और लोगों को सुविधा नहीं मिली वहां फिर से चकन्बदी कराने पर विचार हो रहा है। इसलिए जैसी समस्या होगी वैसा किया जायगा। इस तरह से बहुत-सी समस्यायें हैं जिन पर हम आपको मिल कर तय करना है।

राजस्व विभाग में प्रति वर्ष अधिक वर्षा अथवा सूखे के कारण राहत का काम करना मामूली काम हो गया है। मुझे अफसोस है कि इस प्रकार के काम में काफी लोगों को दुखी देख कर भी जितनी राहत देनी चाहिए उतनी देने में हम असमर्थ हैं। हम चाहते हैं कि फ्लड आयोग एक योजनाबद्ध कार्यक्रम प्रान्त भर के लिए बनाए और उसका स्थायी हल निकाले। हर साल राहत का काम करके जो लोगों को तकलीफ होती है उसे दूर नहीं कर सकते। इस सम्बन्ध में विचार हो रहा है और सरकार इस सम्बन्ध में कोई कदम शीघ्र उठाएगी। गांवों का कटाव होता है, इससे लोगों के सामने कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती है। फ्लड विभाग की ओर से कार्य क्रम चलते हैं लेकिन आप जानते हैं कि नदियों को बांध कर रोकना आसान काम नहीं है। अगर एक स्थान पर प्रबन्ध होता है तो दूसरे स्थान पर नदी काट देती है। इसका स्थायी प्रबन्ध करना होगा ताकि हमेशा के लिए इस कठिनाई को दूर किया जा सके। सूखे की अलग समस्या है। सिंचाई के साधन इतने बढ़ाये जाएं कि हम वर्षा पर निर्भर न करें यह हमारी इच्छा है। पिछले 30 वर्ष में जो काम किया गया उसके बावजूद आधे से ज्यादा प्रदेश वर्षा पर निर्भर करता है। लिहाजा जो स्थान अथवा जिले सूखे की चपेट में आ जाते हैं वहां के माननीय सदस्यों को चिन्तित होना स्वाभाविक है। अगर कहीं किसी गाँव का नाम न लिया गया तो उससे वह चिन्तित हो जाते हैं लेकिन उनकी चिन्ता से हम अवगत हैं लिहाजा इस सिलसिले में जो वित्तीय साधन हमारे पास ह उनको देखते हुए जितनी भी राहत हो सकती है हम दे रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कमी का सवाल नहीं होता है। बाढ़ के आने तथा सूखा पड़ने से पहले ही जिलाधिकारियों को धनराशि दे दी गयी और कह दिया गया है कि अगर कमी हो तो तुरन्त धन मंगा लें। जहाँ जीवन की सुरक्षा, खाने-पीने का सवाल हो वहाँ पैसा बीच में अटकने वाला नहीं है और राजस्व विभाग के अन्तर्गत जितना भी राहत का काम है उसे हम करना चाहते हैं।

(इस समय 1 बजकर 1 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरेन्द्रपति यादव पीठासीन हुए।)

मैंने बताया था कि बड़ी भारी संख्या में जब जिलों का दौरा करते हुए वकीलों से बात हुई और घर-घर से लोगों की माँग हो रही है कि जहाँ तक माल विभाग का सम्बन्ध है इसके कानून बड़े पेचीदा हो गये हैं। इतने कानून हमने पास किये हैं और बार-बार उनमें संशोधन किया है कि एक बड़ा भारी अम्बार लग गया है। उसको पढ़ने और समझने में कठिनाई होती है। मुकदमों का निस्तारण करना एक समस्या हो गई है। इसलिए तुरन्त आवश्यकता है कि एक रेवेन्यू कोड बनाया जाय, जितने भी अधिनियम हैं उनको एक में इकट्ठा करके एक संवैधानिक कोड बना कर दे दिया जाय और उसको एक सरल रूप दिया जाय। हम, उसमें जो पेचीदगियां हैं उनको दूर करना चाहते हैं इसके लिए एक सरल रेवेन्यू कोड की आवश्यकता है जिसको हमने तैयार कर लिया है और वह शीघ्र ही आपके सामने आने वाला है, जिससे वादों का आसानी से और जल्दी निस्तारण हो जाय और जो गाँवों के सीधे-सादे लोगों की समझ में आ सके, जिसकी सरल भाषा हो। मैं समझता हूं कि यह काम भी बहुत महत्वपूर्ण था जो कि पूरा हो गया है।

मैंने, राजस्व विभाग के प्रमुख कार्य जो हैं उनकी ओर आपका ध्यान दिलाया है और मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यों के जो सुझाव आयेंगे उनका हम हर प्रकार से स्वागत करेंगे। इस काम का सम्बन्ध लाखों और करोड़ों लोगों से है, गांवों के गरीब और अमीरों से है, जिनके जीवन से इसका बहुत बड़ा सम्बन्ध है उनके सुख और दुख को यह घटा और बढ़ा सकता है। मैं प्रार्थना करूंगा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग होकर और दलगत स्वार्थों को छोड़कर इसे हम करें, इसमें हम दोनों पक्ष काम करेंगे, क्योंकि इसका सम्बन्ध जनता से है, इस दृष्टि से जो सुझाव आयेंगे उनका हम स्वागत करेंगे और जो बाद में उत्तर की आवश्यकता होगी वह मैं आपको दूंगा।

*श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)––

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 7––भू-राजस्व के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40––दैवी आपदाओं के कारण सहायता के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78––जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ प्रसाद--]

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी मैंने बड़े गौर से माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जो भाषण दिया उसको सुना। उस भाषण में मैंने केवल दो बातें खास पाईं। एक तो पुरानी कांग्रेस सरकार ने जो खराबियां कीं और जो कमियां थीं उनके बारे में और दूसरे भूमि वितरण के बारे में, कोई और नई बात उन्होंने अपने भाषण में नहीं कही, जैसा कि उनसे अपेक्षा की जाती थी। जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में दो बातें साफ कही थीं। एक तो यह कि 2.5 हैक्टयर तक जितने किसान हैं उनकी मालगुजारी माफ करेंगे और दूसरे जो जमीन के इजारेदार हैं--शब्द इस्तेमाल किया है "लैन्डलार्डिजम"--उसको खत्म करेंगे। तो इस दिशा में कोई क्रान्तिकारी कदम माननीय मन्त्री जी ने नहीं बताया। केवल एक बात ही कही जिसको थोड़ा क्रान्तिकारी कदम कह सकते हैं वह 3 1/8 एकड़ तक की जो जोते हैं उनकी मालगुजारी माफ करना। मैं अपेक्षा करता था कि सीलिंग जो आज 18 एकड़ के ऊपर है उसको घटाकर साढ़े 12 एकड़ करना चाहिए था। हमारे तमाम समाजवादी भाई बैठे हुए हैं, कांग्रेस के भाई भी बैठे हुए हैं, गरीब तबके से सब आये हैं--वे लोग यहां बैठे हैं हमेशा इस बात की आवाज उन्होंने दी कि सीलिंग को और घटाना चाहिए। इस बात की अपेक्षा मैं इस जनता सरकार से करता था जो नहीं आई। काफी दिनों से बोर्ड आफ रेवेन्यू को भंग करने की बात चल रही थी, जिसके बारे में एस्टीमेट्स कमेटी ने प्रस्ताव किया था और सुझाव दिया था कि यह बेकार का खर्चा है, इसको समाप्त करना चाहिए, किन्तु यह बात भी उनके भाषण में नहीं आयी।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं पहले मालगुजारी की बात लेता हूं। जैसा मैंने पहले कहा घोषणा-पत्र में 2·5 हक्टर के नीचे मालगुजारी को माफ करना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। एक खास बात है मालगुजारी के निर्धारण में, जमींदारी एबालीशन ऐक्ट की धारा 264 के अन्तर्गत यह तय करना चाहिए था कि हम मालगुजारी कितनी लें, किस दर पर लें। कांग्रेसी शासन काल में, जिसमें दो मन्त्री श्री हुकुम सिंह जी और चौधरी चरण सिंह जी भी 10 साल तक रहे, आज तक मालगुजारी का निर्धारण नहीं कर सके। 264 धारा में साफ लिखा हुआ है कि मालगुजारी का निर्धारण पूरे फड़ के जमीन पर से जो खर्च पड़ता है, उसको निकाल कर होना चाहिए। ऐसा लुधियाना और पन्तनगर यूनिवर्सिटी ने तय किया है कि एक एकड़ पर 650 से 750 रुपया जो खर्च होना चाहिये, यह निकालकर वह बचत के एक अंश में होना चाहिए। उसका निर्धारण यह विधान सभा करेगी। राज्य सरकार सिफारिश करेगी इस माननीय सदन को कि हम यह तय करना चाहते हैं। उसका गजट में प्रकाशन होगा और प्रकाशन के बाद में मालगुजारी की दर निश्चित की जायेगी, जो बचत का एक निश्चित प्रतिशत होगी, लेकिन आज तक यह नहीं किया गया। हमारे मन्त्री जी अपने विभाग का काफी ज्ञान रखते हैं, मैं समझता हूं कि वह सोचते हैं कि विभाग के अन्दर जो खामियां हैं वह दूर हों, और उसमें कुछ नया काम किया जाये। मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि जो काम 27-28 सालों में नहीं हुआ है, वह उसको करें और मालगुजारी का निर्धारण उनको करना चाहिए।

अधिष्ठाता महोदय, 3 1/8 की जोतों पर से मालगुजारी खत्म करके उनको 16 करोड़ रुपए की धनराशि का घाटा होता है, जैसा कि उन्होंने अपने बजट भाषण में

कहा है, लेकिन जो इनका बजट है, उसमें रेवेन्यू दिया है, जो संहत निधि है वह 40 करोड़ 30 लाख 31 हजार रुपया है और सन् 1976-77 से 6 करोड़ 50 हजार रुपया अधिक है, और उसमें आप छोड़ रहे हैं 16 करोड़, तो इसका कोई संकेत नहीं किया है अपने बजट भाषण में कि इसको वह किस तरह पूरा करेंगे। पता नहीं वह जो 3 1/8 की जोतें हैं उन पर मालगुजारी बढ़ावेंगे या विकास कर बढ़ावेंगे या ऊपर की जोत के काश्तकारों पर कर लाद देंगे। इस पर कोई संकेत नहीं किया है। मैं चाहूंगा मन्त्री जी से कि जब वह अपना उत्तर दें तो उसमें यह चीज अवश्य स्पष्ट कर दें।

मालगुजारो की वसूली में छोटे काश्तकारों के साथ बड़ी ज्यादती होती है। जो बड़े-बड़े काश्तकार, पुराने जमींदार या ताल्लुकेदार थे आज भी उनके ऊपर लाखों नहीं तो हजारों की तादाद में रुपया बाकी है, वह स्थगित होता चला जाता है लेकिन गरीब काश्तकार आज भी बाँधा जाता है। चाहे वे कोआपरेटिव सोसायटीज के कर हों या अन्य कोई, उनके साथ ज्यादती होती है। मैं माननीय मन्त्री जी से अपेक्षा करूंगा कि इस तरफ ध्यान दें। इस समय प्रदेश के अन्दर कोई फसल नहीं है लेकिन तमाम जगहों से शिकायतें आती हैं। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री और माननीय माल मन्त्री को भी पत्र लिखा था। मुझे खुशी है कि कुछ इस सिलसिले में कार्यवाही हुई। अबकी दौरे पर गए तो इस तरह की शिकायतें सुनने को नहीं मिलीं।

एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस प्रदेश में गाँव समाज की भूमि के ऊपर अनधिकृत लोग थे उनके ऊपर कई करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ। केवल खीरी जिले में 80 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। इसमें सवा तीन एकड़ से नीचे के काश्तकार काबिज हैं जो किसी कीमत पर इस रकम को अदा नहीं कर सकते। कई एक कलेक्टर साहबान की रिपोर्ट है कि यह रुपया अदा नहीं हो सकता। क्योंकि जिसके घर खाने को नहीं है वह किस प्रकार रुपया अदा कर सकता है। फिर जब पिछली सरकार ने 30 जून, 1975 को पहले के जो काबिजदार हैं उनको वैध मान लिया है जिनके पास 1.26 हेक्टर से कम भूमि है। एक तरफ आप नियमित करने जा रहे हैं छोटे काश्तकारों को दूसरी तरफ एक बड़ी धनराशि उनकी खोपड़ी पर लदी है। उसको आपको खत्म करना चाहिए। यह मेरा निवेदन है मन्त्री जी से।

मान्यवर, खेती पर निरभर होने वाले लोगों की संख्या इस वक्त 76 फीसदी है और पचास साल पहले यह केवल 69 फीसदी थी। कई बार कहा गया हमारे केन्द्रीय गृह मन्त्री जिनका जमींदारी अबालिशन ऐक्ट बनाने में काफी हाथ रहा, हमेशा कहते रहे कि खेती से हटाकर कर रोजगार पर लगाना चाहिए। इस तरफ कोई सक्रिय कदम नहीं उठ पाया है। मैं जनता सरकार से अपेक्षा करूंगा कि इस तरफ गौर करें और जो खेती के ऊपर बोझ है उसको कम करें। तमाम ऐसे लोग हैं जो सर्विसेज में हैं, कालोनाइजेशन स्कीम खीरी में निकली। दस एकड़ तक कुछ पूर्वी जिलों के गरीब लोगों को मिल गयी, लेकिन ज्यादातर बड़े-बड़े अफसरों और पंजाब के और हर जगह के लोगों को सैकड़ों एकड़ जमीन दे दी गयी। इस तरफ मान्यवर, देखना चाहिए। खेती के ऊपर निर्भर

[श्री जगन्नाथ प्रसाद—]

करने वाले व्यक्ति जो हैं, कृषि का कार्य करते हैं, अपने हाथ से जो जोतते हैं, हल चलाते हैं, उनको मिलना चाहिए।

मान्यवर, हमारे मन्त्री जी ने तो कुछ स्वयं मान लिया है। वह देहाती क्षेत्र से आते हैं सौभाग्य से उनका सम्बन्ध गरीब किसानों से है, क्योंकि वह खुद जमींदार रहे हैं, किसानों के बारे में उनको सही ज्ञान है। उन्होंने साफ-साफ अपने भाषण में मान लिया था कोई बताने की जरूरत नहीं पिछले शासन में हरिजन और भूमिहीनों को जो भूमि आवंटित हुई उसका कार्यान्वियन केवल कागज पर था जानबूझकर कर भूमिहीनों और हरिजनों को अधिकतर ऐसी भूमि का आवंटन किया गया जो या तो किसी के कब्जे में वर्षों से चली आ रही थी या चरागाह, खलिहान आदि के काम में लायी जाती थी। वह स्वयं इस बात को जानते हैं। उस समय मान्यवर, बड़े-बड़े फार्मों का सर्वे करने के लिए एक समिति बनायी गयी थी जिसका नाम मंगल देव विशारद समिति रखा था। इसकी बड़ी जरूरत है, राजस्व मन्त्री जी समझे। एक समिति राज्य स्तर पर और फिर मण्डलीय स्तर पर समितियां गठित की जायं। जिसमें इस सदन के और विधान परिषद् के सदस्य हों। वे गाँवों में जावें और दौरा करें तो उसमें असर पड़ेगा और बहुत से मामले प्रकाश में आवेंगे। कुछ ही गाँव होंगे जहाँ पर यह काम नियमित रूप से हुआ है। कब्जा कागज पर तो है लेकिन मौके पर नहीं है।

स्वतन्त्रता रजत जयन्ती पर एक स्कीम निकली थी जिसमें यह था कि हरिजनों के लिए आवास के लिए व्यवस्था की जाएगी। रिपोर्ट जो हम लोगों को दी गयी है उसमें यह है कि 12 लाख लोगों को भूमि दी गयी है। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल फर्जी रिपोर्ट है शायद 5 प्रतिशत गाँवों में यह कार्य हुआ हो। शहरी इलाकों के बारे में कानून अभी नहीं आ पाया है। आवास स्थलों का आवंटन होना चाहिए, परानी सरकार ने जो योजना बनायी थी अच्छी थी। उसका कार्यान्वियन नहीं हो सका है। उसे माननीय माल मन्त्री जी को देखना चाहिए। 8 फीसदी से अधिक जो भूमि है गाँव सभा के पास उसके बारे में कहा गया कि गलती से पट्टा हो गए हैं। तालाब है, पोखर है या ऊसर है उनका पट्टा हो गया है, यह जो आदेश गए हैं सही गए हैं 8 फीसदी से ज्यादा भूमि कहीं बचती ही नहीं थी, तो उनको भूमि दी जाएगी कहाँ से? तो जो नामुमकिन जगह का पट्टा हो गया है तो उसे खारिज किया जाना चाहिए। जोत सीमा के अन्तर्गत जो जमीन सरप्लस मिली है। 5 एकड़ वाला सीलिंग प्रतिबन्ध समाप्त किया जाना चाहिए। अगर सर्वे कराया जाए तो मालूम हो जाएगा कि 10-15 फीसदी से अधिक कोई आदमी 5 एकड़ वाला नहीं मिलेगा जो उस जमीन को लाकर गरीबों को दिया जावे। 5 एकड़ जो किया गया है उससे परेशानी आएगी। मैं चाहता हूं कि इस को दुरुस्त किया जाए।

मान्यवर, सीलिंग की जमीन के बारे में यह आवश्यक है कि जो मंत्री जी ने पुस्तिका बांटी है उसमें है कि उन पर सख्ती की जाएगी लेकिन जब तक उस आदमी को बन्द नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा उस पर असर नहीं पड़ने वाला है। मैं तहसील धौरहरा की बात कहता हूं। जिला खीरी में बहुत से लोग हैं, जो मौके में एकड़ जमीन जबरदस्ती कब्जाये हुए हैं और बहुत सी जमीनें अपने रिश्तेदारों और नौकरों के नाम करवा रखा है। उनसे कब्जा लेना मुश्किल है। मेरे पास गाँवों की सूची है, मैं चाहता हूं कि

माननीय मन्त्री जी उसको दिखवावें। जटपुरवा सेमरी, टहारा, सुजई, कुन्डा, धूसा, मटेरा, देवी पुरवा, सिसैय्या, विरसिंहपुर, रायपुर, वेल्तुवा ईसानगर, खमरिया खुर्द लाखन, सिगावर, मन्डी, बेलागढ़ी, कैराती पुरवा, ओझा पुरवा, सुजातनपुर, गुलरिया तथा अमेठी, पसैरी देव, मनिया। इतने गांव हमने मिसाल के तौर पर बताए कि प्रदेश में किस तरह से तराई के इलाके में हजारों की तादाद में ऐसे लोग होंगे उनके केसेज को दोबारा दिखवाना चाहिए।

मंगलदेव विशारद समिति से मान्यवर, काफी सहायता मिलेगी, यह खुशी की बात है कि उसकी संस्तुतियों पर हम अमल करने जा रहे हैं। ये मौजे हमने मिसाल के तौर पर बताए हैं।

मान्यवर, एक आदेश जारी हुआ था कि 30 जून, 1975 से पहले जितने भूमिहीनों और हरिजनों का 1.26 हेक्टेयर से कम की जमीन पर कब्जा था उसको वैध करार दिया गया था। किन्तु इसका पालन बिल्कुल नहीं किया है जिसका अन्दाजा इनके आंकड़ों से हो जाता है। 30 अप्रैल, 1977 तक केवल 19,763 व्यक्तियों को 13,853 एकड़ भूमि दी गई है। इनका प्रचार भी जिलों में नहीं हुआ है। जो भी आदेश सरकार द्वारा दिये जाते हैं, उनका प्रचार नहीं हो पाता है। सरकार को चाहिये कि वह अपनी प्रचार मशीनरी द्वारा उसके द्वारा दी गई सुविधाओं और आदेशों का प्रचार करवायें। इसके लिए जिलाधिकारियों को लिख देना चाहिये। 95 फीसदी गाँवों के सभापति इस को नहीं जानते हैं। अत: इनका अवश्य ही प्रचार होना चाहिए।

जिला उन्नाव में ऐसे चार मौजे हैं जिनमें कम से कम 200, 400 एकड़ जमीन होगी जहाँ भूमि वितरण के समय इसका ध्यान नहीं रखा गया है। ये ग्राम हैं बारीथाना, नीसरपुर-सराय पतौली और मुन्डा जहाँ खेतों में गन्ना खड़ा है और वह काटा जा रहा है। यह समस्या पूरे जिले में है। अत: इसका प्रचार होना चाहिये और जिलाधिकारियों को यह लिखना चाहिये कि वे इस पर ध्यान दें।

ग्राम धटौरा, परगना मानिकापुर, तहसील उतरौला, जिला गोंडा में 30 जून, 1975 के पूर्व गरीबों को सीलिंग भूमि पर कब्जे करने को सीरदार नहीं बनाया गया। वहाँ के विधायक जी ने बताया कि कई लोगों की दरख्वास्तें भी वहाँ पर इसके लिए मौजूद हैं।

अब मैं चकबन्दी की ओर आता हूं। मान्यवर, जो पुस्तिका दी गई है, उसमें दिया गया है कि 27 जिलों में 127 तहसीलों की चकबन्दी पूरी हो गई है। यह बड़ी अच्छी योजना थी और इसका ध्येय यह था कि किसानों की जमीन यकजाई हो जाए और दुरुस्ती काश्तकार हो जायें। उनको हर तरह की पानी की, खाद की और तमाम आवश्यक सुविधायें मिल जायें। लेकिन इसका पालन नहीं हो पाया। जो चकबन्दी पहले हो गई थी वह तो ठीक रही लेकिन दोबारा इसके लिए मांग रही। बिलाई एक तहसील है और ऐसी ही 19-20 और तहसीलें हैं जिनमें दोबारा चकबन्दी की मांग की गई है लेकिन जो चकबन्दी हो रही है, उसमें बहुत गड़बड़ हो रही है। मैं अपने इलाके की बात बताता हूं। सन् 1974–76 तक जिन गांवों में चकबन्दी हुई वे एक प्रकार से लुट गए। गरीबों

[श्री जगन्नाथ प्रसाद---]

की आबादी के पास की भूमि उड़ान का चक दे कर किनारे फेंक दी गई । बड़े लोगों ने पैसा खर्च करके अपने चक अच्छी भूमि पर बनवा लिए और गरीबों का गला काटा । यह कार्य ग्राम सेमरी और जटपुरवा मल्लबहेड़ में हुआ जहां बहुत गड़बड़ हो रही है। सन् 1974-76 के बीच इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। भूमि की मालियत लगाने के सिलसिले में पहले ए0सी0ओ0 लेविल पर, फिर सी0ओ0 लेविल पर और एस0ओ0सी0 ये लोग मिल-मिला कर लोगों से काफी रुपया ऐंठते हैं। यह सौभाग्य की बात है कि इस समय एक बड़े अच्छे और ईमानदार एस0ओ0सी0 पहुंच गये हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो मुकदमे निपटारे के लिए पड़े होते हैं डी0डी0सी0 में, वहां 3-4 साल लग जाते हैं अत: मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि वहां एक और डी0डी0सी0 की नियुक्ति कर दी जाय तो काम चल सकता है।

चकबन्दी में सबसे ज्यादा गड़बड़ी क्लासिफिकेशन आफ स्वायल में होती है। एस0ओ0सी0 लेविल पर, सी0ओ0 लेविल पर और फिर एस0ओ0सी0 की अपील पर ही ए0सी0ओ0, सी0ओ0 इत्यादि तमाम अधिकारी काफी रुपया ले लेते हैं। इस तरह से मान्यवर, वहां काफी गड़बड़ हो जाती है। इस तरफ मन्त्री जी को देखना चाहिए कि अगर उसकी तरकीब निकल आए तो उस पर गौर करना चाहिये क्योंकि बहुत बड़े अधिकार ए0सी0ओ0 को दिये गये हैं। यह एक बुनियादी चीज है और वह चीज जब गड़बड़ी होती है तो गड़बड़ी चला करती है। कहा गया है कि ऐन एब्सोल्यूट पावर करप्टस एबसोल्यूटली। सम्पूर्ण शक्ति पूरी तरह से भ्रष्ट करती है। छोटे अधिकारी को आप जितने अधिक अधिकार देंगे, तो भ्रष्टाचार तो होगा ही । मेरी प्रार्थना है कि माननीय मन्त्री जी इस ओर ध्यान दें।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया अपनी बात 2 मिनट में कह दें।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

मान्यवर, कट मोशन मूव करने वाले को तो 25 मिनट का समय दिया जाता है ?

श्री अधिष्ठाता--

आप अपनी बात 5 मिनट में समाप्त कर दीजिए।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि इस विभाग में भी बहुत से ईमानदार अधिकारी भी हैं। लेकिन वे ए0सी0ओ0 के ए0सी0ओ0 ही 10-15 साल से बने रहे हैं उनको कुछ इनाम दे दिया जाय और अगर कुछ और न कर सके तो कम से कम वर्ष में 2-3 इन्क्रीज ही दे दी जायं।

मान्यवर, ग्राम धटौरा, परगना मनिकापुर, तहसील उतरौला, जिला गोंडा में ए0सी0ओ0 से मिलकर जो कब्जाना आराजी थे, हरिजनों की भूमि को पेशवारी किशन लाल को दे दी गयी और फिर उनको उड़ान की चक बना लिया गया है। चकबन्दी में दुरुस्ती कागजात का कार्य पूरा करके चक काटने चाहिए। मुतफर्रिक काम के लिए

रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट वाले ऐसा कर देते हैं। यह बुनियादी जड़ है झगड़ों की। अगर नीचे का कर्मचारी लेखपाल आदि कागज में सही एन्ट्रीज कर दें तो इस प्रकार के झगड़े हो ही नहीं सकते हैं। यह नेग्लेक्टेड कार्य रहता है, इसके कुछ भी कारण रहे हों। यह भी देखने में आया है कि तहसीलों में जो स्टाफ है वह बहुत कम है। आपने तहसीलदार तो बढ़ा दिए हैं लेकिन जो दुरुस्ती कागजात से सम्बन्धित और अधिकारी हैं जैसे रजिस्ट्रार कानूनगो, सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो और नायब तहसीलदार आदि को नहीं बढ़ाया है जिससे दुरस्ती कागजात सही हो। जहां तक म्युटेशन, दाखिल खारिज-अमलदरामद का सम्बन्ध है वह आटोमेटिक होना चाहिए। उसके लिए काश्तकार को दरख्वास्त न देनी पड़े। जितनी पैरवी दाखिल खारिज में करनी पड़ती है उतनी ही पैरवी अमलदरामद में करनी पड़ती है।

गत 15 दिन हुए सरकार ने एक नक्शा निकाला था माल विभाग द्वारा जिसमें बाढ़ से प्रभावित कुछ जिले दिए गए थे। मुझे याद है कि उस नक्शे में खीरी जिले का नाम तक नहीं था जो हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहता है। मेरी पर्सनल नालेज है कि इस जिले में 20-25 गांव घाघरा और शारदा से कट गए थे और उनको सहायता भी पहुंची थी। ऐसा नहीं है कि सहायता न पहुंची हो, लेकिन नक्शे में उनका नाम नहीं आया। मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय माल मन्त्री जी इस ओर भी देख लें।

कुछ दिन पूर्व नयी-नयी तहसीलें भी बनायी गयीं और किराए के मकान लेकर उनमें सरकारी कागजातों को रखा गया है। तहसीलदार, नायब-तहसीलदार और अन्य कर्मचारियों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है और न ही कागजात को रखने की ही व्यवस्था हो पाई है।

ए0 सी0 ओ0 लेविल पर काम समाप्त होने पर सी0 ओ0 लेविल के मुकदमों के लिए हेडक्वार्टर पर जाना पड़ता है, इससे बड़ा कष्ट होता है।

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि रेवेन्यू कोड बिल बन रहा है जिसमें जितने भी रेवेन्यू के कानून हैं, उनको एक जगह कर दिया जायगा।

अब एक सुझाव में सीलिंग ऐक्ट की दफा 14 (2) के बारे में देना चाहता हूं। इस दफा को निकाल देने से एक बड़ी कुव्यवस्था सी पैदा हो गई है। जो थर्ड पार्टी होती है उनके हक के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय माल मन्त्री जी से अपेक्षा करूंगा कि जो मैंने कहा है कि 12 1/2 एकड़ सीलिंग की जाय, बोर्ड आफ रेवेन्यू को एबोलिश किया जाय और भूमिहीन हरिजनों को भूमि दी जाय उनकी वे व्यवस्था कर दें।

इन शब्द के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

कृपा करके बैठें। मुझे निवेदन करना है कि जब तक माननीय सदस्य जो भाषण दे रहे हों, वह बैठ न जायं तब तक आप लोग उठा न करें।

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, राजस्व मन्त्री द्वारा जो यह अनुदान प्रस्तुत की गयी ह उसका समर्थन करता हूं और विरोधी दल की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका विरोध करने के लिए निवेदन करना है। श्रीमन्, मैं पुरानी सरकार और नयी सरकार की तुलना में राजस्व विभाग से सम्बन्धित बातें सबको बताना चाहता हूं। राजस्व विभाग एक ऐसा विभाग है जो तमाम विधायकों से सबसे, सब इनसानों से सम्बन्ध रखने वाला विभाग है। इसका सबसे बड़ा सम्बन्ध भूमि से है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि पुरानी कांग्रेस के राज्य में सन् 1952 में जमींदारी टूटी। इसके बाद जितनी भूमि बची थी प्रदेश में, यह किसी से छिपी बात नहीं है कि उस जमीन का भूमिहीन लोगों में वितरण नहीं हुआ। बड़े-बड़े लोगों ने उसे अपने लड़के और परिवार के नाम से लिखवा कर हड़प लिया। सीलिंग की बात कही जाती है। मुझे विरोधी दल में दो बार रहने का मौका मिला। सीलिंग के नाम पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार कि लोगों को जब हदबन्दी की बात आती थी तो उस जमाने में पहले से इतना सजग कर देती थी कांग्रेस सरकार कि अपनी जमीन बेचो, हम इतनी सीमा बनाने वाले हैं और तमाम बड़े-बड़े लोग जमीनों को बेच डाले, उसका पैसा ले लिया, लेकिन सीलिंग का कानून बनने नहीं दिये। पुरानी जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी उसकी नीतियां पूंजीवादी थीं और जनता पार्टी की नितियां समाजवादी हैं, समाजवाद ही नहीं महात्मा गांधी की नीति है। हमको, आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा।

यही नहीं, अधिष्ठाता महोदय, इनकी जो पुरानी व्यवस्था है उसके बारे में मैं कहूंगा कि इतना ही नहीं था कि अपने और अपने परिवार के लोगों के नाम जमीनें सुरक्षित करा दीं, उसके अतिरिक्त तिकड़मबाजी से लोगों को पूरा मौका दिया कि वह अपने नाम से, फर्जी-फर्जी नामों से, दाखिल-खारिज करते थे और सीरदारी करा लिये, इनकी कानों पर जूं नहीं रेंगी और बड़ा भ्रष्टाचार उसके नाम पर फैला और भूमिहीनों के नाम पर कोई जमीन रह ही नहीं गयी। कहावत है कि —

समुन्दर में पानी बरसता रहा,
रेता बेचारा तरसता रहा।

क्या बात करते हो? गरीबों की कमर तोड़ डाली। अपने लिए बड़े-बड़े फार्म खुलवाये, नैनीताल में बड़े-बड़े फार्म कायम किये। तमाम जमीन अपने घोड़े के नाम, अपने हाथी के नाम, अपनी बिल्ली के नाम, अपने कुत्ते के नाम, अपनी स्त्रियों के नाम, पुरुषों के नाम, तमाम जमीनों को हड़प लिया। बड़ा भ्रष्टाचार फैलाया। बराबर हम लोग कहा करते थे कि अलाभकर जोतों पर से लगान माफ होना चाहिए और संविद सरकार ने, हम लोगों ने माफ किया। हमारी सरकार ने, जनता पार्टी की सरकार ने 3 1/8 एकड़ तक का लगान माफ किया है। हमने सवा छः एकड़ तक का माफ किया था, इन्होंने फिर सवा एकड़ कर दिया था। यही नहीं तमाम कागज बन कर तैयार थे, किसानों का लगान दस गुना बढ़ाने के लिए, कितने से वसूली हो गयी, तभी पार्लियामेन्ट का चुनाव आ गया। डर यह हुआ कि लगान का मामला अब कैसे दबाया जाय। यह तीस साल का आपका इतिहास था। यही नहीं बराबर हम लोग कहा करते थे कि लगान का दस गुना, तीस गुना लगान न लगावें। लेकिन आपने लगान का दसगुना लगान वसूल कर के गरीब की कमर को तोड़ा।

लेकिन वाह रे जनता पार्टी की सरकार, उसने बिना दसगुना, बीस गुना लिए भूमिधर बना दिया। जनता पार्टी की क्या नीति है और कांग्रेस सरकार की क्या नीति थी, उसकी तुलना करनी है। इन्होंने जो बड़ा भ्रष्टाचार और पाप किया है उसको इतिहास कैसे बर्दाश्त कर सकता है ? पुरानी सरकार का जो रवैया था वह किसी से छिपा नहीं है--भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी। आपके बुरे इन्तजाम का यह नतीजा देखना पड़ रहा है कि जनता पार्टी की सरकार यह सोच रही है कि इस तमाम कूड़ा-करकट और पापों से जनता को कैसे निकाला जाय।

हमारे राजस्व मन्त्री जी भी इस फिक्र में हैं कि कैसे इन्तजाम किया जाय। नहरों की जो स्थिति चल रही है हमारे राजस्व मन्त्री जी को इस बात की चिन्ता है कि उसको कैसे ठीक किया जाय। हमारे राजस्व मन्त्री जी को इस बात की चिन्ता है कि जहां पर चकबन्दी चल रही है, जहां धारा 52 का प्रकाशन नहीं हुआ है वहां जमीन की व्यवस्था कैसे की जाय। यही नहीं, धारा 52 के प्रकाशन के बाद जबकि कानून का तमाम शिकन्जा बना हुआ है, उसमें नया कानून बनाना पड़ेगा वहां भी राजस्व मन्त्री जी सोच रहे हैं कि कैसी व्यवस्था जमीन की की जाय, क्योंकि जो छोटे किसान हैं उनकी जमीनें नहरों और सड़कों के बीच में आ जाएंगी तो वे भूमिहीन हो जायेंगे। हमारे साथी ने वर्णन किया है मंगलदेव विशारद कमेटी का। पुरानी कांग्रेस सरकार ने उसको लागू नहीं किया। हमारी जनता पार्टी की सरकार उसको लागू करने के लिए आ गयी। जनता पार्टी ने साफ ऐलान कर दिया है.....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य के केवल 2 मिनट रह गए हैं।

श्री भाभी--

चूंकि समय कम है, आजमगढ़ जिला जहां से मैं चुन कर आया हूं, विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर से, वहां बड़ा जबर्दस्त सूखा पड़ गया है। वहां का लगान माफ होना चाहिए और सरकार की तरफ से जो भी सहायता हो सके वह मिलनी चाहिए। पुरानी कांग्रेस सरकार लोमड़ी है। जैसे लोमड़ी गड्ढा खोदती है...

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य का समय समाप्त।

श्री भाभी--

जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव 1 रुपए का है उसका मैं घोर विरोध करता हूं।

*श्री हरिपाल सिंह शास्त्री (जिला बिजनौर)--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत जो कटौती का प्रस्ताव हुआ है, उसका घोर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिपाल सिंह शास्त्री]

विरोध करता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पुरानी कांग्रेसी सरकार ने जिस प्रकार से व्यवस्था की थी, उस पर जरा दृष्टिपात करें। 1952 में आपने यह प्रस्ताव पेश किया था कि इस प्रदेश के अन्दर से जमींदारी पथा को समाप्त किया जाय और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के उपरान्त इस देश के करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया जाय। उस प्रथा को समाप्त करने के उपरान्त जो जमीन बची थी, उसका यूटिलाजेशन अपनी सुविधा के लिए किया। आपने उसके पश्चात् सन् 1960 के अन्दर और 1975 के अन्दर इस कानून के अन्दर काफी परिवर्तन करने का प्रयास किया है। इस 19 महीने के शासन में जो पिछले दिन बीते हैं, उसमें आपने भूमि वितरण की व्यवस्था जो भूमिहीनों के लिए की थी, उसमें किसी गरीब को राहत नहीं मिली। उनको ऐसी जमीन दी गयी, जो कटाव की थी, जिसमें पानी भरा हुआ था, जो जमीनें ऐसे लोगों के हाथों में थीं, जो नहीं मिल सकती थीं, उन जमीनों को उन गरीबों के नाम से एलाट करने को घोषणा तो की, लेकिन उन गरीबों के इस्तेमाल में वे जमीनें नहीं आ सकीं। वे हरिजन मजदूर जो मजदूरी करना चाहते थे, जो गांव के अन्दर अपना जीवन यापन करना चाहते थे, उनको इधर से हटा भी दिया और जो भूमि उनके नाम एलाट करने की घोषणा की, वह जमीन नहीं दी गयी। उसके इस्तेमाल के सम्बन्ध में घड़ियाल के आंसू की तरह से बहाने का प्रयास किया गया, लेकिन उनको समर्थन देने का प्रयास नहीं किया गया।

जो आपने 1975 के अन्दर, 10 माह के अन्दर 17 लाख एकड़ भूमि को, 18 लाख आदमियों को आवंटित करने का अपने माध्यम से वादा किया था वह जमीन कहां गयीं ? बेरोजगारी, भुखमरी आज भी अपने प्रदेश के अन्दर बढ़ती चली गयी। जो भूमि कांग्रेसी शासन में आपने एलाट किया था, वह जमीन 59-60 प्रतिशत लोगों को प्राप्त नहीं हुई। 1952 के अन्दर जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के पश्चात् 1975-76 में जो संशोधन धारा 35 के अन्दर आपने किया है, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय तिवारी जी आज फिर मौजूद नहीं हैं कि वह कानून बनाने के बावजूद भी काशीपुर में एक भी व्यक्ति को आज तक नोटिस नहीं दी गयी। बड़े-बड़े फार्म आज भी वहां पर मौजूद हैं। एक भी व्यक्ति की जमीन सीलिंग में वहां से नही निकली। उसके लिए प्रयास करना चाहिए। आज दिन मेरठ के अन्दर शाहनवाज की भूमि को निकालने के लिए कांग्रेस सरकार ने प्रयास नहीं किया। माननीय तिवारी जी के शासन काल में 1960 से 1972 के अन्दर 62 हजार 615 एकड़ जमीन जो फालतू थी, गरीबों को नहीं दी गयी। भू-दान के नाम पर लाखों एकड़ जमीन कांग्रेसी शासन में इक्ट्ठा कर ली गयी, उसका भी संरक्षण इस सरकार को करना चाहिए।

मान्यवर, मैं मानता हूं कि राजस्व विभाग के अन्दर एक प्रकार से सारे विभागों के अन्तर्गत वसूली की जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस शासन ने 10 महीनों में जिस तरह से लोगों पर ज्यादतियां करके, इतनी ज्यादतियां की गयी कि लोगों को जमीन और घर बेचना पड़ा। घर बेच कर उनको भुगतान करना पड़ा। वसूली के सम्बन्ध में आज भी इसी प्रकार की समस्या है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी का शासन आने के पश्चात् माननीय राजस्व मन्त्री ने कुछ महीने के लिए राहत देने के लिए आश्वासन दिया था लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस पर अमल नहीं हुआ है। मन्त्री जी इस और विशेष रूप से ध्यान देंगे।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिला बिजनौर के अन्दर गंगा और रामगंगा से निकली हुई जमीन है उस जमीन पर बाहर के आए हुए लोगों ने कब्जा कर लिया है। मान्यवर, इसी तरह से रामगंगा का बांध बन जाने से जो जमीन निकली है उस जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। तो इस जमीन का पुनरीक्षण कराना होगा और जिन लोगों ने जोर जबरदस्ती करके जमीन पर अपना अधिकार कर लिया है उनके अधिकार को हटाकर उस जमीन को भूमिहीनों में वितरित करना होगा। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वे ऐसी भूमि की तलाशी करें और जो कांग्रेस शासन में बड़े-बड़े लोगों ने उसे हथिया कर कब्जा कर लिया है, उसे अपने कब्जे में करके उसका पुनर्वितरण करना चाहिए।

मान्यवर, मैं मानता हूं कि इस विभाग में भ्रष्टाचार है। मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कांग्रेस शासन ने इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी थी कि लोगों को पैसा देकर तहसीलदार या दूसरे लोगों से, अपना काम कराना पड़ा। वे लोग आज भी विभाग में विद्यमान हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इसकी जांच करायें और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार इस राजस्व विभाग में व्याप्त है उसको समाप्त करने का प्रयास करें। मैं इन शब्दों के साथ इस अनुदान का समर्थन करता हूं और विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हुए मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि इस प्रदेश के भूमिहीन, गरीब और खेतिहर लोगों की ओर विशेष ध्यान देकर जनता पार्टी की सरकार को राहत देने का प्रयास करना चाहिए।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, यह जो....

श्री रामाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री अधिष्ठाता--

कहिए-कहिए।

श्री रमाशंकर कौशिक--

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि विभागीय अनुदानों पर बहस की जा रही है। चर्चा के दौरान भाग लेने वालों के नामों की सूची माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था के मुताबिक विभिन्न दलों की तरफ से आती है और उस दल, जिस दल से हम सम्बन्धित हैं उनकी बैठक सबेरे 9 बजे से 10-11 बजे तक, जब तक सदन नहीं होता है, चलती है। इसमें सूची बनायी जाती है और वह सूची आपके पास भेजी जाती है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि उस सूची में से नाम काट दिया जाता है। या तो आप व्यवस्था रखें कि जो सदन में खड़े होंगे और आपकी निगाह पड़ेगी तो आप उनको बुलायें। अगर आप सूची जो दलों के जरिए मंगाते हैं, तो मेरा नम्र निवेदन है कि उस सूची के आधार पर आपको किस के नाम को काटने की व्यवस्था नहीं रखनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

हमारे माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि ऐसा है कि सुविधा की दृष्टि से भिन्न-भिन्न दलों की तरफ से 10—5 नामों की सूचियां आ जाया करती हैं। यह ठीक है और वह एक लिखित सूचना के तौर पर होती है। साथ ही साथ हमारे माननीय सदस्य उठते हैं, तो कोई भी सूची आती है उससे अध्यक्ष अपने को बाध्य नहीं करते हैं। अध्यक्ष की दृष्टि जिस सदस्य पर पड़ती है, जिसको उचित समझते हैं, उसको आमन्त्रित किया जाता है।

श्री देवबहादुर सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने राजस्व मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान के प्रस्ताव पर कटौती का जो प्रस्ताव है उस पर कुछ कहने का अवसर दिया। मान्यवर, मैंने ध्यान से राजस्व मन्त्री जी का वक्तव्य सुना तो उन्होंने एक बात कायदे की कही कि जो राजस्व से सम्बन्धित कानून हैं उसमें इतने संशोधन हुए हैं कि उसके मूल अधिनियम का रूप ही विकृत हो गया है इसलिए राजस्व के मामले में एक विधेयक लाने की बात कही है जिसके लिए मैं उसका स्वागत करता हूं और उनको बधाई देता हूं।

मान्यवर, जब से सदन चला है तब से ये कांग्रेस सरकार की दुहाई देते हैं। वैसे न इनकी कोई नीति है और न कोई सिद्धान्त। सिवाय दुख रोने के लिए यहां आते हैं। यह भूल जाते हैं कि 30 सालों में कांग्रेस सरकार ने क्या-क्या किया। 1952 से लेकर आज तक जितने भूमि सम्बन्धी क्रान्तिकारी परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुए हैं उतने अन्य प्रदेशों में नहीं हुए हैं। जमींदारी उन्मूलन इस प्रदेश के माध्यम से हुआ था, जो यहां रियायादारी करते थे उनको समाप्त किया गया और भूमि पर लोगों को अधिकार दिए गए। इसके कानून को देखें कि धीरे-धीरे इतना विकास हुआ है जितना कि हो ही नहीं सकता है। दूसरे प्रदेशों ने इस प्रदेश की नकल किया है और फिर भी कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि आँख से तो देख ही सकते हैं यदि बुद्धि से अन्धे हैं। आप देखें कि जमींदारी का विनाश हुआ, भूमि का आवंटन किया गया, लगान कम हुआ। यह सब कार्य हुए हैं।

लगान की बात ले लें। पिछली सरकार ने ऐलान किया था और कानून बनाया था, अध्यादेश जारी हुआ था कि जो लगान है वह 30 जून, 1976 को जो हो उस स्तर पर ला दिया जाएगा। तो, आप उसको क्यों नहीं लाए? सिंचाई मन्त्री जी ने कहा था कि विकास कर समाप्त कर दिया जाएगा लेकिन अभी तक नहीं समाप्त किया गया। यह क्यों? राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है उसमें एक बात कही गयी है कि लगान में समानता लाई जाएगी और उसके नाम पर 40 करोड़ की धनराशि ज्यों की त्यों है। जो समानता लाने की बात कही गयी है उसके आधार पर निश्चित रूप में लगान आप बढ़ाने वाले हैं। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि यह काम आप न करें। आपने अपने भाषण में इसका जिक्र नहीं किया कि लगान बढ़ाने वाले हैं कि नहीं। अभी स्थिति किसानों की ऐसी नहीं है कि जिस रूप में आप लगान बढ़ाना चाहते हैं उसको वह बरदाश्त कर सकें। यदि आपके मन में लगान बढ़ाने की बात हो तो उसको अपने मन से निकाल दें और उत्तर भी दें कि ऐसा करेंगे या नहीं।

मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा है कि हम कोई एक नया विधेयक प्रस्तुत करेंगे जिसमें सबको संतुलित करके जो विकृत रूप हो गया है उसे एक नया रूप देंगे। तो मान्यवर, एक कानून 1972 में बना था "भूमि अधिग्रहण अध्यासन अधिनियम, 1972" उसमें कुछ गांव ऐसे हैं जहां एक मकान बना दें या दीवार बना दें तो पूर्व अनुमति लिए बिना यदि बना दिया तो उन पर अदालत में मुकदमें चल रहे हैं। इसलिए इस कानून का बड़ा भारी दुरुपयोग हो रहा है। जो गरीब बसे हैं 30–30 वर्षों से 100–200 आदमी झोपड़ बनाकर रह रहे हैं यदि कुछ बनाया है तो उन पर 100 रुपए से 2 हजार रुपए तक जुर्माना किया गया है। उनको लाक-अप में बन्द किया गया है, फिर छोड़ा गया, फिर बन्द किया गया। उनके पास पैसा नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि काले कानून को निरस्त कर दें तो अच्छा होगा।

मान्यवर, किच्छा तहसील, जिला नैनीताल में चकबन्दी नहीं हुई है। वहां के लोग हमसे कह चुके हैं कि वहां चकबन्दी हो। कुछ तो नए गांव वहां बसे हैं जहां जमीन कंसालीडेटेड है लेकिन जो पुराने गांव हैं उनकी जमीन बिखरी हुई है। इसकी वजह से लोग सिंचाई की सुविधा नहीं कर पा रहे हैं, ट्यूबवेल नहीं लगा रहे हैं। इसलिए वहां की चकबन्दी करा दें तो छोटे-छोटे लोगों को राहत मिलेगी।

एक बात आकस्मिक क्षति के बारे में कहूंगा। जैसे अगर आग लग जाती है तो अब भी वही 25–30 रुपया दिया जाता है। यह बहुत कम है। अगर कोई क्रान्ति लाना चाहते हैं तो इसमे लायें। चाहे सम्पन्न आदमी को न दें लेकिन जो छोटा आदमी है उसको 100–200 रुपया तो दें जिससे वह अपनी झोपड़ी बना सके। इसलिए इस धनराशि को बढ़ाने की कृपा करें। मान्यवर, अलाभकर जोत की बात हुई। आपने कहा कि तीन सही एक बटा 8 एकड़ लगान माफ कर दिया। यह क्रान्ति आपने की। लेकिन इसके पहले सवा छः एकड़ की बात की गई संविद सरकार में। जब 1974 में कांग्रेस की सरकार बनी तो चौधरी चरण सिंह नेता विरोधी दल थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि अगर राजस्व की कमी है तो हम स्वागत करेंगे जो लगान माफ किया गया है उसे पुनः लगा दें लेकिन शर्त यह है कि जो छोटे किसान हैं उनको सस्ती बिजली, सस्ती खाद, सस्ता बीज दिलाने की व्यवस्था कर दें। सरकार ने यह किया भी।

एक बात किसान होने के नाते मैं कहता हूं कि कोई किसान नहीं चाहता कि लगान माफ कर दिया जाय। यह तो एक राजनैतिक स्लोगन है। किसान लगान माफी की बात नहीं करता। हां, विकास कर आप लगा दें तो उसकी माफी की बात कर सकता है या लगान 20 गुना कर दें तो वह नाराज हो सकता है। जो लगान है वह रहने दें और साथ ही उसको सस्ती बिजली, सस्ता खाद, सस्ता बीज उपलब्ध करा दें जिससे कि वह अपनी पैदावार बढ़ा सकें। आपका लगान देने में उसको खुशी होगी। आपने नारेबाजी में 16 करोड़ रुपये कम कर दिया लेकिन जैसा मैंने कहा आप बढ़ाने वाले हैं। मान्यवर, हमारे यहां उपनिवेश के गांव हैं। वहां भूमि की रजिस्ट्री हुई, बिक्री की रजिस्ट्री हुई। लेकिन उनका म्यूटेशन नहीं हुआ। शायद यहां से कुछ इस प्रकार के आदेश दें। यह जो अमल-

[श्री देव बहादुर सिंह]

दरामद पर प्रतिबन्ध है इसके लिए आप आदेश कर दें जिससे कि वहां जो अव्यवस्था फैली हुई है वह समाप्त हो सके।

मान्यवर, हमारे यहां किच्छा तहसील में पटवारी हैं। पहाड़ में भी पटवारी हैं। वहां उसको रेवेन्यू और पुलिस दोनों की पावर्स हैं। हमारे यहां वह पटवारी होने की वजह से जो सुविधाएं लेखपाल को प्राप्त हैं उनसे वह वंचित है। जैसे उसकी तनख्वाह में भिन्नता है और अन्य सुविधाओं में भी भिन्नता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वह जो सेवा में भिन्नता है उसे समाप्त करके उन्हें भी उसी स्तर पर रखें जिस स्तर पर प्रदेश के दूसरे पटवारी लोग हैं।

आपने बहुत अच्छी बात कही कि राजस्व विभाग से भ्रष्टाचार दूर करना है। यह बात सही है। इससे मैं बिलकुल सहमत हूं जो राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं उन्हें राजस्व विभाग के कार्य के अतिरिक्त बहुत कार्य लाद दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता--

आप का समय समाप्त।

श्री देव बहादुर सिंह--

इसलिए यह अच्छी बात है। स्वागत की बात है। दूसरा कार्य उन पर नहीं लादा जाय। अब श्रीमन्, जब किसान इन्तखाब लेने जाता है तो उसको कितनी दिक्कतें होती हैं। कोई किसान ऋण प्राप्त करता है बैंक से, कोआपरेटिव बैंक से तो आवश्यकता होगी कि इन्तखाब वहां दे। तो इन्तखाब लेने में उसे बड़ी दिक्कत होती है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है। कोआपरेटिव बैंक, शेड्यूल्ड बैंक सूची तहसीलदार को भेज देंगे कि इन लोगों को ऋण देना चाहते हैं और उनके इन्तखाब तहसीलदार स्वतः बना कर बैंक को भेज दें। वहां जाने की आवश्यकता न हो और जो उचित दर है इन्तखाब लेने का, उसे जमा कर दें। इससे भ्रष्टाचार भी दूर हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं जो कटौती का प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूं और माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिया है यदि वे ग्राह्य हों तो मानने की कृपा करेंगे।

(श्री रमा शंकर कौशिक का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कह रहा था कि जिन्हें आवश्यकता है इस विषय पर बोलने की उन्हें तो बोलने नहीं दी जा रही है. . .

श्री अधिष्ठाता--

यह ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि जो सदस्य अभी तक नहीं बोल सके हैं उनको बोलन का मौका होना चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि जो बोल चुके हैं उनको भी बोलने दिया जाता है। ऐसा मैंने आदेश दिया है। आपकी भावनाएं मेरे ध्यान में हैं। आप बैठिए।

श्री रमा शंकर कौशिक--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, राजस्व विभाग, जिसकी मदों पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वह हमारे प्रदेश के करोड़ों लोगों के साथ सीधे-सीधे जुड़ा हुआ है। मैं इस विभाग

की मदों के सम्बन्ध में जो राजस्व मन्त्री जी का यह प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन श्रीमन्, इस विभाग के साथ लोगों की बहुत सी पीड़ाएं जुड़ी हुई हैं। और हमारे देहात के लोग जो बिना पढ़े-लिखे हैं, जो गरीबी की जिन्दगी गुजारते हैं, जिनके पास कोई और साधन नहीं है वह सब इस विभाग के कर्मचारियों के द्वारा काफी परेशान रहते हैं। मैं तो श्रीमन्, यह भी कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के देहात के सम्बन्ध में जो विवाद पुलिस थानों में दर्ज होते हैं उनमें 70 फीसदी ऐसे होते हैं जो लेखपालों या पटवारियों के कारण पैदा होते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जितने भी विवाद थानों में दर्ज किए जाते हैं देहातों के सम्बन्ध में उनमें से 70 फीसदी ऐसे हैं जो पटवारियों, लेखपालों के जरिए उनकी गलतियों के कारण, लोभ के कारण पैदा होते हैं इसलिए इस विभाग के मामले में जिसके लिए हम लोग और जनता पार्टी की सरकार वचनबद्ध है, देहात के लोगों को राहत पहुंचाने तथा सुख-सुविधा देने के लिए, बड़ी तत्परता से इसमें काम करना होगा। इस विभाग में कई मर्मस्थल हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक मर्म स्थल फर्द का है। दूसरा मर्म स्थल दाखिल-खारिज का। एक मर्म स्थल है जो पिछले तीस साल के कांग्रेसी शासन में और विशेष कर पिछले दो साल के दौरान उत्पन्न हुआ पट्टों के सम्बन्ध में। एक मर्म स्थल है बैनामों के सम्बन्ध में। ये सब मर्म स्थल हैं जिनमें देहात का आदमी पीसा जाता है। मैं इनके सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

इन्तखाब के मामले में सन् 1967 में संविद की सरकार ने तय किया था कि हर काश्तकार को पास-बुक दी जायगी लेकिन उस पर पूरी तरह से अमल नहीं हुआ। कुछ जगहों पर पास-बुकें दी गयी हैं लेकिन उन पास-बुक्स की जो अहमियत व महत्ता होनी चाहिए कानून के मुताबिक, उनको नहीं दी गयी। मेरा सुझाव है कि पास-बुक्स अनिवार्य रूप से काश्तकारों को दी जायं और उस पास बुक में जो प्रविष्टियां हों किसी गजटेड आफिसर द्वारा प्रमाणित होने पर हर जगह उसे मान्य माना जाय। इस तरह से इस मामले में काम किया जायगा तो इन्तखाब के मसले से सम्बन्धित जो समस्याएं जुड़ी हुई हैं वे हल हो जायंगी और काश्तकार को इससे फायदा होगा।

दूसरी बात पट्टेवाली है। चकबन्दी एक्ट के द्वारा यह तय किया गया था कि 8 फीसदी जमीन गांव सभाओं के पास ऐसे कार्यों के लिए छोड़ी जायगी जो सार्वजनिक हित की हो। इस आठ फीसदी के मामले में यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो जमीनें पहले से आठफीसदी के हद में थीं और स्कूलों के लिए, चरागाहों के लिए या अन्य आवश्यक जनहित के कार्यों के लिए छोड़ी गयी थीं जिनसे गांव के लोगों को फायदा होता हो उन जमीनों को स्पेसिफिक रूप से आठ फीसदी वाली बात को रखते हुए पाबन्दी लगा दी जायगी कि ऐसे सार्वजनिक हित के कामों में जमीनों के अगर पट्टे कर दिए गए हैं तो उनको कैंसिल कर दिया जायगा। यह भी हो सकता है कि आठ फीसदी से अधिक जमीन हो लेकिन सार्वजनिक हित को नकार दिया गया हो जैसे स्कूल, खलिहान अथवा अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए आवंटित न की गयी हो तो पहले उन सार्वजनिक हित के कार्यों के लिए उसे आवंटित किया जाना चाहिए। जमीन कोई रबड़ तो है नहीं जिसको बढ़ा दिया जायगा। इस बात को समझना होगा

[श्री रमा शंकर कौशिक]

और पूर्ण रूप से इस सम्बन्ध में एक अभियान चलाना होगा ताकि जो रोज-रोज इस सम्बन्ध में गांवों में समस्यायें उत्पन्न हों और हैं उनको खत्म किया जा सके। इसलिए विशेष रूप से इस सम्बन्ध में एक अभियान चलाना चाहिए ।

1967 में एक फैसला यह भी हुआ था कि जो चकबन्दी का विभाग है इसको पूरी तरह से राजस्व विभाग में विलय कर दिया जाय लेकिन अभी तक इसका विलय राजस्व विभाग में नहीं हुआ। चकबन्दी का जहां तक ताल्लुक है इसमें बहुत सी शिकायतें हैं, रिश्वतखोरी भी बहुत है, इसको समाप्त करना चाहिए लेकिन यह भी देखना चाहिए कि आखिर ऐसा होता क्यों है ? चकबन्दी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी वर्ग को 15, 16 साल नौकरी करते हो गए लेकिन उनका आज तक स्थायीकरण नहीं हुआ। उसके लिए आगे बढ़ने के लिए तरक्की के सारे रास्ते बन्द हैं। तो श्रीमन्, अगर किसी को आगे तरक्की करने को न मिले तो वह सोचता है कि इस विभाग में चाहे जैसे सेवा करता रहूं लेकिन मेरा जो मापदण्ड है, जो मेरी तरक्की है वह नहीं होगी। हर व्यक्ति को जिसको तरक्की का मौका नहीं मिलता है उसको निराशा होती है। मेरा सुझाव है कि अगर आप पदोन्नति की बात न भी सोचें तो कम से कम यह तो सोच सकते हैं कि जिन्होंने इतने वर्ष की नौकरी कर ली है, पांच या चार वर्ष जो भी हो अगर वह सर्विस ठीक करता है तो उसको स्पेशल ग्रेड दे दें ताकि उसकी इच्छा काम करने की बनी रहे उसको ज्ञात हो कि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमको तरक्की मिलेगी। इसी तरह से नायब तहसीलदार और तहसीलदार के जो अधिकार हैं उनको भी इस सम्बन्ध में देखना चाहिए कि जो ए0सी0ओ0 और सी0ओ0 हैं उनको भी वही अधिकार मिलें ।

श्रीमन्, जिस मुरादाबाद की हसनपुर तहसील से मैं आता हूं उसके सम्बन्ध में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। वहां पर 500 या 550 गांव हैं. . .

श्री अधिष्ठाता--

दो मिनट आपका समय रह गया है ।

श्री रमाशंकर कौशिक--

तो मैं निवेदन कर रहा था कि वहां पर सौ-डेढ़ सौ गांव ऐसे हैं जहां पर चकबन्दी नहीं हुई है। यह सही है कि चकबन्दी न होने के कारण थे और वे कारण आज भी हैं इसमें कोई सन्देह नहीं है। वह गंगा का इलाका है, खादर का इलाका है, लेकिन जब चकबन्दी से तथा जमीन्दारी उन्मूलन से पहले भी ऐसी व्यवस्था थी कि हर पांच साल बाद बन्दोबस्त हुआ करता था। करीब सौ डेढ़ सौ गांव वहां बिना बन्दोबस्त के पड़े हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह व्यवस्था होनी चाहिए कि उन गांवों में बन्दोबस्त हो जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ ।

1977-78 के आय-व्ययक मे अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 1075 7--भू-राजस्व, अनुदान संख्या 40--दैवी आपदाओं के कारण सहायता तथा अनुदान संख्या 78--जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर

*श्री हरी सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझ इस अनुदान पर बोलने का मौका दिया। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इस प्रस्ताव पर बोलूं। वह इच्छा क्यों थी ? क्योंकि इस प्रदेश में एक नई कांग्रेस के नाम पर एक गवर्नमेंट की स्थापना हुई और उसने इस प्रदेश के गरीबों में ऐसा जहर फैलाया कि लोग जेलों में बैठे हुए त्राहि-त्राहि करते थे और ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि कोई ऐसा इनसान पैदा हो जो इससे हमको बचाए। मुझे खुशी है कि श्री शारदा भक्त सिंह जैसे शिव पैदा हुए जो इस जहर को पी लेंगे जिससे जनता को राहत मिलेगी। लेकिन जहर फैलाने वाले भाइयों ने यहां भी कटौती प्रस्ताव पेश कर दिया और यह नहीं देखा कि हमने इतना अनर्थ किया लेकिन अब तो जनता का साथ दें।

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं लेकिन जो आशाएं थीं कि एक जहर सारे प्रदेश में जो फैला हुआ था गरीब और मजदूरों की तरफ ध्यान जायेगा वह नहीं हो पा रहा है। मैं शिव से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपको इसलिए बनाया गया है कि जो किसान मजदूर में पिछली सरकार ने झगड़ा खड़ा कर दिया है उसके जहर को पी जायेंगे। मैं नहीं जानता हूं कि मेरे इलाके में अमेरिकन, जर्मन और रूस का कौन व्यक्ति नहीं आया, कोई ऐसा डेपुटशन नहीं बचा जो मेरे क्षेत्र में न आया हो, कोई ऐसा लीडर नहीं बचा जो मेरे इलाके में न आया हो, हिन्दुस्तान का कोई प्रेस रिपोर्टर नहीं बचा जो वहां न गया हो जबकि वहां कोई राजनीतिक झगड़ा नहीं। लेकिन पटवारी और कानूनगो ने वहां किसान मजदूरों में जहर फैला दिया। वहां सरकारी जमीन मौजूद है, पंचायतों की जमीन मौजूद है, सीलिंग की जमीन मौजूद है।

जनता पार्टी की सरकार से आशा थी कि यह गरीबों का कल्याण करेगी लेकिन इससे भी हाथ जोड़ने की नौबत आ रही है, उनसे भी आशा नहीं है कि कोई काम करेंगे। लालटोपी वालों खामखाह की बात मत करो, असली बात पर आओ। आज गरीबों और हरिजनों पर कितना जुल्म हो रहा है उतना 30 वर्षों में देखने को नहीं आया। उनके पास एक इंच भी जमीन नहीं है उन्होंने अपनी बहू और बेटियों के जेवर बेच दिए और पटवारी को, कानूनगो को देने पड़ रहे हैं। छोटे किसान की जमीन ले ली। किसान परेशान है, उसकी जमीन की क्या जरूरत थी, जब सरकारी जमीन, पंचायत की जमीन और सीलिंग की जमीनें पड़ी थीं, वे मौजूद थीं। नई कांग्रेस की जालिम सरकार ने इंच भर भी जमीन नहीं दी, किसान मजदूर को सिर्फ लड़ा दिया। मैं माल मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वह गरीबों की तरफ ध्यान दें और जिन लोगों की जमीन एक्वायर की गयी है, वह छोड़ दी जायं और सरकारी व पंचायतों की जमीन ली जाय। लेकिन मुझे आशा नहीं है जनता पार्टी की सरकार से कि वह इसे करेगी। हम सब जेलों में थे, उस समय की जो जमीनें छीनी, अभी तक वापस नहीं हुईं तो हम हरिजनों के लिए जमीन की क्या इनसे उम्मीद करें ? यदि इनकी सही उनके साथ हमदर्दी है तो उसे वह मुक्त करावें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरी सिंह]

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा कहता हूं और आपसे भी कहता हूं आपने भी कुछ नहीं किया। आज हर गांव में, हर जिले में झगड़े हैं जिनके कारण मुकदमेबाजी चल रही है लेकिन इस सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं है। किसान परेशान हो रहा है, यह कोई नहीं चाहता कि उसकी जमीन एक्वायर हो। उसको बरी कीजिए, लेकिन उस गरीब की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। यहां के विधायक भी यह नहीं सोच पाते हैं क्योंकि उनको झगड़े के निपटारे का तरीका ही पता नहीं है। आज पूरब वाले राजे परेशान कर रहे हैं, 33 लाख एकड़ जमीन इनकी पड़ी हुई है, लेकिन उन्होंने सरकार की उस जमीन को किसी को नहीं दिया है। श्रीमन्, यदि यह जमीन दे देते तो यह विष नहीं फैलता। नई कांग्रेस ने जितना जुल्म किया है, उससे ज्यादा यह जनता पार्टी की सरकार करती हुई नजर आ रही है। यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है, न हम डरते हैं। उनके साथ सद्भावना आपकी होनी चाहिए। किसान जितनी मालगुजारी देता है, उसका एक अंश भी इस सरकार ने उस पर खर्च नहीं किया, न उस सरकार ने खर्च किया और न यह सरकार खर्च कर रही है। सड़कें उनकी खराब हैं, आने-जाने का रास्ता नहीं है। उनसे जो टैक्स लेते हो उसका कुछ तो खर्च कर दो, नई सरकार तो खा गई गयी लेकिन तुम तो न खाओ सारे काश्तकारों से जमीनें जो एक्वायर की गयी हैं वे छोड़ दी जायं और सरकारी जमीन जो पड़ी हैं उसको इकसार कर दीजिए। डेढ़-दो लाख एकड़ जमीन तो मेरठ में पड़ी हुई है। वहाँ पर तरह-तरह के डेपूटेशन रोज पहुंच रहे हैं जो पंचायती जमीन हैं सरकारी जमीनें हैं, वे दी जातीं तो यह झगड़े न होते। जब मैं जेल में था तो सामने बैठे हुए श्रीमान् ने उसे जब्त कर लिया और मुझे उम्मीद थी जनता पार्टी से, लेकिन कहते हैं कि मुकदमा चलाओ. . . .

श्री श्यामधर मिश्र--

सब ज्यादती का दोष हमारे ही ऊपर ।

(व्यवधान)

श्री हरी सिंह--

हम तो अपनों से लड़-लड़ कर ठीक कर रहे हैं, लेकिन तुमसे अभी निपटना है, बहुत कुकर्म और ज्यादतियां की हैं। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे भी कहता था बार-बार, लेकिन आपने भी ध्यान नहीं दिया। आज मैं माल मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके डिपार्टमेंट में हरिजनों का रिजर्वेशन पूरा हुआ, कभी आपने कोई लिस्ट देखी है। आशा करता हूं कि आप उसे तुरन्त देखेंगे और अपने विभाग में हरिजनों का कोटा तुरन्त पूरा करने की कृपा करेंगे। बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं, जो सही बात को डिनाई करने की सोचते हैं, एक निवेदन माननीय माल मन्त्री से और करूंगा जो पशु-पालन के लिए रुपया दिया गया. .

श्री अधिष्ठाता--

दुर्भाग्य से आपके केवल दो मिनट रह गए हैं।

श्री हरी सिंह--

जो रुपया दिया गया, वह रुपया उन हरिजनों के नाम से खाया गया। नयी कांग्रेसी सरकार ने खाया। उसको देखो और सही वितरण कराने का प्रयत्न करें और जितनी जमीन पूर्व में पड़ी है, सारी हरिजनों को दें।

(श्री हामिद रजा खां का नाम पुकारे जाने पर)

श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)––

अधिष्ठाता महोदय, महिलाओं को . . .

श्री अधिष्ठाता––

बैठिए, बैठिए। महिलाओं का अवश्य ध्यान है और अवश्य रहना चाहिए। लेकिन यह भी विचार है कि जो माननीय सदस्य अभी तक नहीं बोल सके हैं पिछले ढाई महीने के अन्दर, उनको भी मौका दिया जाय।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)––

एक जरूरी सूचना आपको देना चाहता हूं। जो लखनऊ में जलूस की इजाजत दी गयी थी, उसके विरोध में कानपुर में लोगों ने जलूस निकाला। पुलिस की गोली से सात-आठ मर चुके हैं। मेरे यहाँ एक आदमी भाग कर आया है। मैं यह चाहता हूं कि इस पर मुझे मौका दिया जाय कि मैं अपनी बात कह सकूं।

श्री अधिष्ठाता––

चूंकि एक सदस्य को पुकारा जा चुका है, इसके बाद उस बात पर ध्यान रखा जायगा।

श्री हामिद रजा खां (जिला बरेली)––

अधिष्ठाता महोदय, माननीय जगन्नाथ प्रसाद जी द्वारा प्रस्तुत किए हुए प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। जहाँ तक राजस्व विभाग का सवाल है यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इससे ग्रामीण जनता का बराहरास्त वास्ता है। जो मैंने भाषण सुना माननीय मन्त्री जी का, मैं नहीं समझ पाया कि उन्होंने कोई विशेष बात कही हो सिवा इसके उन्होंने उसी पुरानी पालिसी पर आधारित बात को निहायत खूबसूरती के साथ, मैं तो यह कहूंगा कि खूबसूरत पेबन्द लगा कर पेश किया है। सवा तीन एकड़ तक जमीन पर लगान माफ कर देंगे। लेकिन एक काश्तकार को किसी लगान की माफी की जरूरत नहीं है न आपके किसी रहम की जरूरत है। उसको जरूरत है अच्छी खाद की, अच्छी तरह से पानी मिल जाय, उसका उत्पादन बढ़े। दूसरी तरफ जो लगान छोड़ा गया है, और जो रेवेन्यू में कमी हुई है, इसको विकास कर लगा कर या कोई टैक्स लगा कर काश्तकारों को दबाया जायगा और वजन डाल दिया जायगा। मैं नहीं समझता कि इस विभाग में कोई खास परिवर्तन हुआ हो। पुराने जमाने का पटवारी नहीं है, तो लेखपाल है। खसरा और खतौनी का मालिक वही है, जो पटवारी के जमाने में हुआ करता था। कोई फर्क नहीं आया है। आज भी अगर कोई बाप मर गया है उसके बेटे का नाम दर्ज होना है तो हालांकि बताया जाता है कि पत्र–11 भर दिया जाता है लेकिन बहुत से केसेज में दस-दस बारह-बारह वर्ष हो गए है पत्र–11 नहीं भरा गया। वह बड़ी कमाई का जरिया है। जितनी जमीन का रकबा हो उसी लिहाज से बटों का नाम दर्ज किया गया।

सीलिंग की जमीन के बारे में कहा गया सीलिंग से निकली हुई जमीन बांटी गयी। यह अच्छा काम हुआ है। बहुत सी ऐसी जमीनें बांटी गयी हैं जहां पर कब्रिस्तान था और खलिहान था इस कारण बहुत से झगड़े और

[श्री हामिद रजा खां]

फसाद खड़े हो गए। मकानों के लिए भी जो जमीन दी गयी है उनके बारे में भी यही चीज है। मकान बना लिए गए हैं लेकिन बेदखली के मुकदमें चल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बदली हुई हालत में यह सोचना पड़ेगा कि जहां पर पहले चकबन्दी हुई थी वहां पर जो उस समय कानून था वह डिफेक्टिव था और उसकी मातहत चक रोड आदि नहीं छोड़े गए थे। अस्पताल और स्कूल तथा अन्य सामूहिक कार्यों के लिए जमीन नहीं छोड़ी गयी थी जिसका फल यह हुआ कि लोगों को अपने चकों पर पहुंचना दुश्वार हो गया। वे पानी नहीं ले जा पाते हैं, नालियां नहीं बना पाते हैं। तो जहां पर पुराने कानून के मातहत चकबन्दी हुई है वहां पर दुबारा कराई जाय। जिसमे इस तरह की जो कमियां रह गयी हैं वह दूर हो सकें।

इसी तरह की चीज बरेली तहसील में है। वहां पर सबसे पहले चकबन्दी शुरू हुई थी इस कारण वहां पर यह कमियां विद्यमान हैं। चकों पर पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है, गूल ले जाने के लिए रास्ता नहीं है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि उन जगहों पर चकबन्दी फिर कराई जाए। नदियों के पेटे में जो जमीन है उनके सम्बन्ध में गलत इन्द्राज है। नदियों के पेटे में जमीन है उसके बारे में झगड़ा रहता है। विरासत के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूं जैसा कि माननीय जगन्नाथ प्रसाद जी ने कहा मैं उसका समर्थन करता हूं। इसकी जिम्मेदारी लेखपाल पर होनी चाहिए या तहसील की होनी चाहिए। लेखपाल बहुत कम तनख्वाह का आदमी है, कलेक्टर जब दौरे पर जाता है जिसका दौरा हो उसे अपनी जेब से इन्तजाम करना होता है।

श्री अधिष्ठाता—

दो मिनट रह गए हैं।

श्री हामिद रजा खां—

तो मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। जमीन जो पट्टे पर दी गयी है उसमें कुछ लोग ऐसे रहे हैं जैसे विमुक्त जाति के लोग, इनको मकान बनाने के लिए जमीन नहीं दी गयी। मेरे यहां पर कुछ लोग सांप पालने वाले हैं उनको जमीन दी नहीं गयी। सीलिंग के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि एक प्रभावपूर्ण आदमी ने अपनी ढाई हेक्टर जमीन को बचाने के लिए अपने लड़के का गलत सार्टीफिकेट बनवाया। जिस स्कूल में पढ़ता था उसके अलावा दूसरे स्कूल की बनवाई। बहरहाल जो असरदार आदमी है वह फायदा उठा लेते हैं। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री राज पति मिश्र—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने राजस्व विभाग के अनुदान पर बोलने का मुझे मौका दिया। मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, लेकिन इसके साथ-साथ मैं कुछ सुझाव भी रखना चाहता हूं।

मान्यवर, साहूकारी विनियमन संशोधन विधेयक, 1976 के अन्तर्गत देहातों में जो छोटे-छोटे दुकानदार जिनकी दुकानें मुश्किल से 15—20 रुपए या 25 रुपए लागत वाली होती हैं, उनको भी लाइसेन्स लेने के लिए बाध्य किया गया। मैं चाहूंगा कि उसमें संशोधन

करके ऐसे दुकानदार जो मुश्किल से 2 या ढाई घंटे दुकान पर बैठते हैं, उनको इससे मुक्ति दिलाने की दिशा में कदम उठाए जायें। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं पिछली कांग्रेसी सरकार नें गांवों की आबादी का नक्शा कुछ ऐसा कर दिया कि पूरी आबादी का एक नम्बर गांव सभाज के नाम हो गया। जिसकी वजह से गांव सभाज की आबादी की जो भूमि थी उस पर जितना जबरदस्त आदमी जो हुआ, उसने उतनी दूर तक कब्जा कर लिया। कोई नियम नहीं है। इस तरह से गरीब आदमी को आबादी की जमीन नहीं मिल पाती है और जबरदस्त आदमी जो जितना कब्जा कर सकता था, उसने कर लिया।

मान्यवर, माननीय कौशिक जी ने हमारा बहुत काम हल कर दिया। मैं थोड़ी सी बात चकबन्दी के बारे में कहना चाहता हूं। चकबन्दी विभाग में जो ऊंचे पदों पर अधिकारी हैं उन पर विभागीय कर्मचारी नहीं प्रोन्नत किए जाते हैं। बल्कि रेवेन्यू विभाग के अधिकारी रखे जाते हैं जिसके कारण लगभग 2 लाख 16 हजार रुपए से अधिक के रेवेन्यू का साल भर में अधिक व्यय है। मैंने हिसाब लगाया है कि अगर चकबन्दी विभाग के ही अधिकारी रखे जाते तो यह रकम बच सकती थी। इससे लाभ भी होगा और अनुभवी कर्मचारी भी मिलेंगे और उनके अनुभवों से लाभ उठाया जा सकेगा। विभागीय कर्मचारियों का आगे प्रमोशन होने से उनका मनोबल बढ़ेगा अतः माननीय मन्त्री जी को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

इसके अतिरिक्त मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आश्चर्य होगा। राजस्व विभाग के राजस्व सचिव ने कांग्रेसी शासन में अपनी उम्र कम करा ली है। भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि इसकी भी जांच करवाई जाय और सम्बन्धित दोषी व्यक्ति को दण्ड दिया जाय चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो।

एक बात और बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक पट्टी में तीवीपुर नामक इलाका है जहां हरिजनों को भूमि बांटने में कुछ इस प्रकार की गड़बड़ी की है कि आबादी के दस घर आवंटित कर दिए एवं मकान सौ साल पुराना है। गांव में विवाद खड़ा हो गया है। एक और गांव पट्टी तहसील में ही सराय मघई के नाम से है। कांग्रेसी राज में बड़े लोगों ने वहां के कागजात को गायब करा दिया। वहां पर कोई भी रेवेन्यू के रिकार्ड्स नहीं हैं। इसके अलावा एक गाधियांवां गांव हैं यहां पर भी 1972 में चकबन्दी हुई थी लेकिन चकबन्दी वालों ने वहां के लोगों को बड़ा परेशान किया था। हमारे मन्त्रीगण भी वहां पर गए, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर भी गए। सब कहते हैं कि वहां पर ज्यादती हुई है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरी प्रार्थना है कि यहां पर नए सिरे से चकबन्दी होनी चाहिए, जो आज तक नहीं हो पाई है। आज वहां के लोग जनता पार्टी से आशा लगाए हुए हैं कि जिन लोगों को परेशान किया गया है, उनको राहत दी जायगी।

कांग्रेस वालों ने बहुत सी ज्यादतियां की हों और करते रहे हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने जितने भी काम किए हैं वे सब गलत ही किए हों। हमारे भूतपूर्व राजस्व मन्त्री जी ने 140 अधिकारियों के खिलाफ जांच की। दोषी पाकर कार्यवाही के आदेश

[श्री राज पति मिश्र]

दिए थे लेकिन चूंकि उस सरकार ने आदेश दिए थे इसलिए जब हमारी जनता पार्टी की सरकार आई तो यहां के अधिकारियों ने कह दिया कि यह आदेश कांग्रेस सरकार ने दिए थे, अतः कार्यवाही न होगी, क्योंकि उसमें बड़े-बड़े अधिकारी, कोई कलेक्टर, कोई डिप्टी कलेक्टर आते थे। उनमें से कुछ एक ने अपने भाई-भतीजों को जमीन दे दी थी। एक कर्मचारी संयोग से माननीय राजस्व मन्त्री के साथ था, उसको जितना परेशान किया जा रहा है, वह तो वही समझ सकता है जो परेशान हो रहा है। तो मेरी प्रार्थना है कि बदले की भावना से कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। जो ईमानदार कर्मचारी रहे हों, उनको इनाम मिलना चाहिए और जो भ्रष्ट रहे हैं, उनको अवश्य दण्ड मिलना चाहिए। सदा से अच्छे और बुरे हुआ करते हैं, कभी कम हो सकते हैं और कभी अधिक हो सकते हैं। मेरी यह भी प्रार्थना है कि जो भ्रष्टाचारी कर्मचारी हैं, जिनके विरुद्ध आरोप लगे हैं, उनको साबित कीजिए और उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही कीजिए और जो निर्दोष हैं, उनकी प्रोन्नति कीजिए।

हमारे जनपद की मान्यवर, एक और समस्या है, वहां पर 20–25 दिन से पानी नहीं बरस रहा है। माननीय नेता विरोधी दल ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसमें मांग रखी है कि मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। हंसी आती है आज किसानों को राहत मिलने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि एक रुपए से तो शायद एक किसान का भी काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं उनके कटौती के प्रस्ताव का विरोध किये बिना नहीं रह सकता हूं।

मेरी प्रार्थना है कि माननीय मन्त्री जी हमारे जिले को और विशेषकर पट्टी तहसील को सूखाग्रस्त घोषित करें और वहां के किसानों को अविलम्ब राहत दें। वहां के किसानों की स्थिति आज बदतर हो गयी है, इसलिए उनकी ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक हो गया है।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता जी .....

(व्यवधान)

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

एक समय में एक ही बोलेगा। शान्ति से बैठिए।

*श्री गुरु प्रसाद—

माननीय अधिष्ठाता जी, आज हमारे राजस्व मन्त्री जी ने जो राजस्व विभाग सम्बन्धी अनुदान प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन और अनुमोदन करता हूं। मैं कुछ आवश्यक सुझाव देना चाहता हूं। राजस्व विभाग एक ऐसा विभाग है जिसका किसानों और खेतिहर मजदूरों से सीधा सम्बन्ध है। मान्यवर, किसान और खेतिहर मजदूर ऐसा वर्ग है जो जाड़े के समय जाड़े से संघर्ष करता है, बरसात के समय बरसात से संघर्ष करता है और गरमी के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महीने में गरमी से संघर्ष करता है। इसलिए राजस्व मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह उन किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था अपने बजट में रखें ताकि उनको राहत मिल सके। इसी तरह अच्छे बीज और समय से पानी, खाद की व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है।

भूमि के बंटवारे के सम्बन्ध में जो हमारे राजस्व मन्त्री जी ने अपनी व्यवस्था दी है उस का मैं समर्थन करता हूं और खासतौर से कहता हूं कि हरिजनों और भूमिहीनों को जो भूमि का आवंटन करें उसके लिए उन्हें बीज और बैल के साधन भी प्रस्तुत करें ताकि वह अपने खेत को अच्छे ढंग से तैयार कर सकें।

इसके साथ-साथ सीलिंग और चकबन्दी का प्रश्न आपने प्रस्तुत किया है। सीलिंग के विषय में एक सुझाव देना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड एरिया हमीरपुर, बांदा, जालौन, और इलाहाबाद की दो तहसीलें जमुना पार करछना और मेजा जो बुन्देलखण्ड से मिली हुई हैं उनमें सीलिंग पर विचार करते समय चाहे आप 18 एकड़ रखें या 12 एकड़ लेकिन उसका डेढ़ गुना इन इलाकों के किसानों के लिए रखना होगा, जोकि पथरीली जमीन पर निवास करते हैं।

तीसरा सुझाव यह देना चाहता हूं कि दैवी प्रकोप के समय किसानों और खेतिहर मजदूरों की राहत के लिए एक व्यवस्था आपने रखी है। मैं चाहूंगा कि आप मेरा सुझाव स्वीकार करेंगे। ग्रामीण किसानों की फसल योजना के लिए और पशुधन के लिए कोई भी योजना आपकी तरफ से नहीं प्रस्तुत की गयी है। मैं चाहूंगा कि अपने बजट में फसल के बीमा और पशुधन का बीमा का प्राविधान उसमें करें ताकि फसल और पशुधन दोनों की सुरक्षा रहे और स्वतन्त्रता रहे।

चौथा आपसे निवेदन यह करना है कि राजस्व विभाग के द्वारा बहुत दिनों से जो एक विकास कर चला आ रहा है उसको बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। हमारा किसान वर्ग और खेतिहर वर्ग विकास कर से बहुत पीड़ित है। वह कई वर्षों से इकट्ठा हो गया है और उसके साथ-साथ और भी सरकारी व्यय है। इससे किसान पीड़ित है। तो विकास कर को समाप्त कर दें।

अन्तिम निवेदन यह है कि भूमि पर, जबसे देश स्वतन्त्र हुआ, 1950 और 1952 से, अनेक प्रकार के कानून बने हैं। हर दूसरे, तीसरे बल्कि हर वर्ष भूमि पर कानून बनते चले आए हैं। तो मेरा निवेदन है कि भूमि के सम्बन्ध में एक ऐसा प्राविधान करें ताकि गांव से सारे झगड़े समाप्त हो जायं। उसके लिए दो तरह के सुझाव देता हूं। हर गांव में जितनी जमीन और परिवार हैं उसमें बराबर-बराबर जमीन का बटवारा कर दें हर परिवार को ताकि जमीन के झगड़े सब दिन के लिए शान्त हो जायं। दूसरा सुझाव यह है कि सारी जमीन सरकार एक्वायर कर ले और सरकार अपनी सब खेती करावे और जो लोग बेकार हों उनको खेती में लगावे।

इन सुझावों के साथ अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर. . . .

बाबा राम अधार यादव—

आप किसानों को बुलवाइये, आप तो जमीन्दार को बुलवा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग शान्त रखिए, मैंने श्यामधर जी मिश्र को बुला लिया है।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, बड़ी कृपा है आपकी और मेरा निवेदन है कि किसानों के प्रतिनिधियों को बुलाइए क्योंकि ये कहते हैं कि हम लोग किसान नहीं हैं, जो गलत है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य शान्ति रखें।

श्री श्यामधर मिश्र—

आप देखें कि जब ये लोग बोलते हैं तो हम लोग कितने चुप चाप बैठ कर सुनते हैं और हम आशा करते हैं कि हम लोगों की बातें भी ये लोग सुनेंगे चाहे प्रिय हों या अप्रिय। अगर ये समझें कि हम केवल प्रिय बातें ही कहेंगे तो यह गलत है।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्व विभाग सचमुच किसानों के जीवन-मरण से सम्बन्ध रखता है। गांव वाले अमीन को जानते हैं, पटवारी को जानते हैं, आपरेटर को जानते हैं, कानूनगो को जानते हैं, तहसीलदार को जानते हैं और वे सभी विभाग उसके जीवन मरण के प्रश्न हैं। लगभग 40 वर्ष हो गए चकबन्दी शुरू हुए इस प्रदेश में लेकिन अभी 40–50 फीसदी खेतों में चकबन्दी नहीं हो पाई है। आप पंजाब में देखें, हरियाणा में देखें, 80–90 फीसदी चकबन्दी वहां हो चुकी है। और जहां-जहां चकबन्दी हो चुकी है, इस प्रदेश में भी जहां-जहां चकबन्दी हुई है वहां न केवल खेतों की पैदावार बढ़ी है बल्कि खेतों का मूल्य भी बढ़ा है। तो मैं यह कहूंगा कि बजाय कांग्रेस को केवल कोसने के इस सरकार को भविष्योन्मुखी बात करनी चाहिए, भूत की बात मत करें और आप ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि कम से कम 10 वर्षों में पूरे प्रदेश में चकबन्दी हो जाय।

मैं अपनी तहसील की बात करता हूं, बनारस जिले की ज्ञानपुर तहसील। सन् 1963 में वहाँ चकबन्दी शुरू हुई थी। वहां केवल 1200 गांव हैं और अभी तक 400 गांवों में चकबन्दी नहीं हुई है। जब चकबन्दी की मीटिंग होती है तो अधिकारी कहते हैं कि रुपया नहीं है इसलिए चकबन्दी नहीं हो रही है। मैंने इस बजट को पढ़ने की चेष्टा की है और मैं देखता हूं कि चकबन्दी विभाग द्वारा पिछले साल के मुकाबले इस साल रुपया कम मांगा गया है। अभी पिछली बार वाराणसी में चकबन्दी की बैठक हुई थी। उसमें दोनों दलों के लोग थे। यह तय हुआ कि कोनिया और दूसरे गांवों की तरफ चकबन्दी हो। वहां के अधिकारी ने कहा कि हमने लिखा है, रुपया आ जाय तो चकबन्दी करें। और वह लिखे हुए सालों हो गए। क्या कारण है कि बिना काम पूरा किये एक तहसील से दूसरी तहसील में चले जाते हैं ?

इसके साथ ही मैं चक रोडों की बात कहना चाहता हूं। चक रोड छोड़े तो गए कागज पर और कहीं नहीं भी छोड़े गए और कहीं कहीं हम लोगों के ज्ञान में यह आया नहीं। चकबन्दी अधिकारियों ने सड़कों को भी खेत में डाल दिया। हमने स्वयं एक सड़क के बारे में लिखा, मैं नाम नहीं लेता, मैं लिखूंगा राजस्व मन्त्री जी को, कि कागजों में दर्ज है सड़क लेकिन इन्होंने उसका खेत बना दिया और जिस जमीन की सड़क बनाई वह कोई एस0डी0 ओ0 नहीं देखता है, वह खेत बना दी जाती है, लोग जोत लेते हैं। तो मेरी मांग है सरकार से और जो मैं मांग आज कर रहा हूं, मैंने कांग्रेस सरकार से भी इसी तरह मांग किया था, जैसी आज कर रहा हूं। जो चक रोड आपने छोड़ा, सख्ती से आप देखें कि वह चक रोड हो, वह छोड़नी चाहिए, कोई बड़ा आदमी हो, कोई छोटा आदमी हो, वह चक रोड को न तोड़ सके।

श्रीमन्, तहसीलों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। तहसील में तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, कानूनगो हैं, लेखपाल हैं और लोग हैं। अब इनके सम्बन्ध में क्या कहा जाय ? व्याप्त भ्रष्टाचार अभी तक इनमें था। पहले कलेक्टर रहता था, वह इससे दूर रहता था, ऐसा मेरा अनुभव है। अब एस0डी0एम0 लोग आ गए। अब ए0डी0एम0 की साठ-गांठ शुरू हो गयी, तो कोटा बनने लगा तहसीलदार से, एस0डी0एम0 से, पटवारी जिसको लेखपाल कहते हैं, उस पर कोटा जाता है कि 200 रुपए दो, 300 रुपए दो, 400 रुपए दो और कोई जांच नहीं होती।

मैं कांग्रेस सरकार की बात कह रहा हूं। 1976 में अपनी तहसील में यहां के माननीय सदस्य रवीन्द्र जी से, जब आपात कालीन स्थिति थी, ज्ञानपुर में बातचीत हुई। जनता का जब दरबार हुआ, मैंने यह साबित किया कि वहां के अधिकारी, राजस्व विभाग के, भ्रष्ट हैं। 10 हजार आदमी इकट्ठा हुए। फाइल देखी जाय। उनकी रिपोर्ट देखी जाय। क्या यह नियम है कि मन्त्री जी की रिपोर्ट बोर्ड आफ रेवेन्यू ने नहीं स्वीकृत किया, कहा कि मन्त्री जी की रिपोर्ट के बावजूद भी विजीलेन्स नहीं लगाया जा सकता। मेरी मांग है कि अगर, माननीय मन्त्री जी, कोई भ्रष्ट हैं, चाहे वह छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी हो, तो उस पर विजीलेन्स लगाना जरूरी है।

भूमि आवंटन के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि चाहे उसे आज जनता पार्टी के लोग कोई भी नुक्ताचीनी करें, मैं नहीं करूंगा, मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा में हूं कि आप उनको जमीन अधिक दें। कांग्रेस ने कम काम किया, ठीक-आप उसकी नुक्ताचीनी करें, आपको मौका है, केवल कोसने का नहीं, आपके कहने पर कांग्रेस जिन्दा नहीं है, कांग्रेस ने 30 वर्षों में जो किया है, अभी देवबहादुर सिंह जी ने आपको बताया, मैं गिनाने लगूं तो घंटों लगेगा। आप मान कर चलें कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ठीक नहीं थी। लेकिन यह आप ध्यान रखिए कि केवल बार-बार कहने से और यह कहने से कि कांग्रेस चूंकि गलत थी और उस गलत काम के कम्पटीशन में आप हैं, आप गलती करेंगे, कांग्रेस तो 30 वर्ष रही, यह जनता क्षमा नहीं कर सकती, आज जागरूक दुनिया है...

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, इधर भी मौका दीजिए।

श्री श्यामधर मिश्र—

ज्ञानपुर तहसील में करोड़ों का कालीन का व्यापार होता है। वहां लोगों की मांग है कि वहां एक जिला बनाया जाय। वह बहुत जरूरी है।

(व्यवधान)

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, महिला सदस्य को आप बोलने दीजिए।

(श्री दुक्खी प्रसाद का नाम पुकारे जाने पर तथा अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री मान सिंह आजाद—

मान्यवर, महिलाओं को भी मौका दीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग कृपा करके बैठें। सदन की मर्यादा का पालन करें। शान्ति पूर्वक बैठें।

(शोर) (एक सदस्य के पुनः खड़े होने पर)

आप बैठिए।

एक सदस्य—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

आप भी बैठ जाइए। तब मैं बुलाऊंगा। वैसे न बोलिए।

एक अन्य सदस्य—

अधिष्ठाता महोदय, हमको भी बोलने का मौका दीजिए।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता—

ध्यान दिया जा रहा है।

श्रीमती राम रति देवी—

अधिष्ठाता महोदय, मुझे भी समय दीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

चूंकि अभी सदन में कोई महिला सदस्य नहीं बोली है इसलिए मैं रामरति जी को आमंत्रित करता हूं।

श्री दुक्खी प्रसाद (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका आभारी हूं. . .

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठने की कृपा करें। मैंने पहले माननीय दुक्खी प्रसाद को बुलाया। दुक्खी प्रसाद जी खड़े नहीं हुए या खड़े हुये मैं देख नहीं सका। माननीय दुक्खी प्रसाद जी के नाम पर बाद में विचार किया जायगा। अब माननीया बहिन जी बोलेंगी।

श्रीमती रामरति देवी —

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि बड़े परिश्रम के बाद महिला अधिकार को सुरक्षित रखकर, एक बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, 1972 में भूतपूर्व केन्द्र सरकार ने गरीबों को जमीन वितरण की व्यवस्था की थी उसी के अनुसार डेढ़ सौ वर्ग गज जमीन गरीब लोगों को देने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गयी। मान्यवर, इस डेढ़ सौ वर्ग गज के टुकड़े पर सरकार ने कैसे कल्पना की कि इस पर एक परिवार को बसाया जा सकता है। इतने वर्षों के शासन काल में यह समस्या थी कि देश के न जाने कितने नागरिक ऐसे थे जो सड़कों पर, दूसरों की जमीनों पर, खेतों पर और बागों में अपनी गुजर कर रहे थे। तो उस लाज को छुपाने के लिए उस समय सरकार ने डेढ़ सौ वर्ग गज जमीन देने की व्यवस्था की थी। यह बात भूमि-व्यवस्था जाँच समिति के सामने आई थी और जो 'विशारद' समिति थी उसने अपना सुझाव दिया था और उस समय मेम्बरों ने भी सरकार की इस व्यवस्था पर क्षोभ व्यक्त किया था और समिति ने सिफारिश की थी कि यह जो डेढ़ सौ वर्ग गज की व्यवस्था है यह नहीं के बराबर है। इस व्यवस्था को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए एक सुझाव दिया था कि 200 वर्ग मीटर दिया जाय। यह सुझाव समिति ने दिया था।

मान्यवर, जहाँ एक तरफ अपने प्रदेश में करोड़ों, लाखों एकड़ जमीन बड़े-बड़े फार्म वालों ने छिपाई है वहीं दूसरी ओर हमारे सरकारी अधिकारियों ने उन लोगों की मदद की है। उस समय इस तरह से काफी जमीन को लोगों ने अपने कब्जे में किया। जहाँ एक तरफ गरीबों को डेढ़ सौ वर्ग गज के टुकड़े को सरकार ने दिया वहीं पर बहुत सी जमीन कानून की चोरी से बचाई गयी। यह उनका समाजवाद रहा। आज यह सरकार चुनकर आई, इनकी जिम्मेदारी कहीं अधिक होती है, मैं अपनी सरकार से अनुरोध करूंगी कि शीघ्र ही उन जमीनों को उन बड़े लोगों के कब्जे से निकालने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर एक अभियान चलाया जाय और उन लोगों के कब्जे से निकाल करके समिति की सिफारिश के अनुसार 200 वर्ग मीटर जमीनें इन गरीबों को आवास स्थल के लिए दी जायं।

मान्यवर, मैं मन्त्री जी का ध्यान अपने जिले की तरफ ले जाना चाहती हूं कि अभी हाल में 2–3 वर्ष पूर्व सरकार ने व्यवस्था की थी कि प्रत्येक तहसील में मुन्सिफ का कार्यालय खोला जायेगा और वहाँ पूरी व्यवस्था की जायेगी। तो इस तरह की व्यवस्था अन्य जिलों में हुई होगी और हमारे जिले में भी कहीं-कहीं व्यवस्था हो गई है लेकिन टाण्डा तहसील में इस तरह की व्यवस्था नहीं हुई है। इस तहसील के पूर्वी अंचल में राजे सुल्तानपुर है। वहाँ से फैजाबाद मुख्यालय पहुंचने के लिए लोगों को 70 मील की दूरी तय करनी पड़ती है। इस तरह से उन लोगों को न्याय कितना महंगा पड़ता है इसलिए मन्त्री जी ध्यान इस

[श्रीमती रामरति देवी]

तरफ दें और शीघ्र ही व्यवस्था करें जिससे उन लोगों को न्याय सस्ता हो और वह परेशानियों से बच सकें ।

मान्यवर, मेरा एक सुझाव अपने जिले से यह था कि टांडा तहसील लगभग 55 मील लम्बी है । तहसील में कम से कम 4 विकास खण्ड हैं और 6 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और बहुत बड़ी संख्या में हायर सेकेन्ड्री स्कूल हैं । यहाँ की आबादी 4 लाख से ऊपर की है । इतनी लम्बाई इतनी जनसंख्या और जो मुख्यालय टांडा कस्बे के अन्दर है । यह आजमगढ़ की सीमा पर पड़ता है । वह कम से कम 42 मील की दूरी पर है, पूर्वी छोर पर है जो राजे सुल्तानपुर बाजार के नाम से प्रसिद्ध है । वहाँ से टांडा तक पहुंचने में कठिनाई होती है । इसका सहज में अनुमान लगाया जा सकता है । इसलिए टाण्डा तहसील को दो भागों मे बाँट दिया जाय । इससे वहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगी और उस क्षेत्र का जो हमेशा कलंक लगा है, बराबर माँग की जा रही है कि टांडा तहसील का पूर्वी छोर अत्यन्त पिछड़ा है । इसलिए मैं चाहूंगी कि टांडा को दो भागों में बाँट दिया जाय । जहाँगीरगंज जो एक बहुत बड़ी बाजार है । जो टांडा के मध्य पड़ती है । इस बाजार को दूसरी तहसील बनायी जाय । इसलिए मैं सुझाव दूंगी कि फैजाबाद में टांडा तहसील को आधे हिस्से में बाँट दें । आधा हिस्सा हसवर से होते हुए किछौछा गोविन्द साहब टोंस नदी का उत्तरी छोर राजे सुल्तानपुर इलाके को एक में सम्मिलित कर लिया जाय । रामनगर ब्लाक के पास आजमगढ़ की 16 ग्राम सभाएं मिली हुई हैं उनको जहाँगीरगंज तहसील बनाने के लिए इन ग्राम सभाओं को इसमें मिलाया जाय । क्योंकि इन ग्राम सभाओं के माल के मुकदमें आजमगढ़ में देखे जाते हैं और थाना जहाँगीरगंज फैजाबाद में पड़ता है । मेरा यह सुझाव है कि यह 16 ग्राम सभाएं जो मध्य में पड़ती हैं इनको जहाँगीरगंज क्षेत्र में मिला दिया जाय और एक नरिया बाजार है जो जहाँगीरगंज थाने के करीब है इसको भी इसमें सम्मिलित कर दिया जाय । इस तरह से ढाई लाख की आबादी हो जाती है और जहाँगीरगंज को एक नई तहसील बनाया जा सकता है जिससे कि वहाँ के निवासियों की कठिनाइयाँ हमेशा के लिए खत्म हो जायं । मान्यवर, आज कल कचहरियों में जमीन के सम्बन्ध में फार्म बेचे जा रहे हैं । इसमें बहुत लूट मची हुई है । पढ़े लिखे लोगों को जब परेशानी हो रही है तो जो गरीब हैं, बगैर पढ़े-लिखे हैं उनकी परेशानी आप समझ सकते हैं । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूं ।

*श्री दुक्खी प्रसाद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मन्त्री जी द्वारा 1977-78 के लिए प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय राजस्व मन्त्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सवा तीन एकड़ का लगान माफ कर गरीब और पीड़ित किसानों को राहत दिलाई । चाहिए तो यह था कि जनता पार्टी की घोषणा के अनुसार वह सवा छः एकड़ का लगान माफ करते । मान्यवर, जिस इलाके से मैं चुनकर आता हूं वहाँ अंग्रेजों और काँग्रेसियों के बड़े-बड़े भूमिपतियों का इलाका रहा है । सीलिंग कानून से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चोरी करके बचाई गई भूमि लोगों के पास है। भूतपूर्व कृषि मन्त्री श्री यादुवेन्द्र सिंह, राधा रमण दास, सुरेन्द्र मजीठिया, सीता राम जयपुरिया ने हजारों एकड़ का फार्म बचा कर रखा है। मैं माँग करता हूं कि सारे फार्मों की जाँच कराई जाय।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह लिखित भाषण पढ़ रहे हैं।

श्री दुक्खी प्रसाद—

श्रीमन्, जमींदारी टूटने के बाद हमारी तहसील में ग्राम सभाओं की जमीन को बुरी तरह से लूटा। उदाहरण के लिए टेढ़वा और शिवपुरका दो गाँव हैं। टेढ़वा गाँव में 100 एकड़ जमीन ग्राम प्रधान ने अपने रिश्तेदारों और सम्बन्धियों को बाँट दी। विधायक श्री जनार्दन प्रसाद ओझा ने जाँच करवाई। सब आरोप सही पाए गए। लेखपाल और ग्राम प्रधान को निलम्बित किया गया लेकिन राजनैतिक दबाव के कारण बहाल कर दिया गया। मजे की बात यह है कि इस लेखपाल ने सिंगपुर ग्राम के वहाँ के लेखपाल से मिलकर काफी जमीन अपने नाम दर्ज करा ली थी। जिसकी जाँच मैंने कराई। उसका पट्टा खारिज हुआ लेकिन लेखपाल के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। इस लेखपाल के खिलाफ ग्राम बिश्वनाथपुर में भी शिकायतें हैं। सिंहपुर ग्राम सभा की कहानी भी आश्चर्यजनक है। ग्राम सभा की 200 एकड़ जमीन लेखपाल ने अपने परिवार के, रिश्तेदारों के नाम कर दी है। हाल में जो विधान सभा में प्रश्न उठा उसे 87.60 एकड़ का पट्टा रद्द कर दिया गया लेकिन अभी जमीन बेनामी खातों में दर्ज है। बताया जाता है कि सभी अभिलेख रिकार्ड रूम तहसील महराजगंज से गायब कर दिए गए हैं। मैं माँग करता हूं कि इसकी खुली जाँच किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कराई जानी चाहिए. . . .

श्री देव बहादुर सिंह—

पढ़ने का कायदा नहीं है . .

श्री अधिष्ठाता—

जरा शान्ति रखिए। माननीय सदस्य को सुनिए।

श्री दुक्खी प्रसाद—

भूमिहीनों को जो भूमि दी गयी है उसे कब्जा दिलाने की कार्यवाही. . .

श्री अधिष्ठाता—

आप क्या कागज में से पढ़ रहे हैं . . .

श्री दुक्खी प्रसाद—

मैं नया हूं इसलिए मैं. . .

श्री श्यामधर मिश्र—

इनको पढ़ने दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आपके साथी नए हैं जरा इसका ध्यान रखें।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन् मेडन स्पीच है, दुलहिन भाषण है. . .

(श्री भगवती प्रसाद सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री दुक्खी प्रसाद—

मेरा भाषण समाप्त नहीं हुआ. . .

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठ गए इसलिए मान लिया गया कि आपका भाषण समाप्त हो गया।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप जब खड़े हुए तो माननीय सदस्य बैठ गए यह सदन का आचरण है। जब आप फिर खड़े होंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। आपकी इजाजत नहीं मिली बात खत्म करने की। एक मिनट में खत्म हो जाता है. . .

श्री अधिष्ठाता—

आपकी भावनाओं से सहमत हूं। यह हो सकता है, मेरी गलती हो सकती है। इस समय आप बैठें। मैंने उन्हें आमंत्रित कर लिया है।

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, जो विषय चल रहा है इस पर मैं अपने दल और दोनों पक्षों के विचार . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

भाषण प्रारम्भ कीजिए . . .

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मान्यवर, यह छोटी सी राजस्व विभाग की किताब कार्यवृत्त 1976–77 मिली है। इसके पृष्ठ तीन चार को अगर आप पढ़ेंगे तो इससे आभास हो जायगा कि जो मकड़ी का जाला तीस साला कांग्रेस की सरकार ने बुना था उसी को जनता पार्टी की सरकार के राजस्व मन्त्री जी भी बुन रहे हैं। आप भू-स्वामियों को बोलने का मौका देते हैं लेकिन जब कोई सही बात जमीन के सम्बन्ध में कहना चाहता है तो आप कहते हैं कि पढ़ कर सुनाने का नियम नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि किच्छा की जमीन आप सीलिंग से निकालें और उस को हरिजनों में बांटें। एक बालिश्त जमीन भी हरिजनों को नहीं बाँटी गयी। जिस तरह से कांग्रेस झुठलाती थी उसी तरह से आज आप भी झुठला रहे हैं। रेडियो पर जमीन अवश्य दे दी जाती है लेकिन मौके पर कोई जमीन हरिजनों को नहीं मिलती। आप पुनः बन्दोबस्त करेंगे लेकिन बंजर जमीन अथवा सीलिंग की जमीन को नहीं बांटेंगे।

राजस्व मन्त्री बड़े अच्छे वकील हैं। मैं देख रहा हूं कि तीस साला कांग्रेस सरकार जिन बुराइयों से घिरी थी उन्हीं में आप भी सिमट कर बैठे हैं और सामान्य वाद-विवाद के समय मैंने उनका जिक्र भी किया था। आपकी ईमानदारी में मुझे कोई शक नहीं है लेकिन चकबन्दी तथा जमीन के आवंटन में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसे आप दूर नहीं कर पा रहे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। हरिजनों को आप भू-स्वामियों के पिछवाड़े की जमीन देते हैं एक बिस्वा एक धुर जहां पर स्त्रियां गांव की, मिट्टी हेतु जाती हैं जिसके कारण हरिजनों का उत्पीड़न होता है और असली जमीन आज भी लैण्ड लार्डस के पास ही है, उसे आप उनसे नहीं ले पाते हैं। कांग्रेस के जमाने में आदेश हुए कि डी0 एम0 आकर गांव की जमीन दें तो डी0 एम0 कार से जाता था और एक कांग्रेसी विधायक को साथ में बिठा लेता था। वहां जाकर डी0एम0 तथा विधायक उस गांव में ट्रेक्टर चलाते थे जिसकी खबर रेडियो तथा अखबारों में आ जाती थी लेकिन एक्चुअली कोई जमीन नहीं आवंटित होती थी। जो वर्ग चरित्र भूतपूर्व कांग्रेसी सरकार का था वही वर्ग चरित्र आप में भी दृष्टिगोचर हो रहा है . . .

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य सदस्यों को सम्बोधित न करके चेयर को सम्बोधित करें।

श्री भगवती प्रसाद सिंह––

आपने वही आंकड़े दिए हैं जो कांग्रेसी सरकार के थे लेकिन एक बालिश्त जमीन हरिजनों को नहीं दी गयी। आप में और कांग्रेसी सरकार के कार्य-कलापों में कोई अन्तर दिखाई नहीं देता। एमरजेंसी को आपने जरूर तोड़ा, बहुत सी बातों में कमाल किया लेकिन जमीन के आवंटन के बारे में कुछ भी नहीं किया तो आप पुन: वितरण की बात करने जा रहे हैं। लाखों रुपए कलेक्टर तथा तहसीलदार के जरिए खर्च करने जा रहे हैं जो अपव्यय होगा। बन्द कीजिए ऐसे प्रोग्राम को। आप पहले एक ही काम कीजिए कि किच्छा की जमीन, सीलिंग की जमीन हरिजनों में बांटिए। पहली सरकार अन्धी थी तो यह सरकार बहरी दिखाई दे रही है।

जो भूमि चोर हैं, जो भूमि चुराने वाले हैं, उनको आपने छोड़ दिया। (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, दो मिनट मुझे और दे दें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य, जब कोई माननीय सदस्य बोलते हैं और विशेष रूप से समय लेना चाहते हैं तो दो चार मिनट उनको और दिए जाते हैं। आपका 4 मिनट और समय है।

श्री भगवती प्रसाद सिंह––

मान्यवर, सीलिंग की जमीन इस तरह से चोरी गयी, चाहे श्यामधर जी हों या उधर के सदस्य हों. . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता––

आप लोग शान्त रहें।

श्री भगवती प्रसाद सिंह––

यह लोग शहरों में बैठ कर किताब पढ़ते हैं, यह आंकड़े देखते हैं। मान्यवर, मैंने प्रैक्टिकल रूप से एक-एक इंच भूमि को अपने जिले और क्षेत्र में देखा है। आप बतला दें

[श्री भगवती प्रसाद सिंह]

कि एक इंच भूमि भी आपने इन लोगों से ली हो। आपने आदेश किए थे कि मुकदमा नहीं होगा, मुझे याद है हाई कोर्ट से जजों के यहां से कोई लैण्ड लार्ड ऐसा नहीं है जो वापस नहीं आया। इसकी इंक्वायरी बैठाई जाय। मैं फिर कहूंगा कि किच्छा की जमीन को लें अगर आपकी गैरत है। भूतपूर्व कांग्रेस की हुकूमत जो थी उसको आप नेस्त-नाबूद करना चाहते हैं जो पुराने कांग्रेस के राजनीतिक पीड़ित हैं और जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं जिनको जमीन दी गयी हैं उसे वापस लें। आपने कानून बनाया है मैंने कमलापति जी की जमीन देखी है, लोकपति जी के आंकड़े मेरे पास हैं सैकड़ों एकड़ में उनके पास जमीन है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका दो मिनट और समय है।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मान्यवर, मुझे विश्वास है कि पंडित जी की कई जगह जमीन है, जहां उनके फार्म चल रहे हैं इसी तरह बिरला का है जहां कि बीज उत्पादन होता है, लखीमपुर खीरी में।

श्री श्यामधर मिश्र—

अधिष्ठाता जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है, जो सदस्य यहां नहीं है उसका नाम नहीं लिया जा सकता है।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मैं उस शब्द को वापस लेता हूं क्योंकि आपको वह बात कड़वी लगती है। मान्यवर, सही बात कहने में इनको बुरी लगती है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

अधिष्ठाता महोदय. . . .

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि शान्ति से बैठे रहें जिस सदस्य को बुलाया गया है उनको शान्ति से सुनें ताकि वह सुगमता से बोल सकें।

*डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं एक औचित्य का प्रश्न रखना चाहता हूं। ऐसा है कि अभी माननीय सदस्य, श्री श्यामधर मिश्र जी ने कहा कि जो लोग यहां नहीं हैं उनके सिलसिले में चर्चा न की जाय। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं—हमें संविधान की धारा 194 के अन्तर्गत और धारा 105 के अन्तर्गत फ्रीडम-आफ-स्पीच का प्रिवेलेज है कि हम विधान सभा के अन्दर अपनी बात को स्पष्ट कह सकें, विधान सभा या विधान सभा के बाहर इस चीज को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कह सकते हैं। जो भी जिम्मेदार लोग रहे हैं अगर उनकी चर्चा आएगी तो उनका नाम लेना ही पड़ेगा। जब तक उनका नाम नहीं लिया जाता है भ्रष्टाचार का जो लम्बा-चौड़ा इतिहास है वह स्पष्ट नहीं होता है। मैं अधिष्ठाता महोदय, व्यवस्था चाहता हूं कि जो भी भूतपूर्व मन्त्री रहे हैं या प्रधान मन्त्री रहे हैं, या उनके लाड़ले रहे हैं उनका नाम विधान सभा में आएगा ही, यह हमारा प्रिवलेज है कि जो चोर रहे हैं उनको हम जरूर कहेंगे। यदि ऐसा कहने से मना किया जाता है तो उन धाराओं का उल्लंघन होता है। यही औचित्य का प्रश्न है इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता––

मैंने सबको सुन लिया, दोनों को सुन लिया, अब आप लोग बैठिए. . .

(व्यवधान)

अभी एक आपत्ति उठाई गयी कि इस सदन में हर एक सदस्य को अपने विचार प्रकट करने की पूरी-पूरी स्वतन्त्रता है, कोई रोकथाम नहीं है। यहां तक कि उस पर कोई कहीं ऐक्शन नहीं हो सकता है। यह ठीक है, लेकिन केवल इतना है कि किसी के विरुद्ध कोई आक्षेप किया जाता है तो केवल भूतपूर्व प्रधान मन्त्री कह दिया जाय, उनका नाम उसमें न घसीटा जाय, यह अच्छा होगा और यही उचित होगा। . . .

(व्यवधान)

यह कोई डिबेट का प्रश्न नहीं है, आप सब लोग बैठिए।

श्री शंकर सिंह––

मान्यवर, मैं राजस्व मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा उन्होंने अपने भाषण के शुरू में ही कहा कि जो पट्टे पिछली सरकार ने किए, वे ज्यादातर गलत हुए हैं और जो गांवों में अशान्ति फैली हुई है, उसके लिए ये पट्टे ही जिम्मेदार हैं। मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। मैं गांव का रहने वाला हूं, इसलिए इसे अच्छी तरह जानता हूं कि उनकी वजह से गांवों में कितनी अशान्ति फैली हुई है। मुझे तो याद आता है कि जब लड़ाई होती है और उसमें एक पक्ष हारने लगता है तो वह अपना स्थान छोड़ने के पहले, दुश्मन की फौजें आने के पहले उस क्षेत्र की सड़कों व पुलों आदि को नष्ट-भ्रष्ट कर देता है, जिससे दूसरे पक्ष का कोई लाभ न होने पावे। वैसे ही मालूम पड़ता है कि कांग्रेस सरकार को आभास हो गया था कि हम अब सत्ता में आने वाले नहीं हैं, इसलिये उन्होंने, जो आय के सरकारी साधन थे, उनको तो खाली कर ही दिया––खजाना लुटा दिया, गांवों में भी ऐसे बीज बो दिए कि गांव में मध्यम श्रेणी, निम्न श्रेणी और उच्च श्रेणी के लोग, हरिजन व सवर्ण, सब परस्पर बराबर झगड़े करते रहें। वह स्थिति गांव में आज भी है। कहीं भी गांवों में कोई ऐसी जमीन नहीं बची है, जिसके पट्टे न कर दिए गए हों। ठीक है, पट्टे होने चाहिए थे, हरिजनों और भूमिहीनों के लिए, लेकिन उस जमीन के होने चाहिए थे, जो अतिरिक्त भूमि पड़ी होती? लेकिन इन्होंने क्या किया रास्ते के, खलिहान के, चरागाह के, शमशान भूमि आदि सबके पट्टे कर दिए। यहां तक कि मवेशी खड़े करने की जगह भी नहीं छोड़ी। जब ऐसी बिकट

[श्री शंकर सिंह—]

स्थिति पैदा हो जाएगी, तो झगड़े नहीं होंगे, अशान्ति नहीं होगी, तो क्या होगा ? इसीलिए इन्होंने पहिले से ही नारा लगाना शुरू कर दिया कि हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनके पट्टे वापस लिए जा रहे हैं।

मेरे जिले जालौन में कहीं भी हरिजनों के साथ अत्याचार नहीं हो रहे हैं; लेकिन इस प्रकार की समस्या सभी जगह है। यहां तक कि नक्शे में वह जमीन ढूंढे नहीं मिलती है, जिसके पट्टे कर दिए गए हैं। इसलिए जो गलत पट्टे हुए हैं, मन्त्री जी उसे शीघ्र निरस्त करें और नए सिरे से उस जमीन के पट्टे करें, जो अतिरिक्त जमीन है। इसके साथ एक बात और निवेदन करना चाहता हूं जो गांव में संस्थायें हैं—प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल तथा दूसरे शिक्षा संस्थान हैं, उनके लिए पट्टे का कोई प्राविधान नहीं किया गया है। अस्पताल और धर्मशाला भी आवश्यक हैं, उनके लिए भी जमीन की आवश्यकता होती है, लेकिन उनके लिए भी पट्टे नहीं किए गए हैं। इसलिए मैं इस सरकार से कहूंगा कि वह ऐसी व्यवस्था करे और सबसे पहले वह ऐसी संस्थाओं को जमीन के पट्टे करने के आदेश दें और उसके बाद जब जमीन बचे तो दूसरे लोगों को दें। हरिजनों के साथ जो दूसरा गरीब तबका रहता है, उसके लिए भी पट्टे किए जायं।

साथ ही मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए प्रस्तावक महोदय ने कहा है कि 18 एकड़ से हटाकर साढ़े 12 एकड़ की सीलिंग कर दी जायें, तो आखिर किसान के साथ यह खिलवाड़ कब तक होता रहेगा। 15 साल हो गए, किसानों को जितना जलील होना था हो चुके। उसकी भी सीमा है। कब तक किसान को इस तरह से गिराया जाता रहेगा। आखिर शहर की सीलिंग हुई। गांव की सीलिंग में और शहर की सीलिंग में दोनों में कम से कम एक नजरिया रखना चाहिए था। शहरों में सीलिंग का एक खिलवाड़ कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में ए और बी में शहर आते नहीं हैं। सी और डी में शहर आते हैं। एक खिलवाड़ कर दिया गया है। वह इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकता है कि उसको दस हजार पन्द्रह हजार रुपया किराया आ सकता है। बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स और हजारों वर्ग मीटर फ्लैट रख सकते हैं। लेकिन वहां किसान पर 18 एकड़ पर सीलिंग कर दी जाती है। पंजाब में रूपासाड फार्म है, उसके आंकड़े हैं एक एकड़ के फार्म से दो सौ रुपए की आमदनी किसान 36 सौ रूपए में कैसे गुजर कर सकते हैं ? उसकी औरत है, बच्चे हैं, उनका पालन पोषण है, दवा दारू है, पढ़ाई लिखाई है, यह कैसे मुमकिन हो सकता है ? उस पर आप कहते हैं कि साढ़े 12 एकड़ पर सीलिंग कर दी जाय। अगर आप सीलिंग करना चाहते हैं तो पूरी जमीन उससे ले लीजिए। कम से कम रोज-रोज उसको जलील न होना पड़े। एक बार उसकी जमीन ले ली जाय लेकिन ऐसा न करके उसकी रोज-रोज तौहीन कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। जमीन बढ़ नहीं सकती है, जैसा कौशल जी ने कहा। अगर आपके पास जमीन नहीं है जो आप भूमिहीनों को दें सकें, हरिजनों को दे सकें तो गांवों में धंधे खुलवाइए। ऐसे साधन इकट्ठे कीजिए जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके। लेकिन अगर जमीन का बंटवारा करते चले जायेंगे तो उसका नतीजा यह होगा, एक एकड़ पर एक परिवार जिन्दा रह नहीं सकता, वह दो साल में बेंच खाएगा, और जिसकी जमीन ले रहे हैं उसको भी मार रहे हैं। हां, जो

बड़े-बड़े हजारों एकड़ के फार्म हैं, जैसे एक भूतपूर्व मंत्री हैं, उनके साथ उनकी जांच की जाय, जो बड़े फार्म्स बड़े-बड़े जमींदारों के, नेताओं के रहे हों, उनसे जमीन ले ली जाय। लेकिन आम किसान को उपेक्षित न कीजिए। उसकी इज्जत न लीजिए।

दूसरी चीज यह कहनी है कि जहां पर सीलिंग लागू हुई, आप कहते हैं कि किसानों के साथ न्याय कर दिया, जब से न्याय की नींव पड़ी होगी उस वक्त से न्याय के इतिहास में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जो आज सीलिंग के कानून के साथ हुई है। एक ही मुकदमें के उन्हीं तथ्यों पर दो-दो बार मुकदमें चलाए गए। यह कहां का न्याय है? जिन तथ्यों पर एक बार मुकदमा चल चुका, न्याय का सिद्धान्त यह है, उस पर दोबार मुकदमा नहीं चलाया जाता है। लेकिन सीलिंग के मुकदमें में प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी ने फैसला दे दिया, अपील में डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला दे दिया। उसके बाद उन्हीं तथ्यों पर, उन्हीं फैक्ट्स पर फिर से लेखपाल ने नक्शा भर कर भेज दिया, प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी डिस्ट्रिक्ट जज के आर्डर की अवहेलना करते हुए उन्हीं तथ्यों पर मुकदमा चलाना शुरू कर देता है। यह अन्याय किसानों के साथ किया जा रहा है। क्योंकि किसान का कोई संगठन नहीं। उसकी आवाज बुलन्द करने वाला कोई नहीं है, न कांग्रेस पार्टी, न जनता पार्टी। जब वोट का मौका आता है तो अपनी-अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं। लेकिन वही पार्टियां जिस दिन काम निकल जाता है, उसकी तरफ आंख उठा कर नहीं देखतीं,।

इसके साथ ही एक बात और कहनी है। सीलिंग पूरे उत्तर प्रदेश में 18 एकड़ पर है। बुन्देलखंड जैसे क्षेत्र की जमीन और इलाहाबाद में कुछ ऐसी पिछड़ी हुई तहसीलें हैं, वहां पर भी 18 एकड़ की सीलिंग है और पश्चिमी जिलों में 18 एकड़ की जमीन पर सीलिंग है। बुन्देलखंड की जमीन और पश्चिमी जिलों की जमीन में बड़ा फर्क है। उस लिहाज से अन्तर होना चाहिए था। कोई औचित्य और न्याय नहीं है कि जितनी सीलिंग लिमिट आपके मेरठ में हो उतनी हमारे यहां पर हो। मेरा सरकार से अनुरोध है कि कम से कम बुन्देलखंड के साथ न्याय किया जाय, वहां जमीन में दुगने का फर्क रहा है उस आधार पर बुन्देलखंड में दुगनी जमीन दी जाय। बहुत से ऐसे केस होते हैं जिनमें पूरे खेत की सिंचाई नहीं की जाती है और उसको पूरा सिंचित मान लिया जाता है। अगर मान लीजिए 10 एकड़ का खेत है और एक विस्वा में सिंचाई कर ली गयी तो पूरे को सिंचित मान लिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता––

अब आप का समय समाप्त।

श्री शंकर सिंह––

पूरे खेत में पानी लगता है तो पूरे खेत को सिंचित मान लिया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर एक कोने में पानी लगाया जाता है तो उसको पूरा सिंचित मानना ठीक नहीं है।

इसी तरह से एक बात मैं फेमिली प्लानिंग के बारे में कहना चाहता हूं और वह यह है कि जो स्टैन्डर्ड फेमिली सीलिंग के लिए बनी वह 5 की बनी और जिस परिवार की संख्या 5 होगी 18 एकड़ जमीन मिलेगी। इसी में एक और प्राविधान है

[श्री शंकर सिंह]

कि अगर जिस परिवार की संख्या 5 से अधिक होगी तो प्रति व्यक्ति 2 हेक्टेयर जमीन और दी जाएगी। तो इस प्रकार से लोग फेमिली प्लानिंग की योजना को ठुकरा रहे हैं। जिसके अधिक बच्चे होंगे उनको अधिक जमीन मिल जाएगी।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त ।

*श्री राम जी (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जो अपना बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, राजस्व एक ऐसा विषय है जिसका 52 प्रतिशत से अधिक गांव में बसने वालों के कोष से आता है। जब राजस्व पर विचार करते हैं हम उन किसानों और मजदूरों के बारे में विचार करते हैं जिनका शरीर धूल और कीचड़ से सना रहता है और उनकी तस्वीर सामने आ जाती है। ऐसे लोगों की तकदीर को बदलने के लिए योजनायें बनायी जाती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों की तकदीर में कोई परिवर्तन अब तक नहीं हुआ। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में हरिजनों के नाम पर भूमि का आबंटन किया गया है लेकिन वह सब कागज पर आबंटित होकर रह गया है। वास्तविकता कुछ और ही है। जो जमीन गाँवों में सार्वजनिक कार्यों के लिए पड़ी रहती थी उनको आबंटित कर दिया गया है जिनके कारण गाँवों में अब कोई जमीन बची नहीं है। हरिजन आज भी कागज लिए हुए अपनी जमीन की खोज में लगा है और उसकी जाँच की माँग करता है। मैं अपने क्षेत्र के दो-तीन गाँवों के नाम बताना चाहता हूं जहाँ पर यह चीज हो रही है ओन्हाईच, हरपुर, सलहाबाद, महमूदपुर, इन्दारा, कुसमौर ऐसे गाँव हैं जहाँ पर आए दिन झगड़ा हुआ करता है।

माननीय मन्त्री जी का ध्यान मैं चकबन्दी की ओर भी दिलाना चाहता हूं जहाँ पर पहले चकबन्दी हुई थी वहाँ पर फिर से चकबन्दी की आवश्यकता है। अनेक गाँवों में वाटर लागिंग की वजह से किसानों के सामने समस्या खड़ी हो गई है फसलें खड़ी खड़ी सड़ जाती है। उनका पानी निकल नहीं पाता है उनका बीज नष्ट हो जाता है। कोपागंज, कसारा, लेरो आदि ऐसे इलाके हैं जहां वाटर लागिंग की समस्या किसानों के सामने हमेशा खड़ी रहती है। उस पानी की निकासी की कोई व्यवस्था न होने के कारण वहां के किसानों को बड़ी परेशानी है जिससे उनकी फसलों की सुरक्षा नहीं हो पाती। अत: इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

मान्यवर, भ्रष्टाचार एक ऐसा सवाल है जो कोई नई चीज नहीं है जिसके बारे में सदन के सदस्य परिचित न हों। मैं अपनी ओर से ऐसा समझता हूं कि भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए जो भी कार्य-क्रम बनाया जाए वह समयबद्ध हो। किसानों की जो समस्या है, और उनके लिये यदि उन्होंने डी0एम0, एस0डी0एम0 को जो भी प्रार्थना-पत्र दिए हैं, उनका एक निश्चित अवधि के अन्दर निपटारा हो जाना चाहिए। यदि किसी गाँव के अन्दर कोई कानूनगो या अन्य अधिकारी दौरा करने के लिये पहुंचता है तो उसके लिए लेखपाल को प्रबन्ध करना पड़ता है जिसके कारण भ्रष्टाचार की काफी गुंजाइश रहती है। अत: इसके लिए समयबद्ध कार्य-क्रम लागू करना अत्यन्त आवश्यक है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आजमगढ़ जिले में घोसी और सगड़ी ये दो ऐसी तहसीलें हैं जो हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाती हैं। सूखे की चपेट में आ जाती हैं। यहाँ 18 नदियाँ हैं जिनके कारण कभी कभी बाढ़ का ऐसा उफान आता है कि पूरा जिला बाढ़ की लपेट में आ जाता है। इन छोटी-छोटी नदियों में पानी की निकासी के लिए यह आवश्यक है कि उनको गहरा किया जाए। पानी ठीक ढंग से बड़ी नदियों में जा सके। आज वहाँ नदियां पट सी गई हैं। कहीं-कहीं पर वे इतनी नीची हो गई हैं कि पानी का बहाव रुक जाता है। उनमें वेहया के इतने पेड़ पैदा हो गए हैं जिनके कारण पानी का बहाव रुक जाता है और गाँवों में वह पानी फैल जाता है। फसलें नष्ट हो जाती हैं, मकान गिर जाते हैं। अत: ऐसी नदियों को काफी गहरा कराने की आवश्यकता है, ताकि पानी का बहाव तेज हो सके।

इस समय हमारे जिले की मुहम्मदाबाद और घोसी तहसील में सूखे का ऐसा प्रकोप है जिसे माननीय राजस्व मन्त्री जी ने देखा है जब वे हमारे जिले में दौरे पर गए थे कि खेतों की लहलहाती फसलें सूख रही हैं। नहरें बन्द हैं। जो भी पानी हम दे सकते हैं वह नहीं दे पा रहे हैं। अत: ऐसी परिस्थिति में मेरी प्रार्थना है कि इन दोनों तहसीलों को सूखा क्षेत्र घोषित किया जाए। लगान की वसूली वहाँ स्थगित की जाए किन्तु उसके साथ मेरा यह भी निवेदन है कि जब पुन: वसूली की जाए तो उस पर जो ब्याज लिया जाता है वह ब्याज माफ कर दिया जाय। इस समय जो लगान है वह किसानों का माफ कर दिया जाए।

मान्यवर, गरीब लोगों को जो जमीन देने की बात है तो वह पट्टा या जमीन जिस ग्राम समाज के लिए कुल जमीन का 8 प्रतिशत सुरक्षित करने के बाद बाकी बची जमीन के लिए मेरा राजस्व मन्त्री जी से निवेदन है कि उसे भूमिहीनों में वितरित किया जाए।

मान्यवर, अन्त में मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि गाँवों में बसने वाले भूमिहीनों को तो बसने के लिए आपने जमीन दिलवा दी लेकिन टाउन एरिया, नगरपालिकाओं, महानगरों के क्षेत्रों में शहरों में जो लाखों भूमिहीन बसते हैं हरिजन जो सड़कों के किनारे पर झोपड़ी डाल कर बसते हैं, आए दिन हमारी नगरपालिकाओं के अधिकारी और कर्मचारी उनकी झोपड़ियों को जा कर फेंक देते हैं जिससे उन्हे बड़े कष्ट का सामना करना पड़ता है? मेरी प्रार्थना है कि जो नजूल की जमीन है, वह जैसा कि भूमिहीनों को गाँवों में बसने के लिए भूमि दी जाती है वैसे ही उनको भी बसने के लिए जमीन दी जाय।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

(श्री सत्यपाल सिंह यादव का नाम पुकारे जाने पर।)

एक सदस्य---

मान्यवर, मैं खड़ा होकर बारबार समय ही मिल पाता है।

(व्यवधान)

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं भी बोलने के लिए कई बार खड़ा हुआ हूं . . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राम अधार यादव जी से मेरा अनुरोध है कि वे बैठ जायं।

(श्री सुखपाल पाण्डेय के खड़े होने पर और बोलने के लिए मांग करने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप भी कृपया बैठ जायं।

एक सदस्य—

आप सूची देखें।

श्री अधिष्ठाता—

प्रयास यह किया जा रहा है कि अधिक से अधिक माननीय सदस्य बोल सकें। निश्चय यह किया गया था कि सिद्धान्तत : हमारी रूलिंग पार्टी के जब 2 माननीय सदस्य बोल लें तो विरोध पक्ष के एक माननीय सदस्य बोलेंगे। तो जब रूलिंग पार्टी के 2 माननीय सदस्य बोल चुके तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि तीसरा नम्बर विरोध पक्ष का होगा। इसलिए हमारी रूलिंग पार्टी के लोगों को खड़ा ही नहीं होना चाहिए ?

बाबा राम अधार यादव—

मान्यवर, मैं यह नहीं चाहता कि उधर से कोई न बोले हमें देखना है कि सदन में क्या परम्परा है। कुछ लोग रोज बोले और किसी को किसी दिन भी बोलने का मौका न मिले यह कैसे हो सकता है ?

श्री अधिष्ठाता—

इसका ध्यान रखा जा रहा है।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, अभी आपने अध्यक्ष पीठ से यह फर्माया कि "हमारी रूलिंग पार्टी के"। इस अध्यक्ष पीठ से आपका यह कहा जाना कहाँ तक उचित है ? आपकी कौन सी रूलिंग पार्टी है ?

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्य की भावना से पूर्णतया सहमत हूं। जब कोई अधिष्ठाता अध्यक्ष पीठ पर हो उसका रुलिंग या अपोजिशन पार्टी से कोई सम्बन्ध नहीं होता, वह तो बिल्कुल इन्डिपेन्डेन्ट होता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है "हमारी रूलिंग पार्टी" शब्द का प्रयोग मैंने नहीं किया है लेकिन अगर किया भी है तो वह गलती से हो सकता है।

एक सदस्य—

मान्यवर, हमारी ओर से कोई नहीं बोला है ?

*श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहाँपुर)—

मान्यवर, माननीय जगन्नाथ प्रसाद जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। अभी जनता पार्टी के एक माननीय सदस्य ने सीलिंग के बारें मे कहा है, मैं भी उनसे सहमति प्रकट करते हुए कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 70 प्रतिशत किसान हैं जिन पर हर सामान्य व्यक्ति की निगाह पहुंच जाती है। इसके बरखिलाफ जो सरकारी नौकरियों में हैं बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, जिनकी बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएं हैं, कल-कारखाने हैं और न जाने उनके कितने एकाउन्ट्स बैंक्स में हैं, उनकी ओर किसी की निगाह नहीं जाती है और जो 70 प्रतिशत किसान हैं वे हर नजर के शिकार बनते हैं। सीलिंग की जो हद आपने 18 एकड़ कर दी है इसे जैसा कि हमारे साथी ने अभी कहा, 12 एकड़ की बात, यह बहुत ही उचित है। अगर आपने सीलिंग को अलाभकारी कर दिया तो उत्तर प्रदेश ही नहीं सारे देश का विकास रुक जायगा। कृषि पर, खेती पर सबसे बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। एक किसान क्या पैदा करता है, कितनी उससे दिक्कत होती है, कितनी उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं इन सारी चीज को निकाल कर देखें तो 18 एकड़ वाला भी सुख की नींद नहीं सो पाता है। अपने परिवार को लेकर नहीं चल पाता है। मैं यह नहीं कहता कि आप इसे ज्यादा करें या कम करें लेकिन इस सीमा को कम करने के पहले जरा शहरों की तरफ अवश्य नजर ले जायं जहाँ बड़े बड़े पूंजीपति इतनी बड़ी जायदादों के मालिक बने बैठे हैं वहाँ पर भी सीलिंग का प्रयास करना चाहिए।

जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि कमलापति त्रिपाठी या दूसरे हमारे भूतपूर्व मन्त्री जी का नाम ले लिया जाता है, अगर उनके पास जमीन है तो आज आपके हाथ में शक्ति है। काँग्रेस ने छोड़ दिया है, नियम नहीं बनाए तो आप बनाइये। रोजाना कमलापति के नाम की रटन करने से आपका उद्धार नहीं हो जायगा। आपका दामन साफ नहीं हो जायगा। अगर उनकी गलतियाँ हैं, जमीन चुराई हैं, छिपाई है, तो आप एक बार निर्णय लीजिए वह आपको लेना है।

आपके चुनाव घोषणा-पत्र की एक बात कहना चाहता हूं। सवा तीन एकड़ का लगान आपने माफ किया और सवा छः एकड़ की घोषणा की थी उसका खंडन किया। जैसा मैंने कहा कि आपने पिछड़े वर्ग के लिए कहा था कि रिजर्वेशन करेंगे, नहीं किया और उसका खंडन किया। तो यह मानकर चलिए कि जो वादे आपने किए हैं और वादे करने के बाद यह बजट वर्ष का पहला ही है, आपकी ओर जनता विशेष निगाह लगाए बैठी है कि जो जो वादे किए गए हैं वह आप पूरा करें, लेकिन इस राजस्व के बजट में जिससे 70 प्रतिशत जनता का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है उसमें ही आपने वादे को पूरा नहीं किया है। राजस्व मन्त्री चूंकि सूबे के प्रवक्ता है, निजी रूप से जानकारी है, तो मैं उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अपने जो न्यायिक अधिकारी थे राजस्व के उनके न्यायालयों को खत्म कर दिया जिनको जुडीशल आफिसर्स कहते थे। उसके बाद आपके बंटवारे के मुकदमें जो 75 के अन्दर 209, 210, 229 आदि के अन्दर जोकि हर किसान के सामने समस्या आती है उनको निपटाने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्य पाल सिंह यादव]

के लिए अब आपने परगनाधिकारी पर जिम्मेदारी सौंप दी है जबकि वह केवल हफ्ते में दो दिन तहसील हेडक्वार्टर पर बैठते हैं। 5–5, 6–6 साल हो चुके हैं उन मुकदमों के निर्णय नहीं हो पाए हैं। इसलिए जिन जिलों में जुडीशियल आफिसर्स को समाप्त किया है रेवेन्यू के, उनको अवश्य पुनः स्थापित करने की कृपा करें।

(इस समय 4 बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

एक बात मैं आपके घोषणा-पत्र की ओर कह देना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार ने सारी जमीनें इस प्रकार की, जो गड्ढे थे, तालाब, ऊसर, बंजर सारे अलाट कर दिए थे, हम सारी की सारी अच्छी जमीनें अलाट करेंगे, यह एक माननीय सदस्य ने कहा था। वित्त मन्त्री जी के बाद जगन्नाथ प्रसाद जी ने उसको पढ़ा था भाषण को, उस भाषण में लिखा था कि पिछली सरकार ने ऊसर, बन्जर अलाट कर दिया तो उन्होंने अगर एलाट किए हैं तो गांव सभा की बढ़िया जमीन कहाँ गयी? क्या बढ़िया जमीन नारायण दत्त ने अपने नाम करा ली है या भूतपूर्व मन्त्री स्वामी प्रसाद सिंह ने करा ली है? अगर उन्होंने करा ली है तो किसके अन्तर्गत वितरित हो रही है। अगर वितरित नहीं हुई है तो आपने कौन सा चमत्कारी कार्य किया है जो कांग्रेस सरकार ने नहीं किया था। वितरण आप अच्छा कीजिए।

एक विशेष रूप से ध्यान अपने जनपद की ओर दिलाना चाहूंगा। हमारे जनपद शाहजहांपुर की सीमा बदायूं से मिलती है और रामगंगा दोनों जिलों को डिमार्केट करती है। दोनों के बीच का सीमा विवाद पिछले 4–5 वर्षों से चल रहा है, उसके ऊपर वहां के कम से कम 25–30 हजार परिवारों का जीवन निर्भर है। मैं पूर्णतया दोष आप पर नहीं देता हूं कि आप यह नहीं कर पाए। सही है कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, लेकिन मने माननीय मन्त्री जी से दो बार मिलकर बताया, उन्होंने कुछ समुचित रूप से किया जिससे विवाद निपट जाय, अगर दो देशों का सीमा-विवाद होता तो अब तक निपट गया होता। यह केवल दो जनपदों का झगड़ा नहीं निपट पा रहा है। मन्त्री जी, आपने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि 7 सर्वे यूनिटों की स्थापना की है, और वह ऐसे मामलों का समाधान करेंगी। आप जानकारी कर लें, प्रतिवर्ष वहां पर डकैती होती है, हजारों आदमी घायल होते हैं, जेलों में जाते हैं, लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, अगर वहां के 25 हजार परिवारों का आप दुख दर्द दूर करना चाहते हैं तो बहुत आसान है आपके लिए, आप वहां का डिमार्केशन करा दें। इसमें जो जिलाधिकारी शाहजहांपुर हैं मैं उनका अनुगृहीत हूं कि वह कम से कम 3 बार महीने में शासन को लिखते हैं लेकिन यह शासन की कार्य प्रणाली में कमी है कि इतना लिखने के बाद भी शासन का ध्यान उस ओर नहीं जाता। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस ओर विशेष ध्यान देने की कृपा करें और इस झगड़े का निस्तारण करा दें।

अभी मैं आपका यह प्रतिवेदन पढ़ रहा था, जिसमें आपने कहा है कि हरदोई कानूनगो स्कूल को एक उच्चस्तरीय प्रशिक्षण संस्थान में आपने परिवर्तित कर दिया है। बड़ी खुशी है, हरदोई हमारा भी पड़ोसी है और मन्त्री जी का जनपद है, और भी अच्छी बात है, लेकिन हमारा जिला भी हरदोई के बार्डर से मिलता है और हमारे यहां एक मामूली सा लेखपाल स्कूल है जो पिछले दो साल से बिलकुल बेकार पड़ा हुआ है, वहां पर कोई भी प्रशिक्षण कार्य नहीं हो रहा है और प्रशिक्षार्थी कहां है, यह मुझे पता नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उस स्कूल की तरफ भी आप निगाह डालें...

श्री अध्यक्ष—

सत्यपाल जी, आप कृपया अपना भाषण एक मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री सत्यपाल सिंह यादव—

लेखपाल से लेकर तहसीलदार स्तर तक इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसके कारण जो किसान देहात से आते हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि पुरानी सरकार के मन्त्री ने जो रवैया अख्तियार किया था, अगर कोई अच्छा कार्य करता रहा है तो उसका आप अनुपालन करें, कोई बुरी बात नहीं है। आप भी समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण करके देखें कि किस तरह से तहसीलदार और नायब तहसीलदार मुकदमों के नाम पर रिश्वत लेते हैं, सारी फर्जी कार्यवाही करते हैं, अदालत में बैठते नहीं हैं, बिल्कुल फर्जी जजमेंट घर पर लिखे जाते हैं। आप इन बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें ताकि इस प्रदेश की जनता जिसने आपसे बहुत उम्मीदें लगाई थीं, वह यह महसूस कर सके कि आपने जो वायदे किए थे वह पूरे कर रहे हैं।

इन बातों के साथ मैं जगन्नाथ जी के कटौती के प्रस्ताव का प्रबल समर्थन करता हूं।

(बाबा राम अधार यादव का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

व्यवस्था का प्रश्न है। इस पूरे सत्र मे मुझे एक बार भी बोलने का समय नहीं दिया गया, न अधिष्ठाता महोदय समय देते हैं, न आप।

श्री अध्यक्ष—

श्री शंकर सिंह बुन्देलखण्ड के रहने वाले अभी बोल चुके हैं। आप बैठिए। आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप लोग बैठिए।

*बाबा राम अधार यादव—

मान्यवर, राजस्व मन्त्री जी ने जो बजट रखा है सदन में, मैं उसका अनुमोदन करता हूं और साथ ही साथ मैं राजस्व मन्त्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र में जो गरीब किसान हैं, उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र गंगा, यमुना के बीच में स्थित है। उस क्षेत्र में आपको मालूम होना चाहिए, है तो शहरी क्षेत्र, मगर हमारे क्षेत्र के चौथाई भाग में किसान बसते हैं और वह किसान गंगा, यमुना के करीब बसते हैं जिसमें कछार की भूमि है। हम बतलाना चाहते हैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कि वहां पर आज भी पुरानी प्रथा जमीन्दारी की चली आ रही है। लोगों के पास 100–100 एकड़ जमीने हैं और उसके साथ-साथ कुछ पुराने जमीन्दार हैं, कुछ अधिकारी पुराने हैं, जो वहां अवकाश प्राप्त करके बड़ी-बड़ी भूमि लेकर खेती करते हैं। मैं चाहूंगा कि आज जो जनता सरकार है वह उस नारे को पूरा करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[बाबा राम अधार यादव]

"जो धरती जोते—बोए, वह धरती का मालिक है।" अब वह पुरानी चीज हटानी पड़ेगी। जो कछार की भूमि है, लगातार बराबर प्रयास किया जाता रहा, हमारे यहां के कलेक्टर और कमिश्नर और राजस्व विभाग के लोग लखनऊ सरकार को बराबर लिखा करते रहे, आज तक उनका कोई फैसला नहीं हो पाया। आज तक वह भूमि बड़े-बड़े लोगों के हाथ में पड़ी हुई है और वहां पर देखा जाय कि वहां के लोग अगर मजदूरी भी करें, तो उनको मजदूरी भी नहीं मिलती। उनके पास खेती भी नहीं है। वे लोग भूखों मरने की स्थिति में हैं।

मैं चाहूंगा कि इसमें हमारी सरकार विशेष-तौर से ध्यान दे। सीलिंग के बारे में जैसे और माननीय सदस्यों ने कहा सीलिंग 18 एकड़ की हो रही है, मगर उसकी सीलिंग नहीं हो पा रही है, जहां नगर के अन्दर आज भी सीलिंग का नाम तमाम जोरों पर चलता है और बीसों साल से सीलिंग की बात आ रही है। आज इलाहाबाद नगर के अन्दर एक-एक बंगला जो बना है, वहां 5—5 एकड़ जमीन उनके बंगले के अन्दर है। आप देखेंगे कि यदि उन बंगलों के अन्दर खेती कराई जाती तो अन्न पैदा होता और लोग जीते। वहां पर नजूल की तमाम जमीन पड़ी हुई है, जिनका फिर से नवीनीकरण होना है। कई साल हो गए, सरकार के पास महापालिका के द्वारा लिखकर आया कि इसका नवीनीकरण होना चाहिए, मगर देखा जा. . .

(इस समय 4 बजकर 8 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्यामधर मिश्र पीठासीन हुए।)

रहा है कि नवीनीकरण नहीं हुआ, केवल 18 बड़े-बड़े बंगलों का नवीनीकरण हुआ है, पता नहीं चलता है कि औरों का क्यों नहीं नवीनीकरण करना चाहते? जैसे हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि नगर महापालिका में नजूल की जमीनें हैं, नजूल की जमीन आप देखेंगे कि आज भी बड़े-बड़े लोगों के हाथ में है, मगर देखेंगे आप कि इलाहाबाद नगर की पटरियों पर, सड़कों पर, इधर-उधर तमाम गरीब लोग बसे हुए हैं, तमाम मुसहर हैं, और लोग हैं और गरीब लोग हैं, उनको जमीन नहीं मिल रही है और जो जमीन सरकार आवंटित करती है वह भी बड़े-बड़े लोगों को करती है। मैं इसके साथ-साथ यह भी बतला देना चाहता हूं कि अगर यही दशा रही, जो इलाहाबाद से कुछ लिखकर आवे और यहां के सरकारी अधिकारी उस पर ध्यान न दें, आज सारी परेशानी जो है यहां लखनऊ में जो बैठे हुए अधिकारी हैं, सारी जिम्मेदारी इनकी है।

मैं राजस्व मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ये देखें कि क्या कारण है कि जिले की जो राजस्व की वसूली है, वह क्यों नहीं पूरी होती। उसी तरह से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र से मिला हुआ फाफामऊ हवाई अड्डा है, जिसमें कि 500 एकड़ जमीन है, वह 39—40 में जब द्वितीय महायुद्ध हुआ था, उस समय जमीन ली गयी थी, वहां पर हवाई अड्डा बनाया गया था, 1947 में जब देश स्वतन्त्र हुआ तब वहां के किसानों ने कहा कि अब यहां हवाई अड्डा की जरूरत नहीं है, यह जमीन हमको जोतने-बोने के लिए दे दीजिए। जब फिर सरकार को इस जमीन की जरूरत पड़ेगी तब हम फिर इसको छोड़ देंगे। तो मान्यवर, सन् 1947 के बाद तय हुआ कि जमीन वहां के किसानों को मिले। वहां पर लगभग 25 सौ परिवार ऐसे हैं जो उस जमीन को जोतते हैं। लेकिन मान्यवर,

सन् 1965 में युद्ध शुरू हुआ और जमीन ले ली गयी। लेकिन सन् 1965 से जमीन आज तक पड़ी हुई है। खेती नहीं होती है। मान्यवर, वह बहुत उपजाऊ ज़मीन है। 25 सौ परिवारों की है जो 22 गांवों से आते हैं। वहां के लोग भूखों मर रहे हैं। 22 गांवों की जनसंख्या हरिजन और पिछड़ी जातियों की है। मान्यवर, कई मर्तबा लिखा गया और कहा गया कि जमीन दी जाय, लेकिन जमीन नहीं मिली। मैं राजस्व मन्त्री जी का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं कि खाली जमीन जो पड़ी है उस जमीन को वहां के लोगों को दिलाया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया समाप्त करें।

बाबा राम अधार यादव—

मैं एक मिनट और बोलूंगा। इसी तरह से नगर पालिका के अन्दर जो भूमि आती है वह भी नैनी के अन्दर है। एक-एक किसान के पास 100, 100 बीघा जमीन है। मैं चाहूंगा कि नजूल की भूमि की ओर भी राजस्व मन्त्री ध्यान देंगे।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, राजस्व मन्त्री ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में इस बात का ऐलान किया था कि हम इस प्रदेश के अन्दर खेती को प्राथमिकता देंगे। भूमि-सुधार सम्बन्धी कानून को तेजी से अमल में लायेंगे। मगर आज मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद, पिछली बार जो भूमि सम्बन्धी सुधार का कानून बनाया गया था उस कानून का पालन मुस्तैदी के साथ नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, इसी सन्दर्भ में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सवा छः एकड़ की जो अलाभकर खेती है जिस पर लाभ नहीं होता है उस खेती से लगान से माफी की घोषणा की गयी थी। मगर मौजूदा बजट में केवल सवा 3 एकड़ तक की खेती के लगान माफी की घोषणा की गयी है। मैं सदन के जरिए दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जिस बात के लिए अनेकों बार जेल गए, पुलिस की लाठियाँ खाई हैं, सवा छः एकड़ की अलाभकर लगान माफी का संकल्प किया था, जनता सरकार को उसे पूरा करना चाहिए। मान्यवर, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि दुनिया के बहुत से देशों में आम बीमा होता है खेती के सिलसिले में। मगर हमारे देश में पिछले 30 सालों में इस पर कोई प्रयोग नहीं किया गया। आए दिन देखने को मिलता है कि कहीं सूखा पड़ गया और कहीं बाढ़ की विभीषिका है और फसलें बरबाद हो जाती हैं। पूरी फसलें नष्ट हो जाती हैं। किसान तबाह हो जाता है उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। मैं इस सदन के जरिए माननीय राजस्व मन्त्री से कहना चाहता हूं कि आम बीमा फसल के लिए भी लागू किया जाना चाहिए।

मान्यवर, अपने देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया में हर जगह दो तरह के कर लगते हैं। एक तो सीधा कर होता है दूसरा टेढ़ा कर होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। पिछले 30 सालों के कांग्रेस राज में हमारे देश में अप्रत्यक्ष-कर और प्रत्यक्ष-करों के बोझ से जो मध्यम वर्गीय किसान हैं और देश का जो मध्यम वर्ग है उसकी रीढ़ टूट गयी है। उसकी

[श्री श्रीराम द्विवेदी]

स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गयी है। मैं कहना चाहूंगा कि इस सिलसिले में भी राजस्व मन्त्री ध्यान देने की कृपा करें। देश के जन-मानस पर, देश की गरीब जनता पर, देश के मध्यम वर्गीय किसान पर जो करों का बोझ लदा हुआ है जो दिखाई नहीं पड़ता है, शायद ही दुनिया में इतना बड़ा अप्रत्यक्ष कर कहीं लगा हो जैसा हमारे देश में है। इन करों के बारे में कुछ ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है। जो करों का बोझ किसानों और मध्य लोगों पर ज्यादा है, उसको कम करने की कोशिश जनता सरकार को करनी चाहिए। मान्यवर, इस सिलसिले में वान्चू समिति की सिफारिशें जो हैं उनको लागू करें, अन्यथा जो करों का बोझ लदा है जिसके चलते समाजवादी सिद्धान्त लागू नहीं हो सकते, अमीर-गरीब की खाई चौड़ी होती जा रही है वह कम नहीं हो सकती है। मान्यवर, इस सिलसिले में राजस्व मन्त्री जी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्हें एक आयोग गठित करके कर निर्धारण के सम्बन्ध में एक नीति लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। इस सिलसिले मे हमारी मांग है कि मंत्री जी एक आयोग गठित करके जो राजस्व की वसूली के नियम हैं, उनके बारे में एक कारगर कदम उठाएं।

मान्यवर, हमारा फैजाबाद जनपद सूखे से तबाह है। 75 फीसदी फसल नष्ट हो गयी है। दुख की बात यह है कि पिछले दिनों हम क्षेत्र का दौरा करके आए हैं अधिकांश ट्यूबवेल बन्द हैं। बिजली सप्लाई बन्द है। जानवरों को चारा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए राजस्व मन्त्री जी से निवेदन है कि हमारे फैजाबाद जिले को अविलम्ब सूखा-ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाय। वहां लगान और स्कूल की फीस माफ की जाय। जनता के लिए टेस्ट वर्क चालू करके लोगों को राहत देने का कार्य सरकार चालू करे। इन शब्दों के साथ मैं दरख्वास्त करूंगा कि हमारे देश में खेतिहर पल्टन की जरूरत है। डाक्टर लोहिया जी ने जो स्वपन देखा था, जो कल्पना किया था उसके लिए मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि भूमि सम्बन्धी सुधारों को लागू करने में; खेती में रचनात्मक कार्य बढ़ाने के लिए खेतिहर पल्टन की शुरुआत करें।

*श्री श्याम नारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, सिर्फ विभागीय नीति की समालोचना करने के लिए तथा सुझाव देने के लिए मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी जब राहत कार्यों के सिलसिले में बोलते हुए मन्त्री जी ने कहा कि हमारें यहां कभी बाढ़, कभी सूखा और इस तरीके से यह दैवी प्रकोप स्थायी रूप ग्रहण कर लिए हैं और इसका कोई स्थायी हल होना चाहिए। सही बात है। कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़। यह हर साल दैवी प्रकोप आते हैं और यह स्थायी रूप ग्रहण कर चुके हैं। इसलिए इनका कोई स्थायी हल ढूढ़ना चाहिए। इस सिलसिले में मुझे कहना है कि अगर स्थायी हल ढूढ़ना है तो सिर्फ समस्या के तकनीकी पहलू पर ध्यान देने से हल नहीं होगा बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि इस विभाग से सीधा सम्पर्क किसानों का है इसलिए किसानों को सक्रिय रूप से उत्साहित किया जाय और यह तभी हो सकता है जबकि जमीन जोतने वालों का नारा जो राष्ट्रीय नारा था उसको अमली रूप दिया जाय। यह नारा था राष्ट्रीय आन्दोलन से और उसके दौर से आज तक किसान जमीन की भूख से पीड़ित है। इसके लिए बराबर संघर्ष करते आ रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि किसान आन्दोलनों के दबाव से ही सही, चाहे इधर के हों या उधर के हों, हमने देखा कि कांग्रेसियों ने भी किसी न किसी रूप में जनता की जमीन की भूख को स्वीकारा है और हमारे माननीय मन्त्री जी ने कहा कि प्रचार के लिए उन्होंने जल्दी-जल्दी गाँव समाज की जमीन को आवंटित किया। मतलब यह कि यह भी समझते थे कि लोगों को जमीन दी जाय क्योंकि इस तरह से ही किसानों को उत्साहित किया जा सकता है। मन्त्री जी ने कहा कि पट्टों के निस्तारण के लिए अभियान चलाने वाले हैं जिससे किसानों को जमीन मिल सके। कहने का मतलब यह है कि वह भी जमीन के महत्व को स्वीकार करते हैं। जमीन का प्रश्न मौलिक प्रश्न है और इस प्रश्न को हल करके किसान को सक्रिय रूप से उत्साहित कर सकते हैं। नहर बना सकते हैं, बन्धे बना सकते हैं और विकास-कर के रूप में किसान से पैसा ले सकते हैं और समस्या का हल कर सकते हैं।

लेकिन श्रीमन्, आजादी के बाद हम जितना भूमि सम्बन्धी कानूनों से टकराएं हैं वह आप जानते हैं। जितने कानून बने चाहे सीलिंग का हो या आवंटन का, उनमें देखा गया कि जमीन के बंटवारे में अवरोध पड़े। जमीन की चोरी की गयी बेनामी पट्टों के आधार पर। आवंटन में भी इस तरह की दिक्कत पैदा हुई। लगता है कि सत्ता में ऐसे लोग अपना प्रभाव जमाए हैं जोकि भूमि पर अपना आधिपत्य चाहते हैं। लेकिन दोनों तरफ ऐसे सदस्य मौजूद हैं जो भूमि के राष्ट्रीय अभियान में शिरकत कर सामाजिक विकास को अग्रसर करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ में अपने जिले की बाबत एक सुझाव देना चाहता हूं। बाढ़ सम्बन्धी बातें जब इस पर चर्चा होगी तब विस्तार से कहूंगा। हमारी फरेंदा तहसील में चकबन्दी के बाद इन्द्राज सम्बन्धी गड़बड़ियाँ हैं। मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक विशेष प्रकार का अभियान चलाकर इस समस्या को हल करवा दें। इसी तरह से नौतनवा के पास के गाँवों में सीलिंग की जमीन निकली जो किसानों को आवंटित की गयी। उसमें फसल तैयार है लेकिन जमीन्दार जमीन लेना चाहते हैं और फसल काटने को तैयार हैं।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

मैं प्रस्तुत बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

श्री दयाराम भास्कर--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं पूरे सत्र में कई बार खड़ा हुआ हूं लेकिन मुझको मौका नहीं मिला।

श्री अधिष्ठाता--

मैं दिखवा लेता हूं आपका नाम है।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

आप लोग बैठ जायं। आप इस तरह से समय न लें। पीठासीन व्यक्ति को भी दिक्ककत होती है। एक समय में एक ही व्यक्ति को बुलाया जा सकता है। पाँच-सात मिनट के बाद तत्काल बुला रहे हैं, आप देख रहे हैं। माननीय शारदा प्रसाद जी को बुलाया है उनके बाद आपको समय मिलेगा। आप शान्ति रखिए।

श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मुझे विवाद में समय नहीं दिया गया इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री शिव प्रसाद सदन त्याग कर चले गए।)

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

मान्यवर, आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह एक महत्वपूर्ण बजट है। इसका सीधा सम्बन्ध हमारे किसानों से है जिनके परिश्रम से, जिनकी कमाई से, आज सत्ता चल रही है। उनके साथ कर्मचारी दल, शासक दल या अधिकारी दल सबका सीधा सम्बन्ध है। लेकिन दुख की बात यह है कि तत्कालीन सरकार के समय से ही इन गरीब काश्तकारों को हमेशा ही उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है। काश्तकारों पर दस गुना, बीस गुना, चालीस गुना लगान लागू किया गया है। काश्तकार की कृषि सामान के लिए कोई उचित मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। आज किसान सूखा और बाढ़ से पीड़ित है। काश्तकार का बकाया, चाहे वह गन्ने का हो या अन्य किसी चीज का, उसे शासन दिलवाने में असमर्थ रहा है। इसके अतिरिक्त शासन अपनी वसूली के लिए काश्तकारों को हर वक्त बाध्य करता है। उन काश्तकारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है जो छोटे-छोटे हैं। उन्हें चकबन्दी स्कीम में नदी के किनारे, तालाब के किनारे, जमीन दी गयी है, जबकि अच्छे काश्तकारों को अच्छी जगह पर दी गयी है। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि चकबन्दी में गडबड़ी करके इनके साथ अन्याय हुआ है और फार्म 23 के अनुसार उनको जमीन नहीं दी गयी है। इसकी जाँच होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर प्रश्न भी किया था जिसके उत्तर में यह कहा गया था कि आयोग गठित करने की व्यवस्था नहीं है। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि हमारे क्षेत्र जनपद गोरखपुर में सिसवा बाजार में चार हजार एकड़ जमीन बड़े लोगों ने अन्य नामों से इधर-उधर कर दी है। कमलापति त्रिपाठी जी के नाम के साथ यादवेन्द्र सिंह का नाम भी जोड़ देना चाहिए।

यही नहीं जो अच्छे काश्तकार हैं, खेतिहर हैं, उनको भी भूमि आवंटित कराई गई है स्थानीय नहीं तो दूसरी जगहों से बुला कर उनको लेखपाल द्वारा जमीन आवंटित की गयी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप गोरखपुर जनपद में जो चकबन्दी स्कीम है उसकी जांच कराये . . .

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

गोरखपुर जनपद और देवरिया को सूखाग्रस्त घोषित किया जाय। गन्ना काश्तकारों को बकाया धन शीघ्र दिलाने की कृपा करें।

श्री राम गोबिन (जिला बलिया)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि राजस्व विभाग की मांगों पर विचार रखने के लिए आपने मुझे समय दिया है। मैं राजस्व मन्त्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश मे भूमि आवंटन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के अन्तर्गत तहसीलदार, कानूनगो तथा लेखपाल लोगों ने हर जिले में जो नियम बनाए हैं वे बिलकुल गलत और अव्यवहारिक हैं। बलिया के चिलकहर क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं ऐसे 10 गांव वहां हैं जिन लोगों को भूमि

वहां बांटी गयी है लेकिन आज तक मौके पर उनको कब्जा नहीं दिलवाया गया, लेकिन सरकार की तरफ से पानी का लगान आ गया। इस धारणा को लेकर भूमि आवंटित की गयी थी कि गरीबों की गरीबी दूर होगी, उनकी परेशानी दूर होगी, लेकिन हुआ यह कि उनकी गरीबी दूर हुई नहीं, लेकिन भूमि और पानी का लगान आ गया। बिना फसल बोए और सिंचाई किए ही सिंचाई का पैसा जमा करने को कहा जा रहा है। इसी तरह से सिकरिया ग्राम है जहां हरिजनों को भूमि मिली। हरिजनों ने उस पर फसल बोई लेकिन एक साल के बाद फिर से उस जमीन के मालिकों ने वह जमीन वापस ले ली।

हरिजन लोग जिलाधिकारी और तहसीलदार के यहां दौड़-दौड़ कर आते हैं और फरियाद करते हैं कि जो भूमि उनको दी गयी थी भूमि मालिकों ने उनसे उसे वापस ले लिया है, हम लोग भूमिहीन हो गए हैं, यह भूमि उनको वापस दिलाई जाय। हम लोगों ने जिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित किया तो जिलाधिकारी ने कहा कि फिर से वह भूमि पर उनको कब्जा दिलवायेंगे लेकिन समझ में नहीं आता कि कब तक उस भूमि पर उनको कब्जा दिलवाया जायगा। हमने यह आन्दोलन किया था कि इस देश से भ्रष्टाचार मिटायेंगे, घूसखोरी मिटायेंगे और अमनो-अमान का वातावरण लायेंगे और उन वायदों को मद्दे नजर रखते हुए इस देश की जनता ने जनता पार्टी की सरकार को सत्तारूढ़ किया लेकिन मुझे ज्ञात नहीं कि कौन से कारण हैं कि सत्तारूढ़ होने पर भी इन बुराइयों को जनता पार्टी की सरकार दूर नहीं कर सकी। एक भी मिसाल नहीं है जहां पर सही तरीके से भूमि आवंटित की गयी हो या जो गलत तरीके से भूमि आवंटित की गयी उसे निरस्त किया गया हो और सही तरीके से उस भूमि को आवंटित करके गरीब लोगों को भूमि पर कब्जा दिलवाया गया हो।

चकबन्दी का जहां तक सवाल है उसे इसलिए लागू किया गया था कि जो बड़े-बड़े किसान हैं और उनकी भूमि टुकड़े-टुकड़े में बटी है उसको एक जगह कर दिया जाय और उसे खेती लायक बना दिया जाय लेकिन मेरी धारणा है कि चकबन्दी में जो लूट-खसोट हो रही है, गरीब किसानों को लूटा जा रहा है मुकदमों के द्वारा, उससे उनका भला नहीं हो पा रहा है। मेरे क्षेत्र में एक ग्राम खडसरा है। वहां ए0सी0ओ0 है मुझे निश्चित सूचना है कि मुकदमें के दोनों फरीकों को अपने आफिस में बुलाते हैं और बोली बुलवाते हैं जो अधिक पैसा देगा उसके पक्ष में फैसला कर दिया जायगा। इसकी जांच की जाय। इसके अलावा बलिया जिले में तीन तहसीलें हैं। इनके अलावा दो तहसील नगरा और सिकन्दरपुर और बना दी जायं, यही मेरा अनुरोध है।

*श्री बच्चा पाठक (जिला बलिया)––

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि राजस्व विभाग पर आपने बोलने का मुझे अवसर दिया।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य 3, 4 मिनट में अपना भाषण समाप्त कर देंगे, क्योंकि समय कम है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बच्चा पाठक—

राजस्व विभाग में जिस तरह के अनुदान प्रस्तुत किये गये हैं उनसे इस तरह से राजस्व विभाग के अनुदानों से किसानों का भला नहीं होने वाला है। मैं राजस्व मन्त्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाने जा रहा हूं। आज हम देखते हैं कि कांग्रेस सरकार ने हरिजनों को, कमजोर वर्ग को जो जमीनें दी थी उनको छीन लिया है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही हैं। आज आजादी मिले हुए 30 साल हो गए, लेकिन हमारे प्रदेश के अन्दर टाउन एरिया, नोटीफाइट एरियाज और म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर जमीन्दारी बनी हुई है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में ऐसी जगह हैं जहां पर सामन्त लोग लोगों को दबाए हुए हैं और उनसे बेगारी ले रहे हैं। आज यह सरकार जो अपने को जनता के सुझावों के अनुसार चलने वाली कहती है, उन पर नहीं चल रही है। जिन टाउन एरियाज, नोटीफाइड एरियाज, और म्यूनिसिपल एरियाज में जमीन्दारी रह गयी है उनको समाप्त करें। हमारे विधान सभा क्षेत्र में बेऊ, तिवारी, महावल, राजपुर, कथौली, खरानी ऐसे स्थान हैं जहां पर हमारी सरकार ने हरिजनों को जमीन दी थी वह जमीन उनसे आज पुनः छीनी जा रही है। सुखपुरा मे 100 परिवार ऐसे हैं जिनको जमीन की आवश्यकता है वहां पर, 1.80 एकड़ जमीन उनको बसाने के लिए ली गयी। लेकिन आज हम देखते हैं कि 10 परिवार बसाकर बाकी जमीन जो है वह उनको दी गयी जो पहले से उसके मालिक थे।

पुरानी परम्परा यह है कि जो राजस्व विभाग का सबसे बड़ा मालिक है वह लेखपाल है। लेखपाल जो रिपोर्ट दे देगा वही कलेक्टर के माध्यम से सरकार को आयेगी, वही मान्य होगी। मैं चाहूंगा कि जब आपकी जनता की सरकार है, राजस्व मन्त्री जी से कहूंगा कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनकी बातों पर भी ध्यान दें वह जो बात कहें उन पर अधिकारी ध्यान दें, उसको मान्यता दें।

किसानों को जोत बही नहीं दी जा रही है। आप कहते हैं कि कांग्रेस के लोगों के पास बहुत जमीन है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जनता पार्टी के ऐसे 50 प्रतिशत लोग हैं जो कांग्रेस में विरोधी थे वह आज भी बड़ी-बड़ी जमीनों के मालिक हैं। मैं उदाहरण देकर कह सकता हूं कि हमारे यहां खरौली, कथौली, बांसी में जो कांग्रेस शासन में जमीन हड़प गए थे उन्हीं के पास आज भी जमीन है..

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री बच्चा पाठक—

हमारे यहां ऐसे ताल हैं मुरहाताल और रहेखली ताल हैं जिन पर वहां के जो मछुवे हैं उनका अधिकार होना चाहिए, जो उनमें मछली मारते हैं उनको अधिकार होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय जगन्नाथ प्रसाद जी आप प्रस्ताव का समापन करें।

ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

मैं 20 बार खड़ा हुआ, लेकिन नहीं बोलने दिया गया...

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें ।

श्री ओंकार नाथ—

नये लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है. . .

(व्यवधान)

क्यों हमको बोलने का समय नहीं दिया जाता है ?

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें. . . .

इस सम्बन्ध में आलोचना आप करें, सही है, लेकिन यह बात सही है कि इतने समय में बहुत लोगों को पूरा समय नहीं मिलता है जितना वह चाहते हैं । आज समय बढ़ भी नहीं सकता है, क्योंकि 5 बजे के बाद ढाई घंटे की एक बहस और भी है । रोज की तरह आज समय नहीं बढ़ सकता है । सभी लोग सन्तुष्ट नहीं हो सकते हैं । लेकिन सबको नियमानुसार मौका मिला है । इस तरह की आलोचना आपकी अनुचित है ।

(व्यवधान)

श्री ओंकार नाथ—

मुझे दो मिनट का भी आपने समय नहीं दिया है, 3 मिनट के स्थान पर । . . .

(व्यवधान)

आप समय नहीं देते हैं तो मैं आपकी इस व्यवस्था के विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री ओंकार नाथ सदन त्याग कर चले गए ।)

*श्री जगन्नाथ प्रसाद—

मान्यवर, मैं समझता हूं कि दोनों ओर के सदस्यों ने मेरी बात का समर्थन किया है, कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है । मान्यवर, यह माल का मुहकमा बहुत बड़ा मुहकमा है और इसकी बहुत बड़ी फौज है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें हरिजन और पिछड़ी जाति का जितना संरक्षण होना चाहिए, वह नहीं है । बड़े-बड़े अफसरों की बात छोड़ दीजिए, संग्रह अमीन और चपरासियों तक का आरक्षण पूरा नहीं है । बल्कि पिछले दिनों जिलों में कुछ टेम्प्रेरी संग्रह अमीन और चपरासी अपने पदों से हटाए गए, उसमें हरिजनों को भी हटा दिया गया है । जबकि मुख्य सचिव के आदेश हैं कि जब तक हरिजनों का आरक्षण पूरा न हो जाय, तब तक इन टेम्प्रेरी हरिजन कर्मचारियों को न हटाया जाय । इनको नहीं हटाना चाहिए था ।

3 1/8 एकड़ तक की जोतों पर किसानों को जो छूट दी गयी है वह आधारहीन है । क्योंकि यह आप मैदानी इलाके में भी दे रहे हैं और बुन्देलखण्ड के इलाके में भी दे रहे हैं, जबकि वहाँ की जमीन बहुत ऊबड़-खाबड़ और कंकरीली-पथरीली है । तो मेरा सुझाव यह है कि इसको आप उपज-भूमि से लिंक कीजिए और 3 1/8 मैदानी इलाके में और जो पथरीले इलाके हैं उनकी आप तादाद बढ़ाइए । यह वेल्फेयर स्टेट है और इसमें जो पूरा पेट भोजन न पाता हो उस पर कर नहीं पड़ना चाहिए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जगन्नाथ प्रसाद]

मान्यवर, यहाँ पर प्रदेश की पैदावार 1 करोड़ 63 लाख 28 हजार टन थी, यदि इसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो यह साढ़े 6 छटाँक से ज्यादा नहीं पड़ता। अतः इस साल तो मन्त्री जी ने 3 1/8 एकड़ पर मालगुजारी की माफी की है किन्तु मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अगले वर्ष से सवा छः एकड़ पर से मालगुजारी माफ कराने की सोचें जैसा कि जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में भी है। एक सुझाव है मन्त्री जी को अपनी ओर से यह देना चाहता हूं कि डिस्प्यूटेड और अनडिस्प्यूटेड केसेज के बारे में जो मुकदमे चलते हैं उनकी उन्हें एक निश्चित अवधि तय कर देनी चाहिए। अनडिस्प्यूटेड में 3 महीने और डिस्प्यूटेड में 6 महीने की अवधि मुकर्रर कर दें और इस सम्बन्ध में आदेशों का पालन करने के लिए आप अधिकारियों को आदेश दें। पैमाइश की जो दरख्वास्तें होती हैं वे एक मुकदमे का रूप ले लेती हैं। तो इस तरह की कोई काश्तकार खेत की पैमाइश करना चाहता है तो उसको कई बार जिले में और तहसील में दौड़ना पड़ता है। उसके बाद उसको पैमाइश का मौका मिलता है। साल-छः महीने के बाद तब तक उसकी आवश्यकता खत्म हो जाती है। अतः इस देरी की गम्भीरता पर मन्त्री जी विचार करें और इसे आसान बनावें और डेढ़ रुपए के टिकट पर तहसीलदार महोदय आदेश कर दें बस पैमाइश हो जावे तो काश्तकार को इससे बड़ी राहत मिलेगी। बन्दोबस्त की एक निश्चित अवधि होनी चाहिए। यह अफसोस की बात है कि प्रदेश में अभी बन्दोबस्त नहीं हो सका है। कहीं-कहीं चकबन्दी हो रही है। लेकिन जहाँ चकबन्दी नहीं हो रही है वहाँ बन्दोबस्त करा ही देना चाहिए। जमीन्दारी अबालिशन ऐक्ट में इसकी मियाद 20 साल रखी गयी थी लेकिन तीन साल हुए इसको घटा कर दस वर्ष कर दिया गया। इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

कई दफा चकबन्दी का दफा 52 में प्रकाशन नहीं होता है तो काम रुका पड़ा रहता है। इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे ही चकबन्दी की क्रिया समाप्त हो जाय चकबन्दी की समाप्ति का प्रकाशन दफा 52 में कर देना चाहिए।

चकबन्दी में पहले ए0सी0 ओ0 लेविल पर मुकदमे जाते हैं। उसके बाद अपीलें सी0ओ0 लेविल पर होती हैं। ज्यादातर सी0 ओ0 जिला हेडक्वार्टर पर मुकदमे करते हैं। ऐसी हालत में काश्तकारों को बड़ी परेशानी होती है। आने-जाने का व्यय भी करना पड़ता है। पेशी बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत देना पड़ता है। इस तरह आदेश होने चाहिए मैं समझता हूं कि सी0 ओ0 और ए0सी0ओ0 मौके पर जाकर मुकदमात का फैसला करें।

एक बात और, जोत-बही जारी की गयी है। कहीं-कहीं नहीं जारी हुई है। मन्त्री जी जोत-बही जारी करवायें। उनकी मान्यता अदालत में भी हो। जोत-बही इसी मकसद से बनाई गयी थी कि इन्तखाब लेने की परेशानी काश्तकार को न उठानी पड़े। उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि, चाहे एम0एल0ए0 या लोक सभा के सदस्य या गजटेड अफसर हों, उनसे प्रमाणित हो, उसकी अदालत में मान्यता हो। इस तरफ मन्त्री जी का ध्यान जाना चाहिए।

मान्यवर, एक मौजा सैदपुर पल्ला तहसील में मुरादाबाद में है जहाँ पर कुछ रामगंगा से कटाई हुई। उनको दूसरी जगह दे दें ताकि गाँव वाले उस जगह आबाद हो जायं। इसको भी मन्त्री जी देखें।

1977–78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या 1109 7––भू-राजस्व, अनुदान संख्या 40––दैवी आपदाओं के कारण सहायता तथा अनुदान संख्या 78––जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर

मैं बहुत शुक्रगुजार हूं पूरे हाउस का, नीति के ऊपर सभी सदस्यों ने मेरा समर्थन किया है और जिस तरह से भाषण भी हुए, मैं कटौती के प्रस्ताव पर पुनः जोर देता हूं।

*श्री शारदा भक्त सिंह––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जगन्नाथ प्रसाद जी और अन्य माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने अपने विचार और सुझाव इस सम्बन्ध में दिए।

पहली बात जिस पर कई माननीय सदस्यों ने बात कही है, जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में सवा छः एकड़ तक भूमि को लगान से मुक्त करने की बात कही गयी है। लेकिन इस वर्ष केवल 3 सही एक बटा आठ एकड़ पर ही लगान माफ किया गया है। उनको शिकायत करने के स्थान पर जनता पार्टी को बधाई देना चाहिए कि हमने ऐसी शुरुआत की। आपको पता है कि इस साल जो हमारी वित्तीय स्थिति है, कांग्रेस के लोगों ने जब शासन छोड़ा, तब 110 करोड़ रुपए का ओवर-ड्राफ्ट करके चले गए, शायद यह समझ कर कि वह शासन छोड़ रहे हैं इसलिए वित्तीय कठिनाई पैदा की जाय। वह सारी वित्तीय कठिनाई होने पर भी हम लोगों ने अपनी घोषणा के अनुसार यह आवश्यक समझा कि जो शुभ काम करना है उसे जल्दी प्रारम्भ कर दिया जाय। इससे मतलब यह नहीं कि हम आगे घोषणा-पत्र में किया हुआ वादा पूरा नहीं करना चाहते। यह तो केवल शुरुआत है। हम अपने वादों पर निश्चित रूप से दृढ़ संकल्प हैं।

दूसरी बात जो माननीय सदस्यों ने कही और खासकर माननीय जगन्नाथ प्रसाद जी ने कि मालगुजारी की वसूली में कड़ाई होती है और अत्याचार किया जाता है। मैंने विभाग में आते ही यह निश्चय किया कि चूंकि इस समय कोई फसल नहीं थी और शिकायतें आ रही थीं कि वसूली में कड़ाई बरती जा रही है। मैंने पहली अक्तूबर, 1977 तक सारी मालगुजारी और अन्य देय जो थे उन पर उत्पीड़न कार्यवाही नहीं की जायेगी, मैंने आदेश दे दिया है। मैं जानता हूं कि जिनको लगान या अन्य देय देने होते हैं छोटे-छोटे धन पर उनके बैल इत्यादि खोल लिए जाते हैं। यह अनुचित है और इसके सख्त आदेश दे दिए गए हैं। कैटिल प्रोटेक्शन ऐक्ट में उसी को जुर्माना देना चाहिए जिसके जानवरों ने खेत को नुकसान पहुंचाया हो अगर अमीन बाड़ में जानवरों को बन्द करता है तो उसे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। ऐसे आदेश दे दिए गए हैं कि इस तरह की कार्यवाही न की जाए। पिछले समय में छोटे-छोटे लोगों से लगान वसूल कर लिया गया और कड़ाई के साथ वसूल किया जायगा लेकिन जो बड़े लोग हैं उन पर 10–10 और 15–15 साल से बकाया पड़ा हुआ है और उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। यह अनुचित ढंग था। स्थान-स्थान पर इस तरह की शिकायतें थीं। जो लोग सम्पन्न थे उन पर इस तरह की कार्यवाही नहीं हुई। मैंने सोचा है, मान्यवर, जहाँ पर 4 हजार से अधिक धन बकाया है और हम इस ओर आदेश देना चाहते हैं कि उन पर कड़ाई से कार्यवाही की जाए। जो बड़े हैं उन पर पहले और जो गरीब हैं उन पर बाद में कार्यवाही की जाये।

तीसरी बात एक यह भी कही गयी कि जिन लोगों ने गाँव सभा की जमीन जोत ली थी और उन पर जुर्माना किया गया था, तो उन लोगों से जुर्माना वसूल करना जो 115-डी के अन्तर्गत बाकी था उसकी वसूली स्थगित कर दी गयी है और हम विचार कर रहे हैं कि उसको हम किस तरह से मुक्त कर सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) --

माननीय मन्त्री जी मैं एक जानकारी चाहता हूं कि जहाँ तक बड़े लोगों से और छोटे लोगों से वसूली का सवाल है मैं अपनी तहसील की बात बताता हूं कि जो कृषि के लिए उपयोगी बैल हैं उनको राजस्व में कुर्की नहीं किया जा सकता है। यह नियम है लेकिन इसके विपरीत 2800 बैल कुर्की कर लिए गए इसका रिकार्ड काँजी हाउस में है। तहसीलदार ने सूचना दी कि हमने दो बैलों की कुर्की किया था तो इस तरह से गरीब लोगों का शोषण हो रहा है तो आप प्रभावी कदम इस ओर उठावेंगे।

श्री शारदा भक्त सिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक बात माननीय सदस्यों ने कही कि पाँच एकड़ से अधिक भूमि जहाँ अतिरिक्त भूमि के रूप में मिली है, उसको हमने इसलिए रोक रखा क्योंकि कृषि विभाग से बराबर यह माँग आ रही है कि भूमि का परीक्षण किया जाये जिससे हम हर क्षेत्र के किसानों को अच्छे बीज दे सकें। अब अगर इस भूमि को हम आवंटित कर दें तो कृषि विभाग की आवश्यकताओं को देखते हुए अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करने का प्रयास करना होगा।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---

मैं माननीय मन्त्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि कुछ जमीन सीलिंग की निकली हुई थी, उसका बैनामा होने पर काश्तकार ने रुपया भी दिया और आज उसकी चकबन्दी भी हो गई है और चकबन्दी होने के बाद भी उनके पट्टों को निरस्त किया जा रहा है, उन्हें नोटिस दी जा रही है, परेशान किया जा रहा है, तो यह किस नियम के अनुसार हो रहा है?

श्री शारदा भक्त सिंह---

अधिष्ठाता महोदय, इसके अतिरिक्त एक सवाल जो दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने उठाया कि बड़ी-बड़ी जोतों जो विशेष व्यक्तियों के पास अब भी हैं, उस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है और यह भी कहा कि इस पक्ष में भी और उस पक्ष के लोगों में कुछ के पास भी ऐसी जमीनें हैं, इसके लिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सीलिंग के कानूनी हिसाब से अधिक जमीन जिसके पास है चाहे किसी भी पार्टी का वह सदस्य हो, उसको लेने के लिए मंगलदेव विशारद समिति की रिपोर्ट में जो बातें कही गयी और जितनी जोतों का जिक्र है, उनके अतिरिक्त भूमि को प्राप्त करने के लिए उन सबके ऊपर कार्यवाही आरम्भ हो गयी है। यह बात जरूर है कि कुछ मुकदमें न्यायालयों में भी चल रहे हैं। उनमें हम पैरवी करके जल्दी करना चाहते हैं लेकिन एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जनता पार्टी की नीति है; पिछली काँग्रेस सरकार ने कहा तो बहुत कुछ लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। जो बड़ी-बड़ी जोतों वाले हैं, जब उनका जिक्र किया जाता है तो एकदम खड़े हो जाते हैं जिस समय हमने कोई बात कह दी तो वे बड़े क्षेत्र में आ जाते हैं। अगर आपकी पार्टी में किसी के पास अधिक भूमि है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्वयं उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आपने चुराई है और उनका यहां जिक्र होता है और उनका नाम लिया जाता है तो बड़ा क्षोभ होता है। मैं समझता हूं कि कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, उतनी ही अशोभनीय बात होगी अगर वह कानून के विरुद्ध ऐसी बड़ी जोतें रखता है। मैं केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार सजग है। हम अपने संकल्प को

दोहराते हैं चाहे हमें कानून में कोई परिवर्तन करना पड़े, जो लोग बड़ी-बड़ी जोत रखे हुए हैं, हमें उनको उनसे छुड़ाना है, और छोटे-छोटे किसानों को हमें वह भूमि देनी है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं वह यह है कि दैवी आपदा के समय बाढ़ या सूखे के समय जो सहायता सरकार देती है, उसके सम्बन्ध में नियम बड़े पुराने हैं 30 या 60 रुपए से अधिक नहीं दे सकते। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में नियमों में परिवर्तन कर दिए गए हैं। अगर किसी का कच्चा घर गिर जाता है तो तीन सौ रुपया और अगर पक्का घर गिर जाता है तो 4 सौ रुपया देने का संकल्प किया गया है। चकबन्दी के सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह लोग जो काम करते हैं, उनको उन्नति के मौके नहीं मिल पाते। मैं माननीय सदस्यों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि चकबन्दी विभाग में इस समय 16,000 कर्मचारी हैं जिनमें से 10,500 लोगों को स्थायी किया जा चुका है और यह भी निश्चय किया जा चुका है कि उनको पेंशन दी जायगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)––

मान्यवर, सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता––

मैंने 15 मिनट का समय स्वयं बढ़ा दिया है।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)––

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सुन्दर सिंह मजीठिया आदि बड़े-बड़े जो हजारों लोग हैं, क्या उनके फार्मों को अधिग्रहण करने की सरकार कोई कार्यवाही करेगी?

श्री शारदा भक्त सिंह––

एक-एक व्यक्ति चाहे वह कोई भी हो, अगर उसके पास कानूनन भूमि अधिक है तो उसको हम लेंगे, उसको लेने का प्रयत्न किया जायगा। किसी को छोड़ा नहीं जायगा।

जहां तक सूखा और बाढ़ का सम्बन्ध है, इनसे प्रभावित होने वाले व्यक्ति को जिसकी भूमि 3 एकड़ से कम है उनको बीज और निःशुल्क उर्वरक देंगे। इसके अतिरिक्त जिनकी एक एकड़ से अधिक है उनको अल्पकालीन तकावी देंगे ताकि सुचारु रूप से बुआई कर सकें और भूमि में उत्पादन में कोई कमी न आए।

आठ फीसदी जो भूमि आरक्षित की गयी है, वह समाप्त हो गयी है। यह भूमि 3 प्रकार की थी। जो भूमि सार्वजनिक कार्य के लिए है अगर उसके पट्टे हो गए हैं या सार्वजनिक उपयोग की भूमि या चकबन्दी में सार्वजनिक उपयोग के लिए दिखाया गया है, इन तीन प्रकार की भूमि के पट्टे निरस्त कर दिए जायेंगे। यह कांग्रेस शासन में पहले 8 प्रतिशत जो आरक्षित थे, वे समाप्त कर दिए गए हैं, जो भी कठिनाई हो, आप जानते हैं।

चकबन्दी में कुछ विलम्ब हो रहा है। हमारे यहां पर डी० डी० सी० की कमी थी, हम उन्हें स्थान-स्थान पर नियुक्त नहीं कर पाए। उनकी नियुक्ति में कुछ कठिनाई थी,

[श्री शारदा भक्त सिंह]

वह हल हो गयी है। अब उनकी नियुक्ति हो जायगी और इसलिए जो रिवीजन्स के केसेज पड़े हुए हैं, उनका निस्तारण शीघ्र हो जायगा।

जहां तक चकबन्दी का सवाल है, हमने आदेश दिए हैं कि डी0 डी0 सी0 केवल वादों का ही निस्तारण नहीं करेंगे बल्कि अगर किसी क्षेत्र से शिकायत आती है या तो वहां पर जाकर वहां के लोगों के काम का मूल्यांकन करेंगे और उनको कड़ाई के साथ देखेंगे ताकि लोगों को असन्तोष न हो।

जब इस प्रकार की शिकायतों की जांच होगी तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं कम हो जायेंगी और जो शिकायतें हो रही हैं, वे भी कम हो जायेंगी। जहां तक शिकायतों का सम्बन्ध है हम अपने अधिकारियों को भेज कर जांच करायेंगे ताकि असन्तोष कम हो सके।

जहां तक बोर्ड आफ रेवेन्यु के बारे में कहा गया कि प्राक्कलन समिति ने यह संस्तुति की थी कि इसको भंग कर दिया जाय लेकिन कांग्रेस शासन ने इस पर विचार करके निर्णय लिया था कि बोर्ड आफ़ रेवेन्यू को भंग नहीं करना है।

अन्त में मैं माननीय सदस्यों से यह अपील करना चाहता हूं कि दूसरे जो प्रश्न उठाए गए हैं कि छोटे-छोटे जो काश्तकार हैं, उनकी जमीन आरक्षित नहीं है, उनमें हस्तक्षेप हो रहा है मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जनता सरकार इसके प्रति पूरी सजग है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं एक मिनट में। "यह किताब है राजस्व विभाग का कार्य-विवरण"। इसमें लिखा है कि "जुलाई, 1976 से मालगुजारी की दरों का अभिनवीकरण किया गया था और मालगुजारी की दरों में व्याप्त विषमताओं को समाप्त करके नई दरें भूमि के सिंचित या असिंचित होने पर निर्धारित कर दी गयीं।" तो मान्यवर, 28 अप्रैल को दूसरा अध्यादेश हुआ और उसके अन्दर इस कारण जिनका सारा लगान खत्म कर दिया गया था उन पर पूर्ववत् फिर से . .

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठ जाइए।

श्री चेतराम गंगवार—

यह बता दें कि विकास की दर क्या थी और लगान की दर क्या थी ?

(इस समय 5 बजकर 8 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

प्रदेश का दो एकड़ माना गया है. . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, चेतराम जी कुछ स्पष्टीकरण चाहते थे, मुझे अफसोस हुआ। उन्हें तो हमारे साथ काम करने का अवसर मिल चुका है, अब वह उधर हैं। तो-

उन्हें इधर का भी मालूम है, उधर का भी हाल जानते हैं, फिर भी स्पष्टीकरण चाहते हैं ? इधर जब थे तो कुछ समझते थे, उधर चले गए तो कुछ समझ में नहीं आता, यही कठिनाई है ।

मैं यह कहना चाहता था कि यह जो छोटे काश्तकारों के कब्जे का सवाल किया गया, मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां तक जनता सरकार का प्रश्न है, हम सभी निर्बल वर्ग के जितने लोग हैं उन्हें आश्वासन देते हैं कि हम उनको कब्जा दिलाना चाहते हैं। कब्जा नहीं मिलेगा तो दिलाना चाहते हैं, हस्तक्षेप करना चाहते हैं और कड़ी से कड़ी कार्यवाही और दण्ड देने के लिए तैयार हैं। एक बात जरूर है कि हम जिस सन्दर्भ में कार्य कर रहे हैं, हम लोकतन्त्र में विश्वास करते हैं, इसलिए कानून के अन्दर चलना चाहते हैं। शायद कल जब आपात स्थिति थी तो कम्युनिस्ट पार्टी भी कांग्रेस के साथ थी और उस वक्त वह लोकतन्त्र की अहमियत को नहीं समझी और लोकतन्त्र के विरोधी बन कर काम किया। आज जब हम लोकतंत्रीय पद्धति का पालन कर रहे हैं, सब प्रतिबन्ध हटा चुके हैं तब भी वे लोकतन्त्र को खतरा बता रहे हैं। ऐसा करने के पीछे आपका उद्देश्य कोई हो, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि पिछले समय जो कांग्रेस से मिलकर आपके द्वारा तानाशाही हुई और काश्तकार वर्ग और खेतिहर मजदूर में विद्वेष और वर्ग संघर्ष को पैदा करने का आपने प्रयत्न किया, यदि भविष्य में भी ऐसा ही हुआ और आपने पुनः लोकतन्त्र के लिए कठिनाई पैदा करने की चेष्टा की तो इसे भूलिए मत आने वाली सन्तति आपको कभी अच्छा नहीं कहेगी। आज देश की मांग है। हमने 1942 का आपका इतिहास देखा है। आपकी पार्टी का पिछला इतिहास कुछ बहुत सुन्दर नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप उसे उज्वल बनाएं और ऐसे काम करें जिससे देश को शान्ति मिले और लोकतन्त्र की स्थापना में सहायता मिले। मैं समझता हूं कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि पिछले दिनों में देश को तानाशाही मे ले जाकर उसका क्या भला हुआ है और आपका साथ रहने से उसे क्या परिणाम भोगने पड़े और अब फिर यदि आपको साथ चलने देते हैं तो भगवान उनका सहारा है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। बोर्ड आफ रेवेन्यू को भंग करने के बारे में आपकी सरकार की क्या नीति है, क्या इसका स्पष्टीकरण देंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, बोर्ड आफ रेवेन्यू के मामले पर अभी हमने पूरी तरह विचार नहीं किया है इसलिए इस बारे में कोई नीति नहीं बता सकते।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

व्यवस्था चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था कुछ नहीं है, आप बैठ जाइए।

श्री मन्जूर अहमद--

मैं आपसे सिर्फ व्यवस्था चाह रहा हूं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं। अभी यह सूचना मिली है कि दस लोग कानपुर में मर गये। वहाँ भी शिया-सुन्नी का झगड़ा हो गया। माननीय मुख्य मन्त्री जी से इस पर वक्तव्य दिलवाये।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग अभी बजट पास होने दीजिए, उसके बाद इस पर होगा। माननीय जगन्नाथ प्रसाद जी आप अपनी कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं या नहीं ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

दो स्पष्टीकरण चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

अब कोई स्पष्टीकरण नहीं। आपने अपनी बात कह दी। आप वापस लेते हैं या नहीं ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

एक तो मालगुजारी के बारे में और दूसरे 5 एकड़ से ऊपर जो भूमि है...

श्री अध्यक्ष--

जगन्नाथ प्रसाद जी, आप दो बार बोल चुके हैं।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

मैं वापस नहीं लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7--भू-राजस्व--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7--भू-राजस्व के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,37,32,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40--दैवी आपदाओं के कारण सहायता--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40--दैवी आपदाओं के कारण सहायता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 90,85,200 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78—जमीन्दारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78—जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,71,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत मैंने श्री सोहन वीर सिंह तोमर के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। इसी सम्बन्ध में श्री रविन्दर जी का भी है। वह इस प्रकार है कि प्रदेश में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा 25 सितम्बर से चाक डाउन हड़ताल करने से समस्त राजकीय विद्यालयों में पढ़ाई का कार्य बन्द होने तथा हाई स्कूल एवं इण्टर के व्यक्तिगत छात्रों के फार्मों को अग्रसारित न करने से छात्रों में गम्भीर रोष। मैंने इसको स्वीकृत किया है। माननीय शिक्षा मन्त्री इस पर वक्तव्य देंगे। तारीख बाद में निश्चित की जायगी।

सदन के कार्य-क्रम में परिवर्तन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

कल भी माननीय सदस्यों ने लखनऊ में जो दुखद घटना घटी और जिसमें कई व्यक्ति मारे गए और बहुत से घायल हुए इसके सम्बन्ध में अपनी व्यथा प्रकट की थी। और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी वक्तव्य दिया था। कानपुर में भी वहाँ पर झगड़े की सूचना मिली है और वहाँ पर भी इस बात की खबर आई है कि कुछ व्यक्ति मारे गए हैं। मैंने आज ही मुख्य मन्त्री जी से परामर्श किया था, कानपुर के सम्बन्ध में भी उन्होंने सूचना प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त क्योंकि प्रदेश में इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि रक्त न बहे और साम्प्रदायिक एकता स्थापित हो और माननीय सदन के सभी सदस्य मिल कर इसमें सहयोग करें। इसलिए यह आज निश्चय किया गया कि उचित होगा कि हम सबसे अधिक प्राथमिकता केवल अपनी एकता स्थापित करने के कार्य को दें और सारा कार्य हम थोड़ा स्थगित कर दें। इसलिए यह भी उचित समझा गया कि सदन को आज ही स्थगित करके हम फिर 4 तारीख को यहाँ पर मिलें और इस बीच में सदन के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में जाकर इस बात का प्रयास करें कि फिर से एकता स्थापित हो और आज मुख्य मन्त्री जी इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें कि यहाँ पर घटनाएं क्या घटीं और साथ ही इस बात के लिए आज प्रयास किया जाय, सब लोग मिल कर, प्रदेश की जनता से अपील करें...

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

सदन की छुट्टी काहे को, मुख्य मन्त्री की छुट्टी कर दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

यह अत्यन्त आपत्तिजनक है, मैं बोल रहा हूं। सदन में आप इतने पुराने सदस्य हैं आप लोग खामोश रहिए, आप मंत्री परिषद् में भी रहे हैं, आप साधारण शिष्टता नहीं जानते, आप नियम नहीं जानते जबकि अध्यक्ष बोल रहा हो, आपको शान्त रहना चाहिए। मैं नित्य आपको देखता हूं कि जब कोई सदस्य बोलता है, आप बीच में व्यवधान कर देते हैं। यह आपका आचरण अत्यन्त शिष्टता के विरुद्ध है, नियम विरुद्ध है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके नेता, श्री नारायण दत्त तिवारी जी से परामर्श किया जा चुका है, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता से परामर्श किया जा चुका है। अनुशासन कैसे रहता है, इसका भी थोड़ा ज्ञान आपको होना चाहिए। यह प्रश्न उठाने से पहले आपको अपने नेता से पूछना चाहिए।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का कार्य 30, पहली, दूसरी और तीसरी के लिए स्थगित कर दिया जाय। 4 तारीख को पुनः सदन की बैठक हो और 4 तारीख को नियत कार्य उस दिन लिया जाय। अन्य कार्य 4 तारीख की कार्य-मन्त्रणा समिति में निश्चित किये जायं ।

मुस्लिम वक्फ उपमन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)--

मान्यवर, मेरी एक बात सुन लें। मान्यवर, मैं प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप बोलिए ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

मान्यवर, इस वक्त यह माननीय सदन सेशन में है और सेशन में रहते हुए यह जानते हुए कि प्रदेश के पूरे प्रतिनिधि लखनऊ में जमा हैं मन्त्री जमा हैं, सदन के माननीय सदस्य जमा हैं, इसके बावजूद पुराने लखनऊ में पुलिस की ज्यादतियाँ अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गयी हैं। मान्यवर, अगर चार दिन का मौका दिया गया और चार दिन सदन नहीं चला तो मैं अर्ज करता हूं कि पुराने लखनऊ में और कानपुर में पुलिस क्या कर बैठे ? यह हुआ तो फिर किसी किस्म का चेक नहीं होगा पुलिस के ऊपर। आप देखिए रात भर हम लोग पहरा देते रहे पुराने लखनऊ में कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस वक्त से वहाँ जन-प्रतिनिधि मौजूद नहीं है उस वक्त से वहाँ से खबरें आनी शुरू हो गयीं ? इसलिए जब जन-प्रतिनिधि नहीं होंगे तो क्या हाल होगा ? मुख्य मन्त्री जी इस सदन के माध्यम से पुलिस और शासन को आगाह कर चुके हैं। लेकिन बराबर पुलिस की ज्यादतियाँ हो रही हैं ।

(शोर)

जो सदन का मत होगा वह अपने हिसाब से होगा लेकिन मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं अब यह प्रस्ताव रख रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि सदन की बैठक दिनांक 30 सितम्बर से लेकर 3 अक्तूबर तक न हो। 4 अक्तूबर को अनुदान का कार्यक्रम यथावत रहने दिया जाय। दिनांक 30 सितम्बर, एक व तीसरे अक्तूबर को निर्धारित अनुदान के कार्यक्रम को बाद में कार्य-परामर्श दात्री समिति द्वारा तय किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शिया–सुन्नी के झगड़े से सम्बन्धित मुख्य मन्त्री का वक्तव्य

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

मैंने एक सूचना आपको कानपुर की दी है। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि 6 आदमियों की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस की गोलियों से मर चुके हैं। मुख्य मन्त्री जी इस पर भी बयान दें।

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मन्त्री जी इस सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे।

*मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

अध्यक्ष महोदय, कल सदन में लखनऊ की घटनाओं के बारे में काफी चर्चा हाउस में हुई थी। और उसके फलस्वरूप जैसा कि मैंने माननीय नेता विरोधी दल से और सम्मानित सदस्यों से निवेदन किया था कि वे पोजीशन की जानकारी के लिए किसी भी समय लखनऊ की घटनाओं को जाकर अपनी आँखों से देखें और तब इस बात का पता चलेगा कि किस प्रकार से स्थिति को अतिरंजित करके यहाँ पर बताया गया और इतना ही नहीं, शाम को और रात को हमारे मन्त्रिगण कई लोग, जिसमें मालवीय जी, मसूद साहब, अब्दुल रऊफ लारी और भी हमारे कई मिनिस्टर और उनके साथ-साथ यहाँ पर बैठे हुए हमारे सहयोगी बहुत से विधायकगण भी रात को इस सिलसिले में लगे रहे। इसलिए ताकि लखनऊ की जनता को और हम सबको इस बात का आभास हो सके कि जनता पार्टी की सरकार किसी भी कीमत पर शान्ति व्यवस्था बनाए रखना चाहती है। इसमें किसी तरह से रोड़े अटकने नहीं चाहिए। तो सेक्टर बंटे हुए थे। उन सेक्टरों में, मिनिस्टर लोग, बैठे हुए सम्मानित विधायकगण, जिन लोगों ने अपने भावोद्गार व्यक्त किए थे, उन लोगों ने भी काफी परिश्रम किया, मेहनत किया, स्थान-स्थान पर घूमे और लोगों को देखते रहे।

उसके साथ ही साथ वह लोग अस्पतालों में भी गए। वहाँ भी लोगों की हालत को देखा। उन्होंने जो रिपोर्ट दिया और हमने भी आज नगर में चारों ओर जिन स्थानों की चर्चा हो रही थी वहाँ अपने साथियों के साथ गए और देखा। यह जरूर है कि जिस तरह की चर्चा तिवारी जी ने अपने पत्र में लिखी है और जिसमें वक्तव्य की माँग की है उसमें यह सही है कि जितनी घटनाएं बताई वहाँ मैंने देखा कि बोतलों और पत्थरों के टुकड़े भरे पड़े हैं। यह भी है कि जहाँ-जहाँ स्थान रोके गए थे वहाँ ड्रम आज भी मौजूद हैं। ऐसे स्थान भी मिले जहाँ पर कि सड़कों और मार्गों को एक विशेष सम्प्रदाय द्वारा रोके जाने की कोशिश की गयी। मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहता हूं चूंकि मैं जानता हूं कि हम सबको तकलीफ है। उसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं है। मैं यह भी जानता हूं कि जो चीजें, जो चर्चा यहाँ होगी उसका असर दूसरी जगहों पर भी पड़ेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम नरेश यादव]

मान्यवर, हमारे एक माननीय सदस्य ने कानपुर की चर्चा की बात उठायी और उन्होंने जानने की कोशिश किया। एक अखबार सियासत में छपा था, और भी अखबारों में इस तरह की चीजें आयीं। उसको देखकर दोनों सम्प्रदायों के लोगों का इस तरफ ध्यान जाना स्वाभाविक था। जिससे उत्तेजना फैली। मस्जिद में लोग इकट्ठा हुए। प्रशासन ने वहाँ सजग होकर काम लिया और इसलिए वहाँ पुलिस तथा अधिकारी पहुंचे। दूसरी जगह पर भीड़ जमा हुई लेकिन वहाँ इतनी अधिक संख्या में जमा हुए कि एक दूसरा दल जो था उसने उत्तजना फैलाई और जिससे पुलिस की फायरिंग हुई और जिससे लोगों को चोटें आयीं। वहाँ पुलिस, डी0आई0जी0,एस0पी0 और जिला मैजिस्ट्रेट पहुंचे। वहाँ जो फायरिंग हुई उसमें तीन व्यक्ति मरे और 4 घायल हुए जो अस्पताल में हैं। इसलिए ऐसी स्थिति को देखते हुए हम और आप सभी माननीय सदस्य जिस भावना को प्रकट कर रहे हैं और यह चाहते हैं कि देश और प्रदेश में शान्ति व्यवस्था कायम रहे उसके लिए हम सबका परम कर्तव्य है कि किसी भी तरह की जो शक्तियाँ बाहर रहकर इसको फैलाना चाहती हैं, और अशान्ति का वातावरण प्रदेश में फैलाने पर उतारू हैं, उन पर नियन्त्रण पाना है। इसके लिए हम सब लोग अपने-अपने क्षेत्र में जाकर देखें। जिम्मेदारी उन लोगों की भी है। आप सभी लोगों से अपील है कि अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे अराजक तत्वों से सावधान रहने की जनता से अपील करें और कहीं पर यदि अराजकता का वातावरण जो शक्तियाँ पैदा करना चाहती हैं और पैदा करके पूरे प्रदेश को ज्वाला में डाल देना चाहती हैं उससे जनता को सावधान करें। इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा कि सभी भेद-भावों और दलगत भावनाओं को भूलकर प्रदेश की शान्ति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें जिससे हम सब लोग शान्ति से रह सकें। क्योंकि प्रशासन के आधार पर यह चीज नहीं हो सकती है जब तक कि हमारे और आपके दिलों में परिवर्तन नहीं आता है। हमारी सारी शक्तियाँ उस दिशा में लगनी चाहिए। इसलिए मैं सबसे चाहूंगा कि 4 दिन के लिए जो सदन स्थगित होने जा रहा है उसमें अपने-अपने क्षेत्रों में सभी लोग जायेंगे और जाकर जनता से अपील करेंगे। मेरी भी पूरे प्रदेश की जनता से अपील है कि किसी भी तरह उन तत्वों को न पनपने दें क्योंकि सारी शक्तियाँ जो उपद्रव करना चाहती हैं उनका मुकाबला करना है। यह मुकाबला तभी हो सकता है जबकि सब लोग अपने-अपने क्षेत्रों में जनता से अपील करें और अपील इस नाम पर करें कि शान्ति व्यवस्था में बाधा न पहुंचाएं। मुझे विश्वास है कि सदन के माननीय सदस्य इसमें सक्षम हैं और किसी भी तरह से शान्ति व्यवस्था को बनाए रखने में बाधक नहीं बनेंगे बल्कि सहयोगी बनेंगे और अपनी भावनाओं को देखते हुए अपने क्षेत्रों में इस काम को उत्साह से पूरा करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय नेता विरोधी दल के और हमारे और भी विपक्ष दलों के नेताओं की भावना इस तरह की है। इसलिए सभी लोग जनता से अपील करेंगे कि प्रदेश में शान्तिपूर्ण स्थिति आनी चाहिए।

श्री बाबू बदरे--

अध्यक्ष जी, कानपुर के मामले में कोई सफाई से बात नहीं आई। अगर अखबार की वजह से उत्तेजना फैली है तो सफाई से बतलाए। जुलूस निकालने की वजह से यह चीज फैली है जनता पार्टी बनाने में मुसलमानों ने अपना खून-पसीना दिया तो क्या जनता पार्टी हमारे खून से खेलना चाहती है ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें ।

(व्यवधान)

श्री बाबू बदरे--

मेरे दिल में दर्द है ।

श्री राम नरेश यादव--

मैं इस सदन के माध्यम से अराजक तत्वों को चेतावनी देना चाहता हूं कि चाहे लखनऊ हो या कानपुर हो या और कोई जगह हो, अगर कोई द्वेष की भावना पैदा करने की कोशिश करेगा तो शासन उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और शासन उससे दृढ़ता के साथ निपटेगा। जो आपके पन में अरमान है कि लोगों का खून सड़कों पर गिरे तो हमारी जनता पार्टी की सरकार इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती । मैं आपसे अपील करता हूं कि जिस भावना से यह सवाल सदन में उठाया है उस भावना से खिलवाड़ न करें। हम प्रयास करें कि शान्ति स्थापित हो और हम और आप और परिवार के लोग स्वच्छंद रूप से सड़कों पर विचर सकें ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन् हृदय भरा हुआ है और आज जो हमारे प्रदेश में साम्प्रदायिक स्थिति बिगड़ती जा रही है उसकी कल्पना से हम सभी चिन्तित हैं। इस स्थिति के बिगड़ने की और सम्भावना है यदि हम सभी ने प्रयास न किया। शासन तो सफल अपने को नहीं कह सकता। लेकिन अगर जनता ने, राजनीतिक दलों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रयास न किया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। कानपुर नगर गणेश शंकर विद्यार्थी का नगर है जहाँ पर अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी ने साम्प्रदायिकता को मिटाने के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। आज उसी कानपुर नगर में पुनः छल, साम्प्रदायिकता का ताण्डव हो रहा है। सभी सदस्य चिन्तित हैं कि उनके क्षेत्र में जहाँ कहीं ऐसी सम्भावना हो सकती है वहाँ कैसे शान्ति स्थापित हो। जब कानपुर में ऐसा हुआ तो और जगह भी हो सकता है। काँग्रेस दल जिसनें हमेशा साम्प्रदायिकता का विरोध किया और हमारे महान् बापू श्रीमन् जिनके चित्र से हम प्रेरणा लेते हैं और जो स्वयं साम्प्रदायिकता से लड़ते हुए गोली के शिकार हो गए, हम चाहते हैं कि देश और प्रदेश में साम्प्रदायिकता न पनपे। इसमें हमारा दल अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए प्रस्तुत है। इसलिए हम इस प्रश्न को केवल सरकार का प्रश्न नहीं मानते। सरकार तो इसमें असफल रही है और मुझे विश्वास नहीं होता कि अगर सरकार केवल सरकारी ढंग से चली तो यह कुछ नहीं कर सकेगी। श्रीमन्, इनकी असफलता तो आपने देखी ही। जिम्मेदारी उनकी है। सन् 1974 के एग्रीमेंट को तोड़कर एक नई परम्परा डाली. . . . . (व्यवधान)

उस जिम्मेदारी में उन्होंने एक गलती कर दी, बलण्डर कर दी, एक हिमालय जैसी भूल कर डाली। उसको प्रायश्चित कम से कम तो करना ही होगा। किसी न किसी को इस्तीफा देना होगा। मन्त्री जिम्मेदार होंगे। वह एक राजनीतिक बात है। हम अपनी मांग पर दृढ़ रहेंगे । जिसने इस नीति को बदला है वह कोई मन्त्री हो, गृह मन्त्री हो, कोई हो,

---

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

मैं मुख्य मन्त्री जी से फिर कहना चाहूंगा कि इस बात को देखें कि राजनीतिक जिम्मेदारी किसकी है और प्रदेश की जनता को इस बात में सन्तोष होना चाहिए। केवल सेक्रेटरी, डी0 एम0 या एस0पी0 या अदालती जांच से काम होने वाला नहीं है। इसमें राजनीतिक जिम्मेदारी फिक्स करनी होगी, पोलिटिकल रेस्पोनस्बिलटी फिक्स करनी होगी और उनको त्याग-पत्र देना होगा।

मुख्य मन्त्री जी इस बात को देखें नहीं तो मुख्य मन्त्री पर यह स्वयं जिम्मेदारी आ सकती है। लेकिन हम राजनीति से परे इस बात को देखना चाहते हैं कि इस प्रदेश में शान्ति रहे और यह न कहा जाय कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बन्शी बजा रहा था। यहां यह हमें नहीं देखना चाहिए। समाज के प्रतिनिधि हैं, यहां पर चुन कर आए हैं। यहां काम-रोको प्रस्ताव और बहस करते रहे और वहां हमारे क्षेत्रों में, हमारे निर्वाचन क्षेत्रों में आग लगती रहे, साम्प्रदायिकता का जहर फैलता रहे। इसलिए काम-रोको प्रस्ताव का मतलब यही होता है, श्रीमन्, कि काम रोको ताकि हम कार्य कर सकें। चार दिन के लिए काम रुका। मैं समझता हूं विरोधी दल के दृष्टिकोण से देखें। चार दिन के लिए काम रोको प्रस्ताव स्वीकार हुआ इसलिए नहीं कि हम सरकार को दण्डित करें बल्कि हम सब लोग जा कर वहां लौटें, इसलिए कि हम सब वहां जाकर साम्प्रदायिकता को रोकें, साम्प्रदायिकता को रोकना चाहिए, इसलिए काम रुका। बुरे काम के लिए नहीं रुका है और मैं बधाई देता हूं मुख्य मन्त्री जी को कि सदन स्थगित किया गया है... (व्यवधान)

मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि हमारे नौजवान साथी न समझें उनको भी बता रहा हूं, पार्लियामेंट्री ढंग से समझा रहा हूं.....तो श्रीमन् अब हमारे सामने जिम्मेदारी क्या है। एक तरफ तो हम लोग अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जायं और शान्ति व्यवस्था कायम करने की चेष्टा हो। शान्ति समिति बने। मैं मुख्य मन्त्री जी से सहमत हूं कि इस समय प्रदेश आगे है। हमारे राजनीतिक विवाद बाद में हों। त्याग-पत्र तो किसी को देना ही होगा। लेकिन वह बाद की बात है। इस समय आग बुझानी चाहिए...

श्री अध्यक्ष—

त्याग-पत्र की मांग भी बाद में ही करना...

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आग बुझानी चाहिए। अभी-अभी मेरे पास प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा, श्रीमती मोहसिना किदवाई का पत्र आया है कि उन्हें तक लखनऊ में जाने का पास नहीं दिया जा रहा है। वहां पीस कमेटी के लोग जाना चाहते हैं। जो भी पीस-कमेटी के जिम्मेदार लोग हों, चाहे वे कांग्रेस के हों, चाहे जनता पार्टी के हों, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के हों, किसी पार्टी के हों, उनको पास मिलना चाहिए शान्ति व्यवस्था के लिए। इसलिए आज इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए। अब यहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को भी पास नहीं दिया गया। श्री त्रिलोकी सिंह जी, जो शान्ति कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनका और कम से कम पांच-छ, दस लोगों का विश्वास होना चाहिए। मैं मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि अपने अनुभव के आधार

पर कि अकेले सरकारी मशीनरी के बल पर, अकेले पुलिस और पी0ए0सी0 के बल पर अगर आप चाहें कि शान्ति हो जायगी, नहीं हो सकती। आप को सामाजिक, राजनीतिक विश्वास प्राप्त करना होगा, जो धार्मिक नेता हैं उनका भी सहयोग लेना होगा। आल पार्टी मीटिंग, कल जैसा आपने कहा था, करनी होगी, राउण्ड टेबिल कांफ्रेंस करनी होगी और उन से अपील करनी होगी। यदि पुलिस और पी0ए0सी0 तक छोड़ देंगे तो उन को अपना काम करना होगा वे नहीं कर सकते . . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग धैर्य रखें भले ही आपको नापसन्द हो।

श्री बाबू बदरे—

हरिजनों और ब्राह्मणों की बातें की जाती हैं. . .

श्री अध्यक्ष—

मुझे अफसोस है कि वैसे तो आप कानपुर की बात करते हैं लेकिन सदन में बड़े हल्केपन से बात करते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

कल कर्फ्यू इलाके वाले घरों में हम बातचीत नहीं कर सके। सुनसान सड़कों पर मोटरें अवश्य दौड़ सकती हैं लेकिन जो लोग अगुवा हैं वे फरार हैं, गिरफ्तार नहीं हो सके। जिन लोगों से बात करनी थी उनसे बातचीत हम नहीं कर सके।. . .

(व्यवधान)

आवश्यकता इस बात की है कि जो सही तथ्य हैं उनको प्राप्त किया जाय। कोई भी मौत हो बुरी होती है। जो हमको सूचना मिली वह यह है कि लगभग 9 मौतें हो गयीं लखनऊ में। मुख्य मन्त्री जी ने मौतों का कोई जिक्र नहीं किया। कल 5 बताई थीं। इसी तरह से 56 घायलों की सूचना मिली है। हमको यह बतलाया गया कि मस्जिद में लोग गए और वहां जाकर लोगों को मारा गया, गोली चलाई। मैं कोई अतिरंजित बात नहीं कहना चाहता। जो सत्य से परे बात हो उसको इस सदन में कहना अशोभनीय होगा लेकिन अस्पताल में जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई उनसे यह पता चला। कर्फ्यू वाले इलाके में किसी से हम बातचीत नहीं कर सके। बहुत सी दूकानें जला दी गयीं। ट्रान्स-फार्मर 20 एम0वी0 का फूंक गया।

उद्योग उप मंत्री (श्री अब्दुल रऊफ लारी)—

दूसरा लग गया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आपने बतलाया नहीं कि लग गया।

(श्री शतरुद्ध प्रकाश के खड़े होने तथा कुछ कहने पर।)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं शतरुद्ध प्रकाश जी का आदर करता हूं लेकिन यह उचित नहीं मालम होता कि वह सदन की कार्यवाही में अवरोध करें ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

आप आग लगवाते हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

शतरुद्ध जी अवरुद्ध न करें। मैं यह निवेदन कर रहा था कानपुर में जो कुछ हुआ उससे मुझे दुख है। लेकिन मुख्य मन्त्री जी जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं उन्होंने सियासत अखबार का नाम ले लिया और कहा कि उसकी वजह से कानपुर में दंगा हो गया। (व्यवधान) कानपुर के सियासत का नाम आखिर क्यों लेना पड़ा ?

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

डिस्ट्रोशन करना बड़ा खतरनाक है और आप जैसे आदमी को इस तरह से कहना शोभा नहीं देता। मैं आपसे उम्मीद करता था कि ऐसे मौके पर आप ऐसे प्रश्न खड़ा नहीं करेंगे। जो बात कही गयी उसको ट्विस्ट करके आप कम्युनलिज्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अगर मैंने गलत कहा तो मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा लेकिन आप बतायें कि क्या कहा गया ?

श्री मधुकर दिघे—

यह कहा कि यहां अतिरंजित बातें कही जाती हैं जो अखबारों में छप जाती हैं। सियासत कानपुर वाले अखबार में छपा, अन्य अखबारों में भी बातें छपती हैं। इसमें अखबारों का कोई दोष नहीं। यदि यहां इस तरह से बोलेंगे तो छपेंगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ऐसी बातें करके आप खुद साम्प्रदायिक स्थिति बिगाड़ रहे हैं और कहिएगा कि अखबार वाले करते हैं। आप संयम रखिए अपने बोलने पर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहिए ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं माननीय संसदीय कार्य मन्त्री को विश्वास दिलाता हूं कि संयम के बारे में उन्हें मुझ जैसे अपने भाई को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तो केवल यही कह रहा हूं कि 'सियासत' का नाम लेने की आवश्यकता नहीं थी। इससे अखबार वालों ने जितना यहां हुआ है, उतना नहीं छापा है। उतना नहीं छापा है, इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

संस्थागत वित्त मन्त्री (श्री केशरीनाथ त्रिपाठी)—

मुझे इस पर आपत्ति है, माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है कि अखबारों ने जितना हुआ है वह नहीं छापा, यह कम्युनल भावनाओं को जानबूझ कर उभाड़ने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

(व्यवधान)

वह नए सदस्य आये हैं, इसलिए मैं उनको क्षमा करता हूं कि वह नए आए हैं, लेकिन उन्हें पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। पार्लियामेंट्री चोटें शासन के सदस्यों को बरदाश्त करनी चाहिए, उन्हें मालूम होना चाहिए कि वह चोटें कैसे बरदाश्त की जाती हैं।

श्री अध्यक्ष—

नेता विरोधी दल, मैं समझता हूं कि जिस सद्भावना से सदन को स्थगित कराने का प्रस्ताव आप लोगों ने दिया था—आपने रियासत हुसैन साहब ने और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, श्री ऊदल जी ने, उचित यह होगा कि आज हम लोग कोई ऐसी बात न कहें जो ज्यादा विवादास्पद हों, केवल यह प्रयास करें, क्योंकि बाद में आरोपों-प्रत्यारोपों के लिए काफी समय मिलेगा। लेकिन आज हम आग बुझाने की चेष्टा करें . . . (व्यवधान) आप सब शान्ति बनाए रखिए। आप लोग ऐसी कोई बात न करें, जो विवादास्पद हो, नहीं तो हम . . . . सीमित रखें. . . (श्री देव बहादुर सिंह के खड़े होने पर) (व्यवधान) देवबहादुर जी मैं जब बोल रहा हूं तो आप लोग कमेन्ट्री कर रहे हैं। नारायण दत्त जी जो कहते हैं कि उनके दल में बड़ा संयम है, उसका परिचय आप भी दे रहे हैं। विवादास्पद आज कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, अपील यह होनी चाहिए कि शान्ति प्रयास प्रारम्भ हों शान्ति स्थापित हो और जहाँ-जहाँ इस तरह के विवाद हो गए हैं, शान्ति भंग हो गयी है, उस को फिर से स्थापित किया जाए। तो मैं नेता विरोधी दल से कहूंगा कि अभी आपने अपनी बात विस्तार से रखी है, अतः अपील तक अपने को सीमित रखें, यह अच्छा होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैंने तो केवल इतना कहा जो 'सियासत' का नाम लिया गया।

श्री अध्यक्ष— (व्यवधान)

लारी साहब आप बैठिए।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

कल हमने और माननीय मुख्य मन्त्री—दोनों आदमियों ने नेता विरोधी दल और दूसरे नेताओं से यह प्रार्थना की थी कि वे हम लोगों के साथ चल कर सही तथ्य से अवगत हों और हमें भी करावें, तो हमें अफसोस है कि उसमें हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। नेता विरोधी दल चले गए थे। उनको कुछ सत्यता मालूम हो तो बतावें, इस तरह से 'यह सुना है' 'लगभग' आदि बात कहने से काम नहीं चलेगा। यह भ्रम में डालने वाली बातें हैं। वह दावे के साथ बतावें कि इतने मरे और इतने घायल हुए।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

(व्यवधान)

जनता पार्टी के ऊपर मेरा चार्ज है और बड़े दुख के साथ कहता हूं कि प्रोग्राम देने के बाद भी उन्होंने मुझे नहीं बुलाया।

(व्यवधान)

(श्री रियासत हुसैन और श्री शफीकुर्रहमान बर्क के मध्य खड़े-खड़े जोरों से विवाद होता रहा।) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

रियासत साहब आप बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए।

माननीय नेता विरोधी दल, कृपया अपनी बात दो मिनट में समाप्त करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मेरे पुराने मित्र माननीय लारी जी ऐसी बाते कह रहे हैं, अगर मैं सब बातों को कहने लगूं तो क्या वह सुनेंगे ? माननीय उप मन्त्री, लारी जी को समझना चाहिए कि हम विरोधी दल का कर्तव्य निभा रहे हैं। हम शासक दल नहीं हैं। शासक दल अपना कर्तव्य निभाए हम अपना कर्त्तव्य निभा रहे हैं। आपको क्या शिकायत है ?

(व्यवधान)

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए, आप शान्त रहिए।

श्री नारायण दत्त जी, कृपया आप शीघ्र समाप्त करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

तो मुझे आशा है कि इस बीच में इन चार-पाँच दिनों में हम अपने क्षेत्रों में जाकर इस बात का प्रयास करेंगे कि जो साम्प्रदायिकता की आग फैलाने की कोशिश करें वह किसी प्रकार से सफल न हों। और अगर सहयोग प्राप्त करने का प्रयास न किया गया, जैसे मैंने कहा कि कर्फ्यू के पासेज न दिए जायं, सहयोग न लिया जाय, अधिकारी घबड़ाए हुए हैं, जिला अधिकारी, एस० पी० वगैरह जब तक शासनादेश नहीं जायगा वह नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक पर सन्देह है कि शायद काँग्रेस के असर में तो नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

बार-बार खड़े होने, उसमें व्यवधान डालने और उत्तेजित करने से लाभ नहीं होगा। आप लोग बैठ जाइए।

श्री नारायण दत्त जी, अब जल्दी समाप्त करें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

भड़काने की कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, ऐसी हालत में, चूंकि माननीय मुख्य मन्त्री जी का दल सहयोग नहीं चाहता है मैं कुछ कहना नहीं चाहता। (शोर) (माननीय मुख्य मन्त्री के कुछ कहने पर)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जो संसद में न हों। माननीय मुख्य मन्त्री जी को सबसे शान्त रहना चाहिए। अगर माननीय मुख्य मन्त्री को झुंझलाहट होने लगे, नेता सदन को झुंझलाहट होने लगे, तब क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष--

समाप्त कीजिए ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सहयोग अगर चाहिए, तो कर्फ्यू पासेज देने होंगे, कुछ हमारे कांग्रेस पार्टी के और कम्युनिस्ट पार्टी की शान्ति समितियों के सदस्य हैं, उनको कर्फ्यू पासेज देना होगा। इन शब्दों के साथ मेरा आग्रह है कि इस बीच में हम अपने क्षेत्रों में शान्ति के साथ जायें और वहाँ साम्प्रदायिक एकता के लिए प्रयत्न करें ।

(श्री ऊदल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

मैं एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, कल से लखनऊ में और आज कानपुर में हमारा खून सड़कों पर बह रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस सदन ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह मेरा काम है, आप बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मुहम्मद खां--

नेता विरोधी दल दूसरों पर आरोप कर रहे हैं। जब तक अपने ऊपर मुसीबत नहीं पड़ती है तब तक दूसरों की मुसीबत समझ में नहीं आती है ।

(व्यवधान)

जो माहौल इस सदन में है, मैं उसके विरोध में वाक्-आउट करता हूं ।

(श्री आरिफ मोहम्मद खां सदन त्याग कर चले गए)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

आपने इस गम्भीर समस्या पर हमको बुलाया था। मैंने आपको आश्वासन दिया कि इस वक्त जो साम्प्रदायिकता की आग लखनऊ से निकल कर दूसरी जगहों पर बढ़ रही है उसको रोकना अत्यन्त आवश्यक है। श्रीमन्, आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी साम्प्रदायिकता की हमेशा से विरोधी रही है और आगे भी रहेगी। मैंने आपको यह भी आश्वासन दिया था, मुख्य मन्त्री जी को भी आश्वासन दिया था कि हमारे दल की ओर से शान्ति और व्यवस्था कायम करने के लिए कोई ब्राडकास्ट करना चाहे तो मजमून तैयार कर ले तो हम हस्ताक्षर कर देंगे और आप ब्राडकास्ट कर दें। इसीलिए मैं अपने दल की ओर से इसको राजनैतिक बहस में नहीं लाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रदेश में शान्ति व्यवस्था कायम रहे। इसलिए कि हमारे दल का और हमारा पूरा सहयोग रहे और आपने जो प्रस्ताव रखा था कि इस सदन का काम चार दिन के लिए बन्द कर दिया जाये, ताकि सभी माननीय सदस्य जा कर अपने-अपने क्षेत्र में इस काम में जुट जायें। जो आग कानपुर म पहुंच गयी है वह आगे न फैले इसका दायित्व सदन के सदस्यों पर आता है तो मैं भी इसका समर्थन करता हूं और मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग शीघ्र ही इस काम में जाकर

[श्री ऊदल]

जुट जायेंगे। दोनों सम्प्रदायों के जो बड़े-बड़े मौलवी हैं उनसे भी सम्बन्ध स्थापित किया जाय और अगर जरूरत हो तो हम भी चलेंगे और हमारे बीच में जो इफेक्टिव इस कार्य के लिए हो सकता है उनको भी भेजने के लिए तैयार हैं उनसे भी अपील करवाई जाय ताकि प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था कायम रहे। श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शान्ति और व्यवस्था कायम करने में हमसे जितना हो सकेगा, हम पूरा सहयोग देंगे।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने जो विचार व्यक्त किए हैं मैं और हमारा दल उससे पूर्णतः सहमत है। यह बड़े गम्भीर और दुख का विषय है और मैं देख रहा हूं कि सबसे दुख की बात यह है कि इस सदन में इस विषय पर कुछ हमारे सदस्य क्रोधित हो जाते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है हम यह न देखें कि किसकी त्रुटि है जिसके कारण यह हुआ है। यह तो हम बाद में विचार कर लेंगे। इस माननीय सदन में लेकिन इस समय जरूरी बात यह है कि जो कानपुर और लखनऊ में और बड़े शहरों में घटनाएं हुई हैं, वह जिलों के हेडक्वार्टर पर न हों और मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा नहीं होगा। मैं नेता कम्युनिस्ट पार्टी के इस विचार से सहमत हूं कि अगर माननीय मुख्य मन्त्री जी चाहते हैं कि हम लोगों की तरफ से कोई घोषणा हो तो पूरा समर्थन हम लोग इस मामले में देंगे। इस समय विचार की यह बात नहीं है कि किसकी गलती से हुआ। मुख्य मन्त्री जी की या किसी अधिकारी की गलती रही। सवाल इसका नहीं है लेकिन किस तरह से प्रदेश का वातावरण सुधरे, शान्ति व्यवस्था कायम हो, वह पुनः न बिगड़े, इसके लिए हमको हृदय से कोशिश करनी चाहिए और मैं विश्वास करता हूं कि माननीय सदस्य जो यहाँ चुनकर आए हैं, एक लाख-सवा लाख वोटों से, उनको इस प्रकार का वातावरण पैदा करना चाहिए कि यह जो आग यहाँ पर पैदा हुई है, वह और न भड़के। जब माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों से होकर यहाँ आयें तो भगवान की कृपा से ऐसा वातावरण पैदा हो जाये, प्रदेश के अन्दर शान्ति-व्यवस्था कायम हो जाये। इन शब्दों के साथ अपने दल के साथियों की तरफ से पूरा आश्वासन देता हूं कि इस कार्य में पूरा सहयोग मेरा और मेरे दल का मिलता रहेगा।

श्री बाबू बदरे--

अध्यक्ष जी,

एक रोज का रोना हो तो रो के सबर आए।
हर रोज के रोने को कहाँ से जिगर आए॥

यह बड़े दुख का विषय है लेकिन मान्यवर, कानपुर से मुझे जो सूचना मिली है, उसकी जिन सदस्यों ने मुझे सूचना दी है एक आदमी का नाम बता दूं, वे हैं मज्जन मियाँ, उनकी मौत हुई है गोली से और करीब चार या पाँच . . . .

श्री अध्यक्ष--

बदरे जी, आप यह देखें कि यह बड़ा नाजुक मसला है। आप लोग शान्त रहिए। आप लोग उत्तेजना में कोई ऐसी बात न कहें जिसको आपने स्वयं न देखा हो।

श्री बाबू बदरे—

मेरी बात तो सुनिए। जब मैं बोलता हूं तो आप लोग सुनते नहीं। मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर विषय है क्योंकि दूसरे का घर जलाना तो आसान काम है और अपना घर जलता है तो लोगों को मालूम होता है कि आग लगी है।

जनता पार्टी की बदनामियों के लिए कुछ माननीय सदस्य लगातार हरिजनों, ऊंची जाति—नीची जाति की चर्चा चलाने आ रहे हैं इस मामले को मैं समझता हूं कि यहाँ पर अपनी कमजोरी है कि सरकार सचेत नहीं रही और नतीजा यह हुआ कि हमारे जो विरोधी हैं, जिनकी गद्दी छिन गयी है वह यही चाहते थे कि यह मसला शिया और सुन्नी में दंगे के रूप में बढ़ जाये। तो इस तरह से दंगे की जो नीति है मैं आप से कहना चाहता हूं कि पुलिस ने जो बर्बरतापूर्वक गोली चलाई है, इस मामले में एक निष्पक्ष जांच कराई जाय, दोषी को अगर सजा न दे सकी तो फिर यह सरकार क्या कर सकती है? कानपुर नगर में सिर्फ इस बात पर लोगों ने जुलूस निकाला था, यह बात इस तरीके से हो सकती है, मैं इस का विरोध नहीं कर रहा हूं। हो सकता है उत्तेजना फैलाने से वहाँ की हालत बिगड़ी हो। मैं जाकर वहाँ की हालत देखूंगा। मुझे जो सूचना मिली है, उसी के आधार पर अपने कुछ विचार रखना चाहूंगा।

आज इस प्रदेश के अन्दर इस प्रकार की गलत बयानी हाउस के अन्दर अगर कोई करेगा तो मैं समझता हूं कि सही नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। तो मैं वहाँ की जो स्थिति है उसको जान कर, समझ करके उस पर अपना बयान आपको दूंगा। लेकिन इस बात का दुख है कि वहाँ पर लोगों की जानें गयी हैं। पुलिस का जो रवैया है इससे पुलिस की मंशा जाहिर होती है कि पुलिस कमिश्नर एपाइन्ट किया जाए। भूतपूर्व मन्त्री जी ने घोषणा की किन्तु न कर पाए। वर्तमान मन्त्री जी ने घोषणा की और आज तक नहीं कर पाए हैं। हो सकता है जब तक पुलिस कमिश्नर न हो, पुलिस ढील डालती रही हो और मालूम होता है ऐसा ही हुआ है। तो इन सारी चीजों को सरकार को देखना चाहिए और जिन लोगों की वजह से लखनऊ और कानपुर शहरों में जानें जा रही हैं उनके खिलाफ चाहे वह कोई अधिकारी हो, मौलवी हो, मौलाना हो या पंडित हो, सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब इस बात पर विवाद की इजाजत नहीं होगी। मन्जूर साहब अब आप बैठें, कल सारे दिन इस पर विवाद हुआ, अभी भी इस पर विवाद हुआ है।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, मैं विवाद नहीं करूंगा।

मान्यवर, प्रदेश में जो अमानवीय घटना घटी है, उस पर प्रदेश भर से चुने हुए माननीय सदस्यों ने खेद प्रकट किया है। मैं कल से देख रहा हूं कि चूंकि हमारे दल (कम्युनिस्ट मार्कसिस्ट) का यह सिद्धान्त रहा है कि और जहाँ भी हमारा शासन रहा है वहाँ भी साम्प्रदायिक दंगे की कोई बात हो ही नहीं पाई है। मुझे बड़ा दुख है क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं

[श्री भगवती प्रसाद सिंह]

उसमें शिया और सुन्नियों का बहुल क्षेत्र है। पिछली बार जब शियाओं ने जलूस निकाला तो मैं दोनों फिरकों के बीच में खड़ा हुआ और मुझे कामयाबी भी मिली, झगड़े को समाप्त करने में। शिया जो हमारे दल की तरफ से मुखालिफ थे उनके बीच में खड़े होकर मैंने कह दिया कि अगर शिया और सुन्नी लोगों में एक की भी मौत होती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसका असर यह हुआ कि हमारे यहाँ पर कोई दंगा नहीं हुआ। मान्यवर, मैं इस बात से और भी दुखी हूं कि यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप जो हो रहा है, यह उन बच्चों और मासूम औरतों के साथ खिलवाड़ हो रहा है जो बेचारे घरों में बन्द हैं। हमें शान्तिपूर्वक इस अमानवीय घटना पर चिन्ता, खेद और मातम मनाना चाहिए। इस मातम का असर प्रदेश के उस सम्प्रदाय पर अवश्य पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—

अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मैं कोई उत्तेजना की बात नहीं कर रहा हूं। मान्यवर, हमें इस चीज को खत्म करने के लिए सद्भाव से (मेरा माननीय मुख्य मन्त्री जी की ओर इशारा है), जो हमारे सुरक्षा करने वाले जिम्मेदार लोग हैं, उनको सतर्क करना होगा क्योंकि पुलिस का जो रोल रहा है वह हमेशा दंगों से फायदा उठाने का रहा है। हम राजनीतिक लोगों का इसमें सहयोग हो तभी इस पर काबू पा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

प्रदेश के बाढ़, सूखा एवं कटाव पर होने वाली चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

साढ़े सात बजे तक सदन आज चलना था। बाढ़, सूखा आदि पर विवाद था। अब इस समय 6 बजकर 10 मिनट हो गया है और बहुत से आज माननीय सदस्यों ने मेरे कक्ष में जाकर के यह इच्छा व्यक्त की कि जब इतनी गम्भीर स्थिति है तो आज इस पर भी बहस न की जाय।

अब सदन स्थगित किया जाता है और हम 4 तारीख को पुनः 11 बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 11 मिनट पर मंगलवार, 4 अक्तूबर, 1977 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
29 सितम्बर, 1977।

नत्थी 'क'

[देखिए नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1021 पर]

चिकित्सालय का नाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण में पाई गई अनियमितताएं	कृत कार्यवाही
1	2	3	4
1—पुरुष अस्पताल, सरसौल, जिला कानपुर।	9 जुलाई, 1977	1—अधिकांश डाक्टर एवं स्टाफ गैरहाजिर था 2—दवाओं के स्टाक में भी भारी गड़बड़ी देखी गई	आवश्यक कार्यवाही करने तथा रिपोर्ट भेजने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर को स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा लिखा गया है।
2—मनकापुर अस्पताल, जिला गोंडा	14 जुलाई, 1977	मनकापुर अस्पताल में गन्दगी एवं शय्याओं पर गद्दे नहीं पाए गए।	भूतपूर्व उप स्वास्थ्य मन्त्री जी द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को मौखिक चेतावनी दी गयी।
3—जिला चिकित्सालय, उन्नाव	23 जुलाई, 1977	1—यह शिकायत मिली कि मरीजों के पर्चे पर सात-सात दिन की दवाएं लिख देते हैं परन्तु मरीजों को एक-दो दिन की दवा देकर टाल दिया जाता है और बची हुई दवाएं बाजार में बेंच दी जाती हैं। 2—स्टाक में सल्फागोडिन की टिकियां 42 अधिक पाई गयीं। 3—महिला वार्ड में दवाओं के वितरण में गड़बड़ी पाई गयी। 4—चोरी से एक बाल्टी इन्जेक्शन निरीक्षण के समय कुंवे में डलवा दिया गया।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उन्नाव को तुरन्त कार्यवाही करने तथा रिपोर्ट भेजने हेतु स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा लिखा गया है।

अध्यक्ष सभा

1	2	3	4
4—यू0एच0एम0 अस्पताल, कानपुर	23 जुलाई, 1977	डा0 बी0 एन0 पाण्डेय का व्यवहार ठीक नहीं पाया गया।	डा0 पाण्डेय को व्यवहार मृदुल बनाने के लिए निरीक्षण के समय ही भूतपूर्व उप स्वास्थ्य मन्त्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं।
5—लाला लाजपतराय चिकित्सालय, कानपुर।	24 जुलाई, 1977	1—मरीजों को अस्पताल से दवाएं न देकर बाहर से खरीदवाई जाती हैं। 2—एक बारह वर्षीय बालिका मरीज के लिए डाक्टर एस0 कुमार ने दस दिन में 1,100 रुपए की दवाएं बाहर से क्रय करवाई, जबकि वे दवाएं अस्पताल में मौजूद थीं। 3—एक नसबन्दी के मरीज को इलाज तथा भर्ती किए जाने में परेशान किया गया।	इस सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक (प्रशासन एवं प्रशिक्षण) द्वारा जांच की गई जिसमें यह पाया गया कि अस्पताल में दवाइयों की व्यवस्था और वितरण में कोई दोष नहीं है और नसबन्दी के कथित रोगी को इलाज तथा भर्ती करने में पूरी सुविधा दी गयी।
6—एस0आर0एन0 चिकित्सालय, इलाहाबाद।	25 जुलाई, 1977	1—अस्पताल में भीषण गन्दगी और विभिन्न वर्गों में गुटबन्दी तथा भ्रष्टाचार पाया गया। 2—एक मरीज को अस्पताल से दवाएं नहीं उपलब्ध कराई गयीं। 3—अस्पताल में लम्बे समय तक अनुपस्थित कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया गया।	प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, इलाहाबाद को तुरन्त कार्यवाही करने तथा रिपोर्ट भेजने हेतु स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा लिखा गया।

अवैध प्रकाशन सभा

7—जिला अस्पताल, बस्ती	30 जुलाई, 1977	1—कोराडाइन के 12 इंजेक्शन स्टाक में दर्ज संख्या से अधिक पाए गए । 2—बहुत से डाक्टरों ने दवाओं के लिए जो पर्चे अपने हस्ताक्षर से मरीजों के लिए दिए थे, उनमें उन्होंने तिथि अंकित नहीं की थी ।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती को मामले तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने तथा रिपोर्ट भेजने हेतु स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा लिखा गया है ।
8—टी0बी0 अस्पताल, बस्ती	30 जुलाई, 1977	1—शिकायत मिली कि मरीजों को अस्पताल से जो दूध दिया जाता है वह बहुत कम मात्रा में तथा निम्न स्तर का है । 2—स्टाफ नर्स एस0पी0 रोशन के विरुद्ध मरीजों से दुर्व्यवहार किये जाने की शिकायतें मिलीं	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती को मामले में तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने तथा रिपोर्ट भेजने हेतु स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा लिखा गया है ।
9—मेडिकल कालेज, गोरखपुर	31 जुलाई, 1977	1—एट्रोपीन सल्फेट के इन्जेक्शन स्टाक बुक में दर्ज संख्या के विपरीत 18 कम थे । 2—कार्डों की जांच करने से यह पाया गया कि मरीजों से कौन-सी दवा बाजार से मंगवाई गयी । 3—श्रेणी 3 व 4 के कर्मचारियों का प्रधानाचार्य के विरुद्ध असन्तोष व्याप्त था ।	प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, गोरखपुर को तुरन्त कार्यवाही करने तथा रिपोर्ट भेजने हेतु स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा लिखा गया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1033 पर।)

सूचना

मद		1-4-76 से 31-3-77 तक व्यय की गयी धनराशि		1-4-77 से जून, 1977 तक व्यय की गई धनराशि	योग
		रु0		रु0	रु0
1—तारकोल ..	..	..	क्रिश्ना केमिकल्स, लखनऊ	1,14,802.20	1,14,802.20
2—स्टेशनरी ..	..	..	बुन्देलखण्ड लि0, बांदा	5,250.80	5,250.80
	ब्लूटेक्स इंडस्ट्रीज, कानपुर ..	39,197.65	ब्लूटेक्स इंडस्ट्रीज, कानपुर	32,987.08	72,184.73
3—फर्नीचर ..	जनता उड वर्क्स, बांदा ..	3,173.10	जनता उड वर्क्स, बांदा ..	617.40	3,790.50
4—गिट्टी ..	..	..	गंगा स्टोन मिल, भरतकूप, बांदा।	27,999.72	27,999.72
5—बिजली का सामान	मेसर्स बुन्देलखण्ड, बांदा ..	9,201.60	मेसर्स बुन्देलखण्ड, बांदा ..	2,195.32	11,396.92
	मेसर्स उपहार, कानपुर ..	..	मेसर्स उपहार, कानपुर ..	29,300.00	29,300.00
	कमाल इले0, बांदा ..	313.00	कमाल इले0, बांदा ..	3,283.00	3,596.00
	इंडिया सेल्स, कानपुर ..	..	इंडिया से0, कानपुर ..	32,500.00	32,500.00
	लाला इले0, बांदा ..	372.00	लाला इले0, बांदा ..	746.00	1,118.00
				(माह जुलाई, 1977 में का भुगतान किया गया।)	24,433.66

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1034 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के विद्युत् गृहों (रेनूसागर के अतिरिक्त) से मई, जून एवं जुलाई, 1977 में विद्युत् उत्पादन निम्न प्रकार हुआ है :

माह	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	उत्पादन (10 लाख यूनिट)
मई, 1977	2490.34	751.858
जून, 1977	2490.34	723.301
जुलाई, 1977	2490.34	714.768

योजनावार अधिष्ठापित क्षमता (जल विद्युत् तथा तापीय विद्युत् गृहों) का विवरण संलग्नक 'अ' में संलग्न है।

निम्नलिखित उत्पादन इकाइयों का जिन पर निर्माण कार्य चल रहा है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक चालू हो जाने की आशा है।

	मेगावाट
1—ओबरा तापीय विस्तार द्वितीय चरण की प्रथम 2 इकाई (3×200 मे0वा0) ..	400
2—हरदुआगंज पंचम चरण की 110 मे0वा0 इकाई (1×110 मे0वा0) ..	110
3—गढ़वाल—ऋषिकेश—चिल्ला जल विद्युत् योजना की प्रथम इकाई (4×36 मे0वा0) ..	36
योग ..	546

इस समय प्रदेश की विद्युत् प्रणाली की कुल अधिष्ठापित क्षमता 125 मेगावाट की रेनूसागर विद्युत् गृह सहित 2675 मेगावाट (1068 मे0 वा0 जल विद्युत् एवं 1607 मे0 वा0 तापीय) है, जोकि अगस्त, 1977 में 60 मे0 वा0 की हरदुआगंज षष्टम चरण की द्वितीय इकाई के चालू होने पर उपलब्ध हुई है। उपरोक्त इकाइयों के चालू होने पर यह क्षमता बढ़कर पाँचवीं योजना के अन्त में 3221 मे0वा0 हो जायेगी।

(2) उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त पाँचवीं योजना में जारी योजनाओं से 1488 मे0वा0 की निम्नलिखित इकाइयों के छठी पंचवर्षीय योजना में चालू हो जाने की आशा है जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र में सम्मिलित परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश का हिस्सा भी शामिल है।

(क) तापीय :—

1—ओबरा तापीय विस्तार द्वितीय चरण की तीसरी इकाई :
(3×200 मे0 वा0) 200 मे0 वा0

2—ओबरा तापीय विस्तार तृतीय चरण की दोनों इकाई (2×200 मे0वा0)	..	400 मे0वा0
3—कोटा (सिंगरौली) की वृहत तापीय योजना (5×200 मे0वा0) की प्रथम दो इकाइयों का 40 प्रतिशत की दर से उत्तर प्रदेश का हिस्सा।	..	160 मे0वा0
योग (तापीय)	..	760 मे0वा0

(ख) जल विद्युत्—

1—यमुना द्वितीय चरण भाग-2 (खेदरी) विद्युत् गृह (4×30 मे0वा0)	..	120 मे0वा0
2—मनेरी माली भाग 1 (3×30 मे0वा0)	..	90 मे0वा0
3—गढ़वाल ऋषिकेश-चिल्ला (4×36 मे0वा0) (द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ इकाइयाँ)	..	108 मे0वा0
4—लखवार-व्यासी (दोनों विद्युत् गृह की प्रथम इकाइयाँ (2×150+2×60 मे0वा0)		210 मे0वा0
योग (जल विद्युत्)	..	528 मे0वा0

भारत सरकार द्वारा 1972 में स्वीकृत की गयी टेहरी बाँध योजना (4×150 मे0वा0) पर कार्य 1976-77 से प्रगति पर है, परन्तु इसके लाभ (600 मे0वा0) 7वीं पंचवर्षीय योजना में मिलने की आशा है।

(ग) अणु विद्युत्—

नरोरा अणु विद्युत योजना में उ0प्र0 का शेयर 40 प्रतिशत (2×235 मे0 वा0) की दर से	..	200 मे0वा0
जारी विद्युत योजनाओं (क, ख, ग) का कुल योग	..	1488 मे0वा0

निम्नलिखित योजना भारत सरकार को स्वीकृत हेतु भेजी जा चुकी है तथा भारत सरकार से इनकी स्वीकृति मिलते ही कार्यवाही आरम्भ कर दी जायगी। जिससे इनके लाभ शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध हो सके।

(क) तापीय—

		(सभी संख्या मे0वा0 में अनुमानित लाभ)	
	अधि0 क्षमता	छठी योजना में	7वीं योजना में
1—परीक्षा (जिला झांसी) ..	2×110	220	..
2—टाण्डा (जिला फैजाबाद)	4×110	440	..
3—आनपारा (जिला मिर्जापुर)	3×210	630	..

(ख) जल विद्युत—

1—मनेरी भाली भाग–2	..	3×52	.. 156
2—पाला मनेरी	..	3×47.5	.. 142.5
3—विष्णु प्रयाग	..	4×65.5	.. 262
4—कोटेश्वर बांध	..	4×45	.. 180

निम्नलिखित योजनाओं पर भारत सरकार की स्वीकृति हेतु कार्यवाही चल रही है। यदि ये योजनाएं जिनका विवरण निम्नलिखित है, भारत सरकार द्वारा शीघ्र स्वीकृत कर दी जाती हैं तो इनके छठी/सातवीं योजनाओं में फलीभूत होने की आशा है।

(सभी संख्यायें मे0वा0में अनुमानित लाभ)

	अधि0 क्षमता	छठी योजना में	7वीं योजना में
(क) तापीय—			
1—मुरादनगर गैस टरबाइन ..	4×60	240	..
2—दोहरीघाट (जिला आजमगढ़)	2×210	420	..
3—ऊंचाहार (जिला रायबरेली)	2×210	420	..
4—पश्चिमी/केन्द्रीय उत्तर प्रदेश	4×110	440	..

(ख) जल विद्युत—

	अधि0क्षमता	छठी योजना में	सातवीं योजना में	आठवीं योजना में
1—खारा सुरंग	3×26.25	26.25	52.5	..
2—लखवारा-व्यासी द्वितीय चरण	2×150	..	300	..
3—किसाऊ-बांध प्रथम चरण	3×150	..	150	300

अनुलग्नक—अ

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् की विद्युत प्रणाली के अन्तर्गत मई, 1977 में अधिष्ठापित क्षमता का विवरण

क्रमसं0	प्रायोजना का नाम	तापीय	जल-विद्युत्	गैस टर्बाइन और डीजल इंजन
1	2	3	4	5
	तापीय विद्युत गृह—			
1	ओबरा तापीय	250.00	..	..
2	ओबरा तापीय विस्तार प्रथम चरण ..	300.00	..	..
3	हरदुआगंज 'अ' (चरण 1 से 2) ..	90.00	..	..
4	हरदुआगंज 'ब' (चरण 3 से 4) ..	210.00	..	..
5	हरदुआगंज चरण 6	60.00 (प्रथम इकाई)	..	..
6	पनकी	64.00	..	..
7	पनकी तापीय विस्तार ..	220.00	..	..
8	रीवर साइड पावर हाउस, कानपुर ..	75.00	..	..
9	स्माल थर्मल हाउस	137.50	..	..
	जल विद्युत गृह—			
10	रिहन्द	..	300.00	..
11	ओबरा (जल विद्युत)	..	99.00	..
12	माताटीला	..	30.00	..
13	खटीमा	..	41.40	..
14	यमुना प्रथम चरण—			
	(क) थाकरानी	..	33.75	..
	(ख) थालीपुर	..	51.00	..
15	यमुना द्वितीय चरण—			
	(क) छिब्रो	..	240.00	..
16	यमुना चतुर्थ चरण —			
	(क) कुलहल	..	30.00	..
17	रामगंगा	..	198.00	..
18	गंगा नहर विद्युत् गृह	..	45.20	..
	गैस टर्बाइन और डीजल इंजन—			
19	मुरादनगर गैस टर्बाइन ..	..	..	12.50
20	गाजियाबाद डीजल इंजन ..	..	..	2.99
	योग ..	1406.50	1068.35	15.49
	महा योग ..	2490.34 मेगावाट		

विधान सभा उत्तर प्रदेश

अनुलग्नक—2

वर्ष 1976–77 में (मई से जुलाई तक) जल विद्युत योजनाओं द्वारा उत्पादित विद्युत का वितरण

क्रम-सं0	जल विद्युत् गृह	विद्युत उत्पादन मिलियन यूनिट में					
		मई		जून		जुलाई	
		1976	1977	1976	1977	1976	1977
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रिहन्द	89.662	23.109	80.057	12.601	94.873	30.678
2	ओबरा (जल विद्युत्) ..	30.774	11.422	28.952	8.646	37.785	16.278
3	माताटीला	1.828	1.516	6.927	1.597	7.565	20.469
4	खटीमा	17.779	11.140	16.032	14.137	18.217	14.070
5	राम गंगा	निल	निल	निल	निल	निल	निल
6	यमुना चरण 1 से 4	62.961	40.392	64.777	46.942	75.944	66.945
7	गंगा कैनाल .. .	20.617	19.280	19.319	18.110	20.066	15.287
8	यमुना–2	99.907	59.937	106.998	75.222	108.025	102.993
	योग जल विद्युत	323.528	166.796	323.062	177.255	362.475	266.720

(1) मई, 1976 से जुलाई, 1976 तक का कुल जल विद्युत् उत्पादन—1009065 मि0 यूनिट।

(2) मई, 1977 से जुलाई, 1977 तक का कुल जल विद्युत् उत्पादन—610.780 मि0 यूनिट।

(3) 1977 का प्रतिशत विद्युत् उत्पादन 1976 के सापेक्ष —60.47 प्रतिशत।

पी0एस0यू0पी0—एल0 338 एल0ए0 (757)—1978—8431

उत्तर प्रदेश विधान सभा